राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १६वां दिवस [संख्या १२

मंगलवार, दिनांक ३ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, शक्ति, जन-सम्पर्क गृह, सिंचाई, यातायात, वन, सार्वजनिक, निर्माण, आयुर्वेद एवं श्रम-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया ।

अग्नि पीड़ितों को सहायता, नागल भरड़ा, तहसील आमेर

३९७. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नागल भरड़ा, तहसील आमेर में सन् १९६२ में शिड्यूल्ड कास्ट बुनकरों के मकान अग्नि से जल गये थे और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई तथा सहायता दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई): जी हां । तृतीय पंच वर्षीय योजना में अग्नि पीड़ितों हेतु सहायता देने का समाज कल्याण विभाग में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हें सहायता नहीं दी गई ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : लेकिन इस प्रकार की अर्जी दी बाद में और पंचायत समिति में या कहीं भी प्रावधान था तो फिर सहायता क्यों नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि इसका कोई प्रावधान नहीं है । दो-चार दिन पहले इस प्रकार का प्रश्न सदन में प्रस्तुत हुआ था उस वक्त मैंने निवेदन कर दिया था कि इस प्रकार का प्रावधान नहीं है । पंचायत समिति अपने यहां प्रावधान रख कर सहायता करें ।

Page No 2

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : आपके यहां से कब से बन्द कर दिया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसका मतलब यह है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): प्रावधान नहीं था, पर इस प्रकार की सिफारिश पंचायत समिति को क्यों नहीं की कि इस प्रकार की सहायता दे ? यह काम भी तो समाज कल्याण विभाग का है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरें

३९८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार द्वारा किन किन उद्योगों को बिजली की दरों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

(२) जिन जिन उद्योगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं उसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या ऐसे भी कुछ उद्योग हैं जिन्हें बिजली उत्पादन रेट से भी कम रेट में दी जाती है ? यदि हां, तो किन उद्योगों को और इससे राज्य सरकार को या बोर्ड को कितना घाटा उठाना पड़ता है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) :

(१) निम्न लिखित उद्योगों को बिजली की दरों में सुविधायें प्रदान की जा रही है।

(क) चम्बल क्षेत्र

(१) राजस्थान विनायल एन्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज़, कोटा :

२०१,४०) रुपये पर के० वी० ए० पर एनम जो कि ३ नये पैसा प्रति युनिट के बराबर होता है।

(२) बॉलबियरिंग, जयपुर।

पहले २,० १,८४० युनिट तक १० पाई प्रति युनिट और उससे ऊपर १½ आना प्रति युनिट।

(ख) थर्मल क्षेत्र

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ (लघु उद्योग) जिनकी खपत २०,००० युनिट से कम हो :—

९.५ नया पैसा प्रति युनिट

मीडियम इन्डस्ट्रीज व लार्ज इन्डस्ट्रीज़ :

जिनकी खपत २०,००० युनिट से अधिक हो :— ६½ नये पैसा (१९ नये पैसा के स्थान पर) किन्तु इस शर्त पर कि चम्बल बिजली आने पर यह वसूल कर दिया जायगा, यह सुविधा केवल उन उद्योगों को दी जायगी जो ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां हाइडल बिजली अगले २—३ वर्ष में आने की संभावना है।

(२) हाइडल एरिया में केवल राजस्थान विनायल एवं केमीकल इन्डस्ट्रीज़ को ही टैरिफ रेट से कम रेट पर बिजली दी जा रही है क्योंकि हर एक थर्मो केमीकल एन्ड थर्मो इलेक्ट्रीकल इन्डस्ट्रीज़, टैरिफ रेट पर

Page No 3

(श्री हरिश्चन्द्र)

चल नहीं सकती हैं। इन इन्डस्ट्रीज़ का लोड फैक्टर करीब ६० प्रतिशत होता है जहां अन्य उद्योगों में ४०-५० प्रतिशत से अधिक नहीं होता। इन उद्योगों में बिजली कच्चे माल की तरह काम में ली जाती है। इसलिये इनमें उत्पादन खर्च में बिजली का बहुत बड़ा भाग होता है।

(२) बॉल बियरिंग उद्योग को भूतपूर्व रियासत के लिये गये इकरारनामे के अनुसार यह सुविधा दी जा रही है।

थर्मल (स्टीम) क्षेत्र में सुविधा सरकार की लघु और मीडियम उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति के अनुसार दी जा रही है। लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ को जो सुविधा दी जा रही है, वह उनसे बाद में वसूल कर ली जायगी।

(३) चम्बल क्षेत्र में क्योंकि उत्पादन रेट क्या होगा इसका निर्णय नहीं हुआ इसलिये यह कहना संभव नहीं है कि बोर्ड को जितना घाटा या लाभ इन सुविधाओं को देने में होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले तो बताया कि टैरिफ रेट प्रोडक्शन रेट से कम में दी जाती है; दूसरी ओर अन्त में कहा है कि इसकी प्रोडक्शन रेट कितनी है, इसका अभी तक अन्दाज नहीं लगाया गया है। तो ये परस्पर विरोधी बातें कैसे कही गई हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : अनुमान से कह रहा हूं। करेक्ट फिगर्स नहीं हैं। जहां तक प्रश्न है कि राजस्थान मिनरल केमिकल इन्डस्ट्री को ३ नये पैसे पर यूनिट से दी है तो इसमें मेरा यह निवेदन है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ३न. पैसे से नीचे नहीं जायेगी। इसमें नुकसान होगा, पर आप फर्म फिगर्स मांगते हैं वह नहीं दे सकते क्योंकि टेरिफ बनता है उसमें ध्यान रखा जाता है कि ऐसे कन्सेशन दिये जाते हैं उनको टेरिफ रेट में किस तरह फिट किया जाय। इसलिये जो कॉस्ट आफ प्रोडक्शन होगा उसके अनुसार ही टेरिफ बनाया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा !

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आपको यह मालूम नहीं कि कॉस्ट आफ प्रॉडक्शन क्या होगा, तो टेरिफ रेट का किस तरह अन्दाज लगाते हैं कि इतना कन्सेशन दिया जाय जिससे नुकसान न हो?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया न कि अनुमान है हमारा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अनुमान क्या है?

श्री हरिश्चन्द्र : ४.५ के आस-पास।

श्री मुरलीधर व्यास : केमिकल मिनराइट्स को तीन नये पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं, तो कोई एग्रीमेंट है क्या कि इतनी पॉवर लेंगे? अगर है, तो क्या एग्रीमेंट के अनुसार वे पॉवर ले रहे हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मेरा अनुमान है उस एग्रीमेंट के अनुसार ही ले रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ३ नये पैसे इसलिये दी है कि इतनी बिजली कन्ज्यूम करेंगे। तो वह एग्रीमेंट के अनुसार ही बिजली ले रहे हैं या कम ले रहे हैं! ज्यादा बिजली

(श्री मुरलीधर व्यास)

कन्ज्यूम करेंगे इसलिये कम रेट पर दे दी, पर अब उतनी कन्ज्यूम नहीं करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास इस तरह की इन्फोर्मेशन नहीं कि जिससे मैं कहूँ कि नहीं ले रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे राज्य के खजाने में कितना घाटा हुआ मुख्य बात मैं यह जानना चाहता हूँ ?

श्री अध्यक्ष : इस पर कई दफा बहस हो गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितना घाटा हुआ राजस्थान सरकार को ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, इसका उत्तर दे चुके हैं कि इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

निरीक्षण एवं स्क्रुटिनी शाखा, जन सम्पर्क विभाग

३६६. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में निरीक्षण और स्क्रुटिनी शाखा है ? यदि हां, तो उसके क्या कार्य व प्रवृत्तियां हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(२) क्या निरीक्षण अधिकारी कोई मासिक प्रतिवेदन राज्य के समाचार-पत्रों के बारे में राजस्थान सरकार व भारत सरकार को भेजते हैं ?

(३) यदि हां, तो सन् १९६२ में कुल कितने प्रतिवेदन भेजे हैं ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में निरीक्षण (स्क्रुटिनी) शाखा है जिसके कार्य व प्रवृत्तियों पर एक नोट संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) अब तक ऐसा प्रबन्ध नहीं रहा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पार्ट(४) का आपने क्या उत्तर दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : अब तक ऐसा प्रबन्ध नहीं रहा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हू कि जिस प्रकार आपके यहां पर एडवरटीइज़मेन्ट पद्धति है—आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट लग कर आवे इतना इतना सर्कुलेशन अखबार का है, यह जानकारी करने का आपके पास कोई प्रबन्ध है और इसकी कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री मथुरादास माथुर : किस चीज़ की?

श्री सम्पतलाल बोहरा : अखबार के पब्लिकेशन, उसके सर्कुलेशन के बारे में सर्टिफिकेट लेते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपका प्रश्न तो यह है कि आपके यहां पर कोई स्क्रुटिनी

(श्री मथुरादास माथुर)

और कटिंग डिपार्टमेन्ट है या नहीं, तो आपको बतला दिया कि है भारत सरकार को भेजते हैं या नहीं और पूछा कि कितने कटिंग भेजते हैं, तो आपको बतला दिया कि 'जी नहीं'। फिर आपने पूछा कि क्यों नहीं, तो आपको बताया गया कि इस प्रकार का रिवाज नहीं है और यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : राज्य के जो समाचार-पत्र हैं उनके बारे में आप प्रतिवेदन भेजते हैं या नहीं ?,

श्री अध्यक्ष : लेकिन किस सम्बन्ध में ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैंने यह पूछा है कि उसके क्या कार्य व प्रवृत्तियां है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंन्ट दिये जाने से पहले उनका सर्कुलेशन क्या है, क्या इसकी वहां स्क्रुटिनी होती है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अखबार निकालते हैं या नहीं, सर्कुलेशन कितना है ? स्क्रुटिनी शाखा की क्या प्रगति है ? क्या क्या काम किये हैं, इसकी सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। इन्टर्नल स्क्रुटिनी करते हैं इसके लिए माननीय सदस्य बतायें कि किस कानून या नियम के अन्तर्गत सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये यह आवश्यक है ?

श्री मथुरादास माथुर : कैसी स्वस्थ परम्परा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न साफ नहीं है। स्क्रुटिनी शाखा से माननीय सदस्य का मतलब क्या है ? आपके ध्यान में उनके फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : स्क्रुटिनी का मतलब यह है कि समाचार-पत्र निकल रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दें कि किस प्रकार का अखबार है, क्या पॉलिसी है, कितना उसका सर्कुलेशन है, किस प्रकार की उसकी गतिविधि है। तो क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपका प्रश्न ही दूसरा है। आपने पूछा कि स्क्रुटिनी व कटिंग विभाग है या नहीं। हमने जवाब दिया कि 'जी हां, है'। उसके जिम्मे क्या क्या काम है और उसको क्या क्या प्रवृत्तियां है, यह हमने नोट में बता दिया।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह मुझे नहीं मिला है, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : संलग्न लिखा है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मुझे मिला ही नहीं। आप इसको पढ़ दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : दो पेज का नोट है। काफी समय लगेगा।

Page No 6

श्री सम्पतिलाल बोहरा : नहीं मिला है। सर्कुलेशन आदि के बारे में बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : सर्कुलेशन के बारे में प्रेस एडवाइज़री कौंसिल का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। यह डिपार्टमेन्ट दूसरा है। यह कटिंग और स्क्रुटिनी डिपार्टमेन्ट है। अखबार आते हैं यहां, उनकी स्क्रुटिनी की जाती है कि राजस्थान के सम्बन्ध में या अन्य कौन सी इम्पॉर्टेन्ट न्यूज़ हैं। फिर उसका कटिंग किया जाता है और अलग उसको चिपका कर पचास–साठ उसके सेट बनाये जाटे हैं, फिर उनको मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के पास भेज देते हैं। जो भी कोई कोन्ट्रा डिक्शन निकालना होता है तो उसको निकालते हैं। यह स्क्रुटिनी और कटिंग विभाग का काम है। अखबार का कितना सर्कुलेशन है वह भी हम रखते हैं। लेकिन यह दूसरा प्रश्न है। अगर झूठ है तो उसकी जांच करा लेते हैं। राज्य सरकार के पास सारी सूचना आ जाती है। आपने पूछा कि स्क्रुटिनी व कटिंग विभाग है या नहीं। तो कटिंग और स्क्रुटिनी विभाग है और उसका जो काम है कि पेपर्स को स्क्रुटिनाइज़ करना और कटिंग निकालना, यह मैंने आपको बता दिया। वे उस कटिंग को कर्न्सर्निंग मिनिस्टर के पास भेज देते हैं। उस बारे में उनको वे नोलेज देते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन निकाल देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न स्पष्ट हो गया कि स्क्रुटिनी विभाग का यह काम है कि स्क्रुटिनी करके भेजे।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास न्यूज़ आती हैं, कटिंग आते हैं। एक पन्ने पर चिपका कर भेजी जाती हैं। जैसे हिन्दुस्तान टाइम्स, इसमें यह न्यूज़ छपी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो प्रतिवेदन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तो यह जानना चाहते थे कि रेगुलेरिटी ऑफ पब्लिकेशन है या नहीं, सर्कुलेशन सही है या नहीं, इन सबकी स्क्रुटिनी के लिए कोई मशीनरी है या नहीं? आप प्रश्न को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मन्त्री महोदय ने बताया कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई। मैंने इन्क्वायरी की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : वह मिल जायगी। उसमें विवरण है।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : कितने केसेज़ में सस्पेन्ड हैं?

श्री अध्यक्ष : कौन सस्पेन्ड हैं।

एक माननीय सदस्य : वह दूसरा प्रश्न है और वह आगे आयगा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावसों पर व्यय

४०४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लड़कियों के लिये

Page No 7

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कितने छात्रावास हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) कौन कौन से छात्रावासों में कितनी कितनी लड़कियां हैं ?

(३) हर साल इन छात्रावासों में कितना खर्चा होता है ? प्रत्येक छात्रावास के आंकड़े अलग अलग बताने की कृपा करें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे ।

श्री विजयसिंह झाला

पुलिस विभाग के निलंबित कर्मचारी

४०१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कितने पुलिस कर्मचारी सस्पेन्डेड हैं ?

(२) इतने कितने कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक से सस्पेन्डेड हैं ? सबसे अधिक पुराना केस कौनसा तथा कितने वर्ष का है ?

(३) क्या सरकार के पास कोई नियम है कि सस्पेन्डेड कर्मचारी के केस का निर्णय अमुक समय में हो जाय । यदि नहीं, तो क्या सरकार नियम बनाना चाहती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) कुल ४१३ पुलिस कर्मचारी निलम्बित (ससपेन्डेड) हैं ।

(२) तीन वर्ष से अधिक समय से निलम्बित (ससपेन्डेड) कर्मचारियों की संख्या १२ है, एवं सबसे पुराना केस श्री बद्रीनारायण, बी. जे., जयपुर डिस्ट्रिक्ट का है जो कि ११-६-१९५३ से यानी ६ साल १० माह से निलम्बित (ससपेन्डेड) है ।

(३) जी हां ।

श्री विजयसिंह झाला : नियम कब से बने और ज्यादा से ज्यादा कितने साल सस्पेन्ड रह सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री विजयसिंह झाला : यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने यह बता दिया है ।

श्री विजयसिंह झाला : सस्पेन्डेड केसेज़ का निर्णय अमुक समय में हो जाय, इस पर मंत्री महोदय ने 'जी हां' कहा है । नियम बनाने के बाद कोई कार्यवाही की गई है ताकि उस अवधि में सस्पेन्शन के केसेज़ का निर्णय हो जाय ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कार्यवाही नियमानुसार ही की जाती है ।

श्री विजयसिंह झाला : कितने साल तक एक व्यक्ति सस्पेन्शन में रह सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट का सर्कुलर इस सम्बन्ध में है । दो साल से ज्यादा समय तक सस्पेन्ड नहीं रखा जा सकता । अदालतों में यदि केस चल रहे हैं तो यह

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरी बात है। इस केस में मामला अदालत में चल रहा है और हमारे हाथ में यह बात नहीं है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : छः महीने, दो साल-कितने साल तक सस्पेन्ड रखते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सकुलर गवर्नमेंट का यह है कि दो साल से अधिक किसी को सस्पेन्ड न रखा जाय। यदि केस अदालत में नहीं है तो उसको रिइन्स्टेट करके डिपार्टमेन्टल कार्यवाही करते हैं। हम उस सर्कुलर को मानते हैं। अगर अदालत में मामला चल रहा हो तो दो साल का प्रश्न नहीं रहता। अदालत जब भी फैसला कर दे मामला तब ही निपटेगा। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

बांध योजना, जिला बूंदी

४०२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला बूंदी में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांध बंधवाने की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो उक्त जिले की कौन सी तहसीलों में किस किस स्थान पर बांध बांधकर सिंचाई करने की स्कीम विचाराधीन है ?

(३) क्या इस योजना के अन्तर्गत किसी स्थान पर कार्य आरम्भ करवा दिया गया है ?

(४) क्या ग्रो मोर फूड स्कीम के अन्तर्गत सर्वे करवा कर मन्जूरी दी गई थी और उसका कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) व (३) बूंदी जिले में निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य शुरू किया जा चुका है :

१. बांध पटावदी, तहसील नैनवां।

२. बांध रोतीजा तहसील हिन्डौली, बांध मौतीपुरा तहसील नैनवां का काम भारत सेवक समाज को अलॉट कर दिया गया है व कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायगा।

निम्नलिखित योजनाओं पर सर्वे करके तखमीना बना लिया गया है :

१. बांसोली तहसील नैनवां।

२. खजूरी तहसील नैनवां।

(४) लघु सिंचाई योजनायें 'ग्रो मोर फूड स्कीम' के ही अन्तर्गत हैं। ज्यों ज्यों धन-राशि उपलब्ध होती जाती है कार्य शुरू कर लिया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : योजना जो तैयार की गई है उसमें अवधि निर्धारित होती है कि यह काम कब तक खत्म कर दिया जाय। बहुत पहले से जो काम शुरू किये गये वे काम कब तक खत्म हो जाने चाहिये थे ?

श्री दिनेशराय डांगी : जो भी काम किये जाते हैं एग्रीमेंट के अनुसार किये जाते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसका बजट बनता है और उसके लिए समय निर्धारित होता है मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जो स्कीम चलाई गई है उसको पूर्ण करने का कब तक का लक्ष्य है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जो भी स्कीम्स चल रही हैं वे आलरेडी इन्स्टालमेन्ट में चल रही हैं। उनके रिटर्न्स देखते हुए लेनी पड़ती है, फन्ड्स अवेलेबल होते हैं तभी ली जाती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा निवेदन है कि कब तक, कितनी अवधि में जो स्कीम चालू की वह खत्म हो जानी चाहिये ?

प्रश्न संख्या ४०३

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

निठार डकैती कांड में मारे गये परिवारों को सहायता

४०४. **श्री रामकिशन** (वैर) : [श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया] क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे भरतपुर जिले के निठार डकैती कांड में मारे गये लोगों के परिवारों के लिये सरकार ने आर्थिक सहायता अथवा कोई अन्य सहायता दी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई सहायता देने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री हीराभाई : कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री भीमसिंह : इसका जल्दी ही फैसला किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या उन परिवारों को सहायता देने का विचार है ?

श्री भीमसिंह : यही प्रश्न तो विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न को ही दोहरा रहे हैं बिल्कुल।

नेक्स्ट।

हिंचर बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

४०५. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा): क्या सिंचाई मंत्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) काली सिंध नदी पर बांधे गये हींचर बांध केनाल में आई हुई जमीन का मुआवजा किस रेट से दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक भी नहरों की खुदाई आई हुई जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(३) क्या चंबल नहर केनाल और काली सिंध नदी के नहरों की खुदाई में आने वाली जमीन के मुआवजे की रेटों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 10

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जमीन की किस्म के हिसाब से मुआवजा ६०)रु० से १५०)रु० प्रति बीघा तक दिया गया है।

(२) जी नहीं, कुछ जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी का दिया जा रहा है।

(३) जी हां, अन्तर जमीन की किस्म के कारण है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : बाकी का दिया जा रहा है वह कौन सी किस्म की जमीन है ?

श्री दिनेशराय डांगी : ७० एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है आपसी समझौते से, बाकी के जमीन का मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कालीसिंध बान्ध पर क्या मुआवजा दिया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : कालीसिंध मेन केनाल में २३७ एकड़ का ३-९-५९ को दिया गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': किस रेट पर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : रेट तो कोर्ट निर्धारित करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अब कितनी भूमि का मुआवजा चुकाना है ?

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : कितनी एकड़ भूमि अभी बची है जिसका मुआवजा देना बाकी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : ७० एकड़ का दिया जा चुका है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बाकी कितनी एकड़ भूमि है जिसका मुआवजा आपको देना है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कुल टोटल ७३८ एकड़ है जिसमें से ७० एकड़ का दिया गया है।

श्री भीमसेन : यह भूमि सरकार ने कब एक्वायर की है, कौन से साल में ?

श्री दिनेशराय डांगी : पहले की और टाइप की थी।

श्री श्योपतसिंह : आपने यह भूमि कब ली है, किस तारीख को, किस साल में ?

श्री दिनेशराय डांगी : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अध्यक्ष महोदय, इस बात की आपको भी जानकारी है कि करीब-करीब हर साल यह प्रश्न उठाता रहा हूं जब सिंचाई मंत्री श्री भीखाभाई थे उस समय उनके द्वारा कहा गया था-मुआवजा चुका दिया गया है। लेकिन वह उसी हालत में पड़ी हुई है। अब तक कतई मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ किसानों को १५ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दिया गया जब कि चम्बल एरिया में १५० रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है। जिनको १५ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दिया गया, क्या आप उनको १५० रु० प्रति बीघा के हिसाब से देंगे।

सिंचाई-मंत्री (श्री भीखाभाई) : यद्यपि इस तरह का नहीं है मुझे जहां तक याद है सन् १९५९ में वहां पर बान्ध बनाया था। जो कुछ मुआवजा दिया गया, वह ५६१ से २३७ तक का दिया गया है ३–९–५९ को। ५.०१ से ५.०२ का १९६० में दिया गया है। बाई निगोशियेशन्स दिया जा रहा है। अभी लेटेस्ट जिलाधीश झालावाड़ का ३१–३–६१ को पत्र आया है उसके अनुसार यह है कि १८० एकड़ का मुआवजा देना बाकी है। फिर भी मैं पूरी जानकारी करके माननीय सदस्य को सेटिस्फाइ करने की चेष्टा करूंगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—सु०) : क्या अमुक समय तक मुआवजा देने की अवधि निर्धारित करेंगे ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मेरा सवाल यह है कि जिनको १५ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया उनको फिर १५० रु० देंगे या नहीं जो कि मौजूदा रेट है। जब आप कुछ किसानों को १५० रु० बीघा के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं तो पहले जिनको १५ रुपया दिया है क्या उनको फिर इस हिसाब से भुगतान करेंगे ?

श्री भीखाभाई : मुआवजा अवार्ड के मुताबिक दिया जाता है। अवार्ड दो तरह के होते हैं एक तो जुडिशियल अवार्ड और दूसरा आपसी समझौते के अनुसार किया जाने वाला अवार्ड। तो माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं जो रेट उन्होंने बताई वह पर्टीकुलर जमीन की हो सकती है। आपसी तौर पर निश्चय हो जाय तो उसमें एतराज नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपकी क्या दो रेट्स हैं; एक तो आपसी समझौते की और दूसरी अवार्ड की ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो सवाल किया था वह मंत्री महोदय समझे नहीं। सरकार ने जो जमीन ले ली और उस जमीन का मुआवजा किसी को १५ रुपया बीघा के हिसाब से दे दो। उन बेचारों को १५ रुपये में राजी कर दिया और जो लड़ने वाले थे वे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो उनको १५० रुपया प्रति बीघा से दे रहे हैं; तो क्या १५ रुपया जिसको दिया उसको १५० रुपये के हिसाब से आप देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप कई दफा दौरे पर जाते हैं उस समय अधिकारियों को बुलाकर मौके पर मामले का निपटारा कर सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : अधिकारियों को यहां बुलाकर बात की जाती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप वहां पर पधार कर कर दीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, हर एक योजना के अन्दर मुआवजे का प्रावधान होना चाहिये। पहले भी कितनी ही बार कहा गया है योजना बनती है लेकिन मुआवजे का प्रावधान नहीं होता।

श्री भीखाभाई : जितनी भी नई योजनायें बनती हैं उन सब में हम मुआवजे का प्रावधान रखते हैं और बराबर प्रावधान रहता है। जैसे असनावर का मामला है वह कोटा के समय का था उस समय मुआवजे का प्रावधान नहीं था और अब रेट आफ कम्पेनसेशन चार पांच गुना बढ़ गया है, ये सब स्थितियां हमारे ध्यान में रहती हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बारे में लगातार कई अर्से से प्रश्न उठाये जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय, ने आदेश दिया माननीय मंत्री महोदय को उसका पालन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई ।

सिरोही-कालन्दरी रूट पर बसेज

४०६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१ क्या यह सच है कि सिरोही से कालन्दरी तक 'ए क्लास' रूट है और उस पर पहिले एस. टी. ए. बसेज़ चलती थीं जब कि अब सरकारी बसेज बन्द कर दी गई हैं? अगर हाँ, तो ऐसा करने के क्या क्या कारण है ?

(२) क्या यह सच है कि सिरोही से कालन्दरी 'ए क्लास' रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें चलती हैं ? अगर हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

(३) अगर उक्त रूट पर प्राइवेट ओपरेटर्स को मुनाफा हुआ है तो एस. टी. ए. बसेज इस रूट पर चलने से क्यों रोकी गई थीं। अब पुनः सरकार कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां । प्राइवेट गाड़ियों के साथ साथ एक बस एस० टी० ए० भी चलती थी। लेकिन इस मार्ग पर लोड फेक्टर कम होने के कारण यह बस बन्द कर दी गई। लोड फेक्टर की एक तालिका सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) जी हां । प्राइवेट गाड़ी मालिकों के नाम की जानकारी इस विभाग को नहीं हैं।

(३) प्राइवेट ओपरेटर्स मुनाफे की जानकारी इस विभाग को नहीं है । सरकार इस मार्ग पर अभी गाड़ियां चलाने का कोई विचार नहीं रखती।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले कितनी गाड़ियां चलती थीं स्टेट बस के साथ साथ ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेट रोडवेज़ की एक चलती थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइवेट ओपरेटर्स की कितनी चलती थीं, यह जानकारी आपके पास है ? जिन जिन आधारों पर रूट आप नेशनलाइज़ करते हैं वे सब आधार इस रूटपर हैं। सिरोही से कालन्दरी तक 'ए क्लास' रूट हैं। ये सब आधार मौजूद हैं, फिर आप सरकारी बसेज़ क्यों नहीं चलाते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी कोई विचार नहीं रखती है सरकार। प्राइवेट ओपरेटर्स के साथ चलती थी। जब लोड फेक्टर कम हुआ तो बन्द कर दी गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइवेट ओपरेटर्स को तब मुनाफा होता था जब कि कम्पाटिशन में ज्यादा बसेज़ चलती थीं। यह रूट प्रोफिटेबल है, सरकार यदि चलाती है तो बहुत प्रोफिट हो सकता है।

Page No 13

प्रश्न संख्या ४०७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०८

श्री मजलिसखाँ।

(अनुपस्थित)

कुचामन-घाटवा रूट पर बसें

४०९. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कुचामन से घाटवा बस रूट कब मन्जूर हुआ ? क्या यह रूट सर्वे शुदा है ? यदि हां, तो क्या बस सर्वे शुदा रूट पर चलती हैं ?

(२) इस समय कितनी बसें चल रही हैं व क्या चल रही बसें एप्रूव्ड मोडल की हैं ?

उपमंत्री, यातायात. (श्री भीमसिंह) : (१) कुचामन से केवल घाटवा बस रूट नहीं है बल्कि कुचामन से दांता बस रूट है जिस पर ग्राम घाटवा भी आता है। उक्त रूट पर बस सन् १९५२ से चल रही है, जो सर्वे शुदा है।

(२) उक्त रूट पर पांच परमिट मन्जूर हैं जिनमें से केवल चार बसें चलती हैं एक परमिट सरेन्डर है। कुल मार्ग, 'सी क्लास' है जिस पर एप्रूव्ड मोडल की गाड़ियां चल रही हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कौनसे सन् के मॉडल की गाड़ियां हैं ?

श्री भीमसिंह : एप्रूव्ड मोडल की।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कोई सन् तो होगा ?

श्री भीमसिंह : सन् ५२, ५८, ६०, ६२, ६३।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : ये सर्वे रूट पर चल रही हैं या कोई इधर उधर रास्ते पर चल रही हैं

श्री भीमसिंह : कुचामन टू दांता वाया घाटवा चल रही है। सर्वे रूट पर।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : ये बसें सर्वे रूट पर नहीं चलती बल्कि इधर उधर खेतों को खराब करते हुए चलती हैं। नया रास्ता बनाया है। आप जानकारी कर लें।

श्री भीमसिंह : आप अगर जानकारी दे देंगे तो और चैक आप करवा लेंगे।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कार्यवाही

४१०. श्री कुमारानन्द ('ब्यावर) : Will the Home Minister please reply :-

1. Is it fact that sometime back the Home Minister issued a statement that after finishing the menace of dacoits he is going to root out corruption in the State, which was welcomed by all sections of people in Rajasthan? If so, what measures the Government has taken so far against the menace of corruption rapidly increasing in our State since then ?

Page No 14

(श्री कुमारानन्द)

2. What is the number of officers working in Rajasthan under the Anti-corruption Department and how many cases of corruption have been brought to the notice of the Government during the year 1962-63?

3. Is it a fact that an Anti-corruption Committee exists in Jaipur in which Home Minister is a member and the Chief Minister is Chairman ? What measures does the Committee propose to take to preventcorruption in the State ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) :
1. Yes. The Home Minister did mention it in a press conference. Special staff has been posted in a few districts for the purposes and the scheme for further action is under consideration.

2. The number of officers working in A. C. D. is-

Addl. IGP-1, S. P.-1, Dy. S. P.-16, S. Is.-15

During 1962, 178 complaints were brought to the notice of the Government and in 1963 (upto 31. 7. 63) the number of each complaints is 122.

3. There is no separate Anti-corruption Committee for Jaipur. It is a Board of which the Chief Minister is the Chairman and the Home Minister is a member. The functions of the Board are advisory only, and it has no powers to propose ways and means for eradicating corruption.

श्री कुमारानन्द : Hon'ble Speaker, it is not a proper reply.

What measures has the Government taken, that reply has not-come.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में यह कदम भी उठाया गया है कि तस्करियों की लिस्ट बनाई गई थी और आज उस लिस्ट का भी थानेदार और इन्सपेक्टर वगैरह मिलकर दुरुपयोग करते हैं और उससे लाखों रुपया वसूल कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह बिलकुल गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यदि सही हो तो ?

श्री कुमारानन्द : मेरा प्रश्न यह था कि करप्शन को रूट आउट करने के लिये जैसा गृह मन्त्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया था उस सम्बन्ध में क्या स्टेप उठाये गये हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): क्या भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में यह कदम भी उठाया गया है कि तस्करियों की लिस्ट बनाई गई थी और आज इस लिस्ट का भी थानेदार और इन्सपेक्टर वगैरह मिलकर दुरुपयोग करते हैं और उससे लाखों रुपया वसूल कर रहे है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह बिल्कुल गलत है।

Page No 15

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यदि सही हो तो ?

श्री कुमारानन्द : मेरा प्रश्न यह था कि करप्शन को रूट आउट करने के लिये जैसा गृह मन्त्रीजी ने स्टेटमेंट दिया था उस सम्बन्ध में क्या स्टेप उठाये गये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : We have strengthened the Anti Corruption and have taken certain steps and have certain project Districts.

We are prosecuting the corrupt officers in those districts.

We are training our Anti Corruption Staff and specialising them in various branches of Irrigation, Agriculture etc. so that they can dedect the corruption that goes on in those districts.

The matter is being considered by the Government for the change in the Rules of Anti-corruption in consultaion with the State Authorities and the matter would be considered in the I. G.'s Conference.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो तस्करिये डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट में गिरफ्तार किये गये थे, क्या गवर्नमेंट उनको अब छोड़ रही है ताकि भ्रष्टाचार और तस्कार और बढ़े ?

श्री मथुरादास माथुर : जो पकड़े गये उनको छोड़ने का आज तो कोई सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

जंगलात की सीमा, तहसील गिरवा

४११. **श्री जोधसिंह** (गिरवा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवाल तहसील, उदयपुर में मेवाड़ सरकार के समय जो जंगलात की भूमि थी उसे राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी है और नई सर्वे कराकर नई जंगलात की सीमा पर पत्थर गढ़ी भी हो चुकी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि गिरवा तहसील के कोई गांवों में जंगलात ने अपनी डिमार्केशन लाइन गांव के घरों के पास भी लगादी है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे गावों की सूची दें ?

(३) क्या यह सही है कि गांव हवाला बवड़ा, गोलेका, डोडावली, भेसडा बडी आदि जंगलात की पत्थर गढी घरों के पास आगई है जिससे आये दिन जानवर पकड़े जाते हैं और लोग परेशान हैं ?

(४) क्या यह सही है कि मग्रा भेसड़ा में मेवाड़ सरकार के समय जो जंगलात की लाईन थी उसे बाद में राजस्थान सरकार ने जंगलात कराई और जंगलात की सीमा को बढ़ादी है जिससे उनकी चरणोट की जमीन भी अन्दर आ गई है ? क्या सरकार जिन जिन गांवों की चरणोट की जमीन जंगलात में आ गई है उसे वापस छोड़ने का आदेश देने का विचार रखता है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): चूंकि यह प्रश्न विस्तृत और विषद् होने

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये आगे के लिये स्थगित किया जाय, यह प्रार्थना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं ऐसे मामलों पर ऑब्जेक्शन करता रहा हूँ। यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है; अगर प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त हो सकने की सम्भावना थी तो आपको इसकी सूचना पहले देनी चाहिये थी ताकि प्रश्न आता ही नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सूचना दे दी गई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक बार पहले भी मैंने अर्ज किया था। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : यह प्रश्न भी साधारण सा है। कोई लम्बा-चौड़ा नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है, हमेशा इसी तरह टाला जाता है जब महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं तब।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : समय पर सूचना दे दी गई है, अध्यक्ष महोदय, ऐसा मेरा विश्वास है। अब किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना, यह मेरी आदत के भी बाहर है। पर जब उसका उत्तर आ ही नहीं सका तो इसलिये मैंने पोस्टपोनमेन्ट चाहा है। जवाब····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके पास सब कुछ सूचना है। यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस समय तो मेरा प्रिविलेज है। मैं सदन में खड़ा हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रिविलेज तो हमारा खा रहे हैं आप।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अभी तो मेरा है। आपका जब खाऊं तब फरमाइयेगा। मेरे ही प्रश्न पर जब मैं कतिपय मौकों पर आग्रह करता हूँ पोस्टपोनमेन्ट के लिये, तब ऐतराज उठाया जाता है, आज यह दूसरा प्रश्न है जिस पर मैंने पोस्टपोनमेन्ट चाहा है। क्योंकि इस प्रश्न की विस्तृत स्थिति को देखकर प्रयत्न करने पर भी इन्फोर्मेशन जब नहीं आ सकी तो ऐसी हालत में विवशता प्रकट की है। आपको ऐसे समय सहयोग देना चाहिये था, बजाय इसके कि आप इस तरह से कहते।

श्री जोधसिंह : क्या यह सही है कि यह मामला डेढ़ साल पुराना है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

विद्युत मण्डल के गजटेड ऑफिसर्स पर वार्षिक व्यय

४१२. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) राजस्थान राजकीय विद्युत् मण्डल बनने के बाद गजटेड ऑफिसर्स की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ? कृपया ब्यौरेवार बतावें । इन पर वार्षिक व्यय कितना बढ़ा है ?

(२) मंडल बनने से पहले गजटेड ऑफिसर्स पर कितना खर्चा होता था और अब कितना होता है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) १७६ ऑफिसरों की बढ़ोत्तरी हुई है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । १९६३-६४ के बजट की राशि १९५६-५७ से ८.३९ लाख अधिक है ।

(२) मण्डल बनने के पहले खर्चा ३.२५ लाख था और १९६३-६४ में खर्चा बजट के अनुसार ११.६४ लाख है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

घुड़सवारी की ट्रेनिंग

४१३. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों को घोड़े चलाने की ट्रेनिंग कहां दी जाती हैं ? और वहां से प्रति वर्ष कितने छात्र ट्रेन्ड निकलते है ?

(२) राजस्थान में किस किस थाने पर कितने कितने घुड़सवार तैनात हैं और राजस्थान में कितने थानेदार घुड़सवारी में ट्रेन्ड हैं और कितने थानों में घोड़े रक्खे जाते हैं ?

(३) घुड़सवारी की ट्रेनिंग में राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितना व्यय करना पड़ता है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों को घोड़े चलाने का शिक्षण पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में दिया जाता है । प्रति वर्ष १२८ को रिफ्रेशर्स कोर्स के थानेदार एवं वर्ष में नये भर्ती किये गये थानेदार जिनकी संख्या हर साल खाली जगहों के आधार पर पृथक् पृथक् होती है ।

(२) राजस्थान में किसी भी थाने पर न तो घुड़सवार हैं और ना ही घोड़े ही रक्खे जाते हैं । साधारणतया सभी कन्फर्म्ड थानेदार तथा प्रोबेशनर थानेदार जिनकी संख्या लगभग ८९० है । घुड़सवारी की शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं ।

(३) लगभग ४१,०००) रुपये सालाना ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बोर्डर के थानों में भी घुड़सवारों की आवश्यकता सरकार नहीं समझती ?

गृह-मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : बोर्डर की पोस्टों पर दो दो घोड़े रखने की व्यवस्था की गई है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने तो उत्तर में ना कहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने थाना कहा था ।

Page No 18

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ऊंट सवारी की भी ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका अलग सवाल पूछ लिया गया है, टर्न पर जवाब दे देंगे। वैसे मैं निवेदन कर दूं कि जहां ऊंट हैं वहां वालों को इसकी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो वे पैदा होते ही इसे जानने लगते हैं।

घोड़ों के लिये ट्रेनिंग दी जाती है जैसा निवेदन किया गया है प्रश्न के उत्तर में और वह ट्रेनिंग देने के बाद में उनका पोस्टिंग किया जाता है। घोड़े सिर्फ गंगानगर जिले में बोर्डर की पोस्टों पर रखने की व्यवस्था की गई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मच्छर मारने के लिये जीपें रख रक्खी हैं और डाकू-चोरों के लिये घोड़ों से काम चलाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये जीपें भी हैं, घोड़े भी हैं, पैदल भी हैं, ऊंट भी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तो क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि इसके लिये हर थानेदार को घोड़ा दिया जावे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोतीलाल चौधरी : घोड़े जब थाने में नहीं दिये जाते तो फिर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है ?

श्री मथुरादास माथुर : ट्रेनिंग तो देना जरूरी है ताकि किसी मौके पर अगर जरूरत पड़ जावे और बैठ कर किसी डाकू या चोर का पीछा करना पड़े तो यह ट्रेनिंग काम आवे। अगर पीछा करना है किसी का घोड़े पर बैठकर तो घोड़ा किसी का लिया जा सकता है मौके पर।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उस समय घोड़ा कहां से आ जावेगा एक दम ?

श्री मथुरादास माथुर : गांव वालों से मांग लेते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हर एक गांव में घोड़े होते हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। कहीं जीप, कहीं साइकिल, कहीं ऊंट और कहीं घोड़े; जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार काम में लाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप उस समय किस किस से मांगेंगे ? क्या आपने ऐसी कोई लिस्ट बना रखी है कि मौका पड़ने पर इससे घोड़े मांग लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : काम पड़ने वाले ऐसे स्थान हैं जहां घोड़े, ऊंट और जीप वगैरह सब कुछ रखे जाते हैं। पुलिस फोर्स के पास जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, जीप भी हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का मतलब यह है कि ऊंट तो आप रखते हैं। घोड़ों की जहां व्यवस्था नहीं है फिर भी उनको ट्रेनिंग दें जब कि शायद कैरियर में घोड़े पर बैठने का

(श्री अध्यक्ष)

बहुत कम मौका मिले, क्या आप उसको वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर नहीं समझते ?

श्री मथुरादास माथुर : ट्रेनिंग तो हम स्वीमिंग की भी देते हैं, घुड़सवारी की भी देते हैं। यह ऑल इन्डिया लेवल पर कैरिकुलम बना हुआ है, उसके अनुसार चलते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सरकार के पास कुल घोड़े कितने हैं ?

श्री भीमसिंह : जो ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग के काम घोड़े आते हैं उनकी संख्या २० है।

श्री अध्यक्ष : श्री हुकमसिंह।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : २० घोड़ों के लिए तो आपने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिसका नाम पुकारा जाये वही बोलें। श्री हुकमसिंह।

श्री हुकमसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित नहीं होगा कि जब ऊंट हैं तो उनको ,वह ट्रेनिंग ही क्यों न दी जाये, यह कैसे हो सकता है। ऊंट का हमारे पास इतना मैटीरियल है कि कांस्टेबल, हैड कान्सटेबल, और सब इन्सपेक्टर्स सब लोग ऊंट चलाना जानते हैं। कईयों के पास तो अपने खुद के हैं। कुछ सरकारी हैं। वहां ऐसे आदमियों को रख दिया जाता है। ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा सप्लीमेन्टरी प्रश्न था कि पंजाब पुलिस में हर एक थानेदार को घुड़सवारी सिखायी जाती है और घोड़े प्रोवाइड किये जाते हैं और राजस्थान के अन्दर आम तौर पर थानेदारों को यह कन्वेयेन्स का काफी कष्ट है। जो आप कहते हैं मांग लेते हैं और आपके थानेदार किस तरह मांग लेते हैं यह तो सदन के सारे सदस्य जानते। इसलिए क्या आप उचित नहीं समझते हैं कि प्रति थानेदार एक घोड़ा दें और उसके लिए उनको अलाउन्स दें ताकि उनको सहूलियत रहे।

श्री मथुरादास माथुर : यह अलग अलग थाने की अलग अलग व्यवस्था है। जिस तरह का थाना होता है उसी तरह की व्यवस्था करनी होती है। जहां जरूरत होती है वहां ऊंट रखे जाते हैं और शहरों में हम साइकिल और मोटर साइकिल देते हैं। जहां जरूरत समझी जाती है इन्सीडेन्स ऑफ क्राइम देख कर किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

तालाब व नहरों की मरम्मत

४१४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में छापली के नये (सागर) तालाब की दोनों नहरें टूटी हुई होने के कारण उनका पानी व्यर्थ जा रहा है और इस तरह सैकड़ों मन अनाज के उत्पादन में कमी हुई है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार फौरन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

उक्त नहरों की मरम्मत कराने का काम आरम्भ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : फिर से कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने, अध्यक्ष महोदय, बताया कि वहां एक ही नहर है और जब कि माननीय सदस्या दो नहरों के बारे में कह रही हैं। दूसरे का उत्तर दिया है कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जैसे गांव गायब हो गया था वहां नहरें भी गायब न हो जायें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरे साथ चलें और मैं बताऊंगी कि पानी कितना निकल रहा है। नहर जगह जगह से टूटी हुई है।

श्री दिनेशराय डांगी : साथ चलने के लिए मैंने डी० ओ० भी लिख दिया है और इन्टीमेट कर दिया है। आप कहेंगी तो मैं साथ भी चल दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

रायसिंहनगर-अनूपगढ़ सड़क

४१५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर से अनूपगढ़ तक की सड़क मन्जूर हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

(२) क्या उपरोक्त सड़क रायसिंहनगर से भीमपुरा होती हुई अनूपगढ़ तक स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो यह सड़क कितनी लम्बी है ?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क कुल गैर आबाद इलाके में जाती है ? भीमपुर तथा समेजे तक तो यह सड़क गंगनहर क्षेत्र में है तथा बाद में राजस्थान केनाल क्षेत्र में से गुजरती है ?

(४) क्या यह सही है कि यदि इस सड़क को ठाकरी ४१ एन० पी० ४० एन० पी० बगीचा जैसे बड़े गांवों और एन० पी० नहर के चकों में से निकाल कर अनूपगढ़ पहुंचाया जाय तो इस सड़क का फासला नहीं बढ़ता तथा राजस्थान कैनाल का भी उतना ही हिस्सा सड़क पर जाता है जितना उपरोक्त योजना में ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को भाग ४ के अनुसार बदलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, कार्य आरम्भ हो चुका है। आशा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक।

(२) जी हां। ३० मील ५ फर्लांग।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। फासला बढ़ता है।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(५) विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितना फासला, बढ़ता है, मैंने यह पूछा है कॉन्क्रीटली।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु यह मामला विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि अगर फासला नहीं बढ़ता है तो क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि सड़क को गांव से निकालें ताकि कनवेयेन्स का वहां के लोग फायदा उठा सकें और लोगों को डेज़र्ट की दिक्कत अनुभव न हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि विचाराधीन है मामला।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : कब तक विचाराधीन रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

खाटू-तरनाव सड़क

४१६. श्री गंगासिंह (जायल) : Will the P. W. D. Minister please reply -

1. Is it a fact that former State Government of Jodhpur had decided to construct a road from Khatu to Tarnao via Sandila, Unchagadh and Kansan Villages.

2. Is it a fact that even after the formation of Rajasthan the road was sanctioned ?

3. Is it a fact that the construction of this road would cause increase in Government income through quaries of Khatu ?

4. Is the Government thinking of constructing the road now ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) जी नहीं

(३) खाटू अब भी, सड़क द्वारा कनेक्टेड है। इसलिए इस पर अधिक बढ़ोतरी हो या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(४) जी नहीं।

श्री गंगासिंह : फोर्मर स्टेट में भी इस प्रकार का निर्णय लिया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जोधसिंह : रद्दी की टोकरी में है।

प्रश्न संख्या ४१७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल।

जयपुर-ग्राम वाटिका सड़क की मरम्मत

४१८. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू):

(श्री नाथूलाल करोल)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या जयपुर टोंक रोड में से जो टुकड़ा सड़क का ग्राम वाटिका तक गया हुआ है वह बिलकुल खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस सड़क की मरम्मत करा करके उस पर तारकोल कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : सड़क की दशा साधारण है । यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है । इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब तक इस पर डामर कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल ।

बारी लालपुरा वन सहकारी समिति द्वारा जंगल की मांग

४१६. **श्री विट्ठल** : (बांसवाड़ा–सु०) [श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया] क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा की बारी लालपुरा वन सहकारी समिति ने बारी लालपुरा जंगल की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक जंगल देने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ? [illegible] कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों ?

उप-मंत्री वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं । सोसाइटी में रजिस्टर होने से पूर्व सिर्फ कल्चरल ऑपरेशन की कटी हुई लकड़ी लेने के लिए मांग की थी और वह भी कम कीमत पर । बाद में उप-वन संरक्षक ने इस मामले के संबंध में बात करने को बुलाया पर सोसाइटी वाले नहीं आये व फिर दरख्वास्त वापिस ले ली ।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिलकुल गोलमाल कर दिया यह तो । अब उसके बारे में मैं भी तो गया था और उन्होंने कुछ दिन पहले वायदा किया फिर यह मामला दबा दिया और आप कहते हैं कि उनको बुलाया और वह आये नहीं । इस तरह गोलमाल क्यों जवाब देते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत स्पष्ट है । गोलमाल कहीं नहीं है । उन्होंने २७०० मन लकड़ी मांगी जब कि कीमत ३०३३ थी । रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं, बुलाया पर आये नहीं ऐसी स्थिति में और इन सब स्थिति में नहीं लेने की हालत में था । गोलमाल का कहीं प्रश्न नहीं उटता है ।

श्री हीराभाई : साल भर हो गया....

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ४२० नम्बर का क्वेश्चन हाउस में नहीं आना चाहिए ।

गैरेज तथा आटोमोबाइल्स विभाग की बकाया रकम

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): प्रश्न संख्या ४२०

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह मंत्रालय के उपयुक्त नम्बर है।

४२०. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य गैरेज तथा ऑटोमोबाइल्स विभाग की काफी रकम कई लोगों में कई वर्षों से बाकी है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : राज्य गैरेज तथा ओटोमोबाइल्स विभाग की जिन-जिन व्यक्तियों में जो बकाया है जितने अर्से से बाकी है उसकी सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह जो लिस्ट मिली है इसमें १३ लाख रुपये बकाया बताये। कुछ प्राईवेट लोगों को इसमें उधार दिया गया है। क्या सरकार की स्वीकृति ले ली गयी थी उनको उधार देने के पहले ? यह अमाउन्ट २० हजार रुपये के करीब है जिसमें प्राईवेट आदमियों को मोटर गैरेज़ से उधार दी गयी है यह न तो सरकारी आदमी हैं, न ऑफिसर्स हैं और न मिनिस्टर्स हैं तो क्या ऐसे प्राइवेट आदमियों को उधार देने के पहले स्वीकृति ले ली गयी थी ?

श्री भीमसिंह : उनमें जो बकाया है उसका ही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बकाया तो है लेकिन उधार देने के लिए राज्य की मन्जूरी थी प्राइवेट आदमियों को ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या सरकार के रूल्स हैं कि गवर्नमेंट गैराज से प्राईवेट आदमियों को पैट्रोल उधार दे सकते हैं या कुछ मरम्मत वगैरह भी उधार करवा सकते हैं ? कौन से रूल्स के माफिक गवर्नमेन्ट के गैराज से प्राईवेट आदमियों को पेट्रोल या मरम्मत उधार देने का प्रावधान है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : और कुछ पूछें ?

श्री गोकलप्रसाद शर्मा : एक थोड़ा सा और पूछना चाहता हूं। पेज ३४ पर आपने दिया है एक एक्स-ड्राफ्ट्समैन हैं उन में ७,०६० रुपये बाकी हैं, यह कहां के रहने वाले हैं ? आप इनसे रुपया कैसे वसूल करेंगे पहला ही नाम है पेज ३४ पर।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्राईवेट आदमी, एक्स-ड्राफ्ट्समैन, के अन्दर बकाया निकाला हुआ है -यह डिस्बैंड गेरेजेज़ थे उस टाइम के अलग अलग दिये गये थे, उसकी अलग अलग फिगर्स हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है। या तो सरकार इनकी वसूली की कार्यवाही करे या जो राइट ऑफ करने वाले हैं उनको राइट-ऑफ करे। हरएक इन्डीविजुअल आइटम पर जो कुछ करना है वह करे ताकि इतनी उधार तो नजर नहीं आये।

Page No 24

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन लाख रुपये तो वसूल हो चुके हैं। बाकी वैरियस डिपार्टमेन्ट्स में पी० डी० आर० के तहत उनको नोटिसेज़ जारी हैं और कार्यवाही चालू है।

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसहाय।

गम्भीर नदी पर पुल

४२२. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गम्भीर नदी पर पुल बनवाने हेतु ठिकाना श्री महावीर ने सरकार के पास २ वर्ष पूर्व एक लाख रुपया जमा कराया था ? यदि हां, तो वहां पुल का कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : जी हां, इसके एस्टीमेट तथा पुल का डिज़ाइन पुनः बनाया जा रहा है। इसके बाद टेन्डर आमन्त्रित किये जायेंगे।

श्री गोविन्दसहाय : माननीय अध्यक्ष, पिछले सदन में माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि टेन्डर स्वीकृत हो गये हैं और काम जल्दी शुरू हो जायगा। अब माननीय उप मंत्री फर्मा रहे हैं कि दुबारा डिज़ाइन बन रहा है तो किसको सही माना जाय ?

एक माननीय सदस्य : दोनों ही सही हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं जो अभी उत्तर दे रहा हूँ उसको सही माना जाय।

श्री गोविन्दसहाय : दो साल पहले से एक लाख रुपये पड़े हुए हैं और हर वक्त यह कहा जाता है कि डिज़ाइन बन चुके हैं और टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं तो फिर डिज़ाइन कैसे बन रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेन्डर स्वीकार करने का कभी नहीं कहा। टेन्डर अगर स्वीकार किये जा चुके थे तो काम शुरू हो जाता।

श्री गोविन्दसहाय : निर्माण मंत्री महोदय ने यह कहा था कि टेन्डर स्वीकृत हो गये हैं। आपको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री गोविन्दसहाय : रुपया जमा करा रखा है मगर काम नहीं किया जा रहा है और यहां पर प्रश्न को टाला जा रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उसका एस्टीमेट बना होगा, तखमीना बना होगा उसके बाद में मंत्री महोदय कहते हैं कि स्कीम गलत हो सकती है और पेंडिंग रुपया पड़ा हुआ है तो कुछ तो आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि डिज़ाइन बन

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं और डिज़ाइन ऐसी चीज़ हैं कि जिसके बारे में पूरी जांच करके ही बनाने चाहिए नहीं तो पहली बरसात में ही वह टूट जाएगा।

श्री गोविन्दसहाय : दो बार टेन्डर स्वीकृत हो चुके हैं, ऐसा सदन में बतला चुके हैं फिर तीसरी बार कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले ऐसे ठेकेदारों से टाइम का क्यों नहीं करार किया जाता है ? आपने पहले यह कहा था कि टेन्डर स्वीकृत हो चुके हैं और काम ज़ल्दी ही शुरू हो जायगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेन्डर स्वीकृत हो गये होते तो काम शुरू हो जाता।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): जहां तक पुल बनाने का सवाल है उसमें दो राय नहीं है। पुल जरूर बनेगा। लेकिन टेक्नीकल राय में कि पुल कहां बने, इस पर झगड़ा चल रहा है। जैसा कि जनता चाहती है वहां पर एक कर्व है और टेक्नीकल राय से कर्व पर पुल बनाया जायगा तो वहां पर पानी का दबाव ज्यादा रहेगा। दूसरी जगह जहां बनाने का सवाल है उसके लिए टेक्नीकल राय ली जा रही है। वह टेक्नीकल राय आने पर पुल का काम शुरू हो जायगा।

श्री गोविन्दसहाय : सन् १९६२ के मार्च में माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया था कि टेन्डर स्वीकृत हो गये हैं और काम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। उस वक्त सारा निर्णय करने के बाद ही टेन्डर आमन्त्रित किये होंगे। अब साल भर बाद यह स्थिति आ जाती है कि पब्लिक चाहती है दूसरी जगह और सरकार चाहती है दूसरी जगह।

श्री अध्यक्ष : वे टेन्डर वापिस किये गये होंगे या फिर से टेन्डर इन्वाइट किये गये, क्या स्थिति है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जांच कर लेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस बारे पर दो बार डिज़ाइन बनवाने पर जो खर्चा हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रश्न यह है कि टेक्नीकल एडवाइस होने पर जब तक नक्शा नहीं बन जाता है उससे पहले टेन्डर कैसे काल किये गये ? क्या यह नियम के खिलाफ नहीं था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई नियम के खिलाफ नहीं है। डिज़ाइन बाद में भी बदलने की आवश्यकता महसूस हो सकती है तो बाद में भी बदले जा सकते हैं। टेन्डर स्वीकार कर लिये होंगे तो उसके बाद में डिज़ाइन बदलने का सवाल नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, अब कभी भी ऐसी बात मालूम पड़े तो डिज़ाइन बदलने की जरूरत हो जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, बिना नक्शे बने हुए कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितना व्यय होगा ? उसका क्या रास्ता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्रारम्भिक सर्वे होती है तो उससे अनुमान लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। मैं दूसरे माननीय सदस्य से कह चुका हूँ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : कृपया यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक लाख रुपया जो जमा करवाया गया है वह किन शर्तों पर किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : वह जमा है सरकार में।

श्री फूलचन्द जैन : कोई योजना होगी या किसी आधार पर लिया गया होगा ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ३–४ लाख का खर्च होगा उसके आधार पर १ लाख की बातचीत हुई उस पर लिया गया।

श्री फूलचन्द जैन : कोई एस्टीमेंट बना होगा उसके आधार पर बनाया होगा कि इतने लाख रुपये खर्च होंगे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : प्रारम्भिक सर्वे हो जाती है उसके आधार पर कर लेते हैं। डिटेल्ड सर्वे बाद में करनी पड़ती है।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, प्राय: यह देखा जाता है कि जो तथ्य मंत्री महोदय को देने चाहिए वे नहीं देते हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम १ लाख रुपये जो जमा कराये हुए हैं और टेन्डर कॉल कर दिये तो टेन्डर बिना नक्शे के कॉल किया जाना नियम के विरुद्ध है। वे सही रीज़न नहीं देते हैं कि दरअसल में काम किसलिए रोका जा रहा है। सदन को उसकी जानकारी चाहिए। हमको भी आगे जाकर सूचना देनी पड़ती है। कोई न कोई पूछे तो उसको जवाब में क्या कहें ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): दूसरा सवाल यह है कि एक लाख रुपये का टेन्डर मंजूर कर लिया और ५ साल में भी पुल नहीं बना है और इन्जीनियर साहब भी नियुक्त कर दिये गये तो क्या जानबूझ कर हमारे खजाने पर डाका डलवाया जा रहा है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैं उत्तर स्पष्ट दे चुका हूँ। कोई टालमटोल का उत्तर नहीं दे रहा हूँ।

श्री गोविन्दसहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूँगा कि अब काम कब शुरू हो जायगा ? और मंत्री महोदय ने जो बतलाया है वह बिल्कुल गलत है ...

श्री अध्यक्ष : इसमें गलत का क्या प्रश्न है ? आप, जो उन्होंने कार्यवाही की है, उससे असहमत हो सकते हैं। गलत का क्या सवाल है। (श्री गोविन्दसहाय के बोलने पर) Order please ! आप सोच-समझ कर भाषा का इस्तेमाल करें। उन्होंने जो स्थिति थी वह आपके सामने रखी। आप उससे असन्तुष्ट हो सकते हैं, लेकिन गलत का प्रश्न नहीं आता।

नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : प्रश्न संख्या ४२४।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेरा प्रश्न ४२३ था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४२३ का उत्तर पहले दे दें।

फॉरेस्ट एरिया एवं नर्सरी के मजदूरों की बकाया

४२३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोड़ बीड़ जिला बीकानेर के फोरेस्ट एरिया एवं नर्सरी में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी काफी अर्से से बकाया पड़ी है ?

(२) अगर हां, तो किस किस मजदूर की कब कब से बकाया पड़ी है ?

उप-मंत्री वन (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

मैला ढोने के तरीकों में सुधार

४२४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में भंगियों को अभी भी सर पर मैला ढोना पड़ता है ?

(२) क्या सरकार ने इस प्रथा को बन्द कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए जांच करके सिफारिश करने के लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की थी और उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है ?

(४) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या क्या निर्णय लिये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि म्युनिसिपल कमेटियां ही इस रिपोर्ट में सुझाये गये सुधारों को लागू करवा सकती हैं ? और इसलिए उनके पास इन सिफारिशों को लागू करवा सकने के अधिकार होने चाहिए ?

(६) क्या सरकार म्युनिसिपल कमेटियों को इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी देने पर विचार करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री : (श्री भीखाभाई) (१) जी हां ।

(२) जी हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरपालिकाओं को हाथगाड़ियां ! व्हील-बेरोज़) आदि के लिए सहायता देने का प्रावधान रखा है और उसके अनुसार १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में रु० १,५८,००० तथा १८५,००० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां । राज्य सरकार ने मलकानी कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी जिसकी सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

(५) जी हां ।

(६) प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह १,५८,०००) रु० किस प्रकार से व्यय किया जायगा ? यह जो आपने १,५८,०००) रु० म्युनिसिपेलिटी के लिए तय किया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका उपयोग किस प्रकार होगा ?

श्री भीखाभाई ; मैंने निवेदन किया कि व्हील बेरोज़ खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी गई है जो कि भारत सरकार की ओर से मिली है उसी अनुपात से खरीदें यह कहा गया है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह मालूम हुआ है कि बहुत सी म्युनिसपेलिटियों ने, अलग रुपया उनको देने के बावजूद भी, अलग अनुदान करने के बावजूद भी, इस प्रकार के व्हील बेरोज़ नहीं खरीदे । इसलिए राज्य सरकार की तरफ से यह सोचा जा रहा है कि सेन्ट्रली खरीद कर सप्लाई कर दिये जायं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : आज दिन भर इसी पर बहस होगी ।

(विराम)

श्री उमरावसिंह

झाडोल के पास बांध-योजना जिला भीलवाड़ा

४२५. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या कोटड़ी जिला भीलवाड़ा तहसील में झाडोल के पास कोई बांध बनाने की योजना है ?

(२) क्या इस बांध का सर्वे हो चुका है ?

(३) इस बांध से कितनी जमीन पीवल होगी ?

(४) क्या यह सही है कि इसके बनने से चार गांव उठ जावेंगे व इसके पेटे में सैकड़ों बीघा जमीन जिसमें खेती होती है व पक्के कुए हैं, डूब जायेंगे ?

(५) इस बांध पर कितना खर्च होगा ?

(६) इसके पेटे में आने वाली जमीन व गांवों को कितना रुपया मुआवजा देना पड़ेगा ?

उप–मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) बांध से करीब ३ हजार एकड़ भूमि प्रति वर्ष सिंचाई का अनुमान है ।

(४) इस बांध की डूब में कहीं भी कोई मकान इत्यादि नहीं आते हैं । केवल १२७३ एकड़ जमीन व ४७ पक्के कुए व २२ कच्चे कुए डूब में आयेंगे । इस भूमि में से जनता की भूमि ७३४ एकड़ है और बाकी सरकार की है । इसमें भी १५ एकड़ गोचर है और बाकी खेती वाली जमीन है ।

(५) इस बांध की अनुमानित लागत २६,२४,०००) रु० है ।

(६) मुआवजा कलेक्टर के दिये हुए अवार्ड के अनुसार दिया जाता है उसके लिए २, ०४, ०००) रु० का प्रावधान किया गया है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि इस बांध के बनने के बाद सिर्फ ३००० एकड़ जमीन पीवल होगी और इसमें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

डूबने वाली जमीन है १३०० एकड़ और इसके अन्दर इतने कुए बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि ३००० एकड़ पीवल नहीं होगी और उससे ज्यादा नुकसान यह होगा कि १३०० बीघा जमीन डूब जायगी और जिन पर पक्के कुए बने हुए हैं उनके मुआवजे में जो खर्चा होगा वह कहीं ज्यादा होगा। इसलिए मैं समझता हूं और मैं खुद भी वहां जाकर देख आया हूं कि वहां पर डूब की जमीन के अलावा कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसमें पीवल की जाय। वह जमीन कुल ५००-७०० एकड़ है। जिसके अन्दर यह बनाया जायगा वह सारी की सारी जमीन काश्तकारों की खुद की है और उसमें पक्के कुए बने हुए हैं। जो बांध बनाया जा रहा है वह एक राजनैतिक जिद्द की वजह से बनाया जा रहा है। इस बांध का सर्वे करवाया जाय। इस बांध के बनने से ज्यादा नुकसान होगा लेकिन फायदा होने वाला नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में बताया कि ७३० एकड़ भूमि है। यह टेक्नीकल रिपोर्ट आ गई है। ये अपनी मर्जी से कह दें तो बात अलग है........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : २६ लाख रुपयों पर रिटर्न का पर्सेन्टेज क्या होगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे पूरा तो बोल लेने दीजिये। ७३० एकड़ जमीन जनता की आती है, इसके अलावा और कोई आती नहीं है। इस समय यह रिपोर्ट सर्वे इन्वेस्टिगेशन के लिए पड़ी है। यदि सही हुआ और रिटर्न ठीक बैठा तो ली जायगी वरना नहीं ली जायगी।

अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह अजीब व्यवस्था है जहां पर जमीन इतनी डूब में आती है और वहां की जनता नहीं चाहती वहां पर तो बांध बनाना चाहते हैं, जबरन बांध बनाये जाते हैं और जहां पर सिंचाई योग्य तालाब बने हुए हैं और सूखे पड़े हैं उनकी ओर सिंचाई विभाग आंख उठा कर भी नहीं देखता।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : तालाब बनाने की अभी बात नहीं है। अभी तो वह सर्वे एण्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए है। सर्वे एण्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर बोर्ड में जायगी। उसके बाद हमारे पास पैसा होगा तो बात की जायगी। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था उसका उत्तर दे दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की मेज पर कागज पड़े रहने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं, सरकार निर्णय ले तो उनको ध्यान में रखें।

श्री रविशंकर याज्ञनिक।

वाडाखेड़ा जोड़ की आमदनी-सिरोही

४२६. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंड-

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

वारा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सिरोही के वाड़ा खेड़ा जोड़ की आमदनी सन् १९५०-५१ से १९६२-६३ तक प्रतिवर्ष कितनी हुई ?

(२) सन् १९६१-६२ एवं ६२-६३ में आमदनी क्यों बढ़ी ?

(३) सन् १९५० से १९६३ तक किस किस वर्ष कौन कौन रेंजर रहे ?

(४) १९६१ के पहले वाड़ा खेड़ा जोड़ की आमदनी कम रहने का क्या कारण है ? जबकि दूसरे सभी जोड़ों की आमदनी बढ़ी है ?

(५) क्या यह सही है कि यह आमदनी पहले के रेंजर के तबादले के बाद बढ़ी है ?

उप-मन्त्री वन (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको अगले टर्न पर रखा जावे ।

डूंगरपुर मेवाड़ सड़क योजना

४२७. श्री विजयपाल (डूंगरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या डूंगरपुर से मेवाड़ सड़क बनाने की कोई योजना है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में जनता की दर्ख्वास्तें भी पेश हुई हैं ?

(३) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) जिला परिषद डूंगरपुर द्वारा इस सड़क की मांग की गई है।

(३) अर्थाभाव के कारण अभी योजना में शामिल नहीं की जा सकी है।

श्री विजयपाल : क्या सरकार इस रोड को बनाना उचित नहीं समझती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उचित तो कइयों को समझते हैं लेकिन पैसा हो तब काम चले ।

श्री विजयपाल : यह आदिवासी एरिया है, यहां के लोगों को इस सड़क के बिना बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए सरकार को यह रोड शीघ्र बनानी चाहिये ताकि आदिवासियों को तकलीफ न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बसों के राष्ट्रीयकरण में राज्य की पूंजी एवं उस पर व्याज

४२८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सन् ६२ के अन्त तक बसों के राष्ट्रीयकरण उद्योग में राज्य की कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी ?

डेप्रिसियेशन, व्याज व अन्य खर्च

Page No 31

(श्री मुरलीधर व्यास)

निकाल कर राज्य को अपनी रकम के कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है ?

(२) जिन रूटों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है उन रूटों द्वारा सरकार को पहिले से अधिक आय है या कम ? क्या यह आय यात्रीकर या रेट बढ़ाने से बढ़ी है या सुविधा से ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सन् १९६२ तक राष्ट्रीयकरण उद्योग में कुल १,२४,८६,८०९ रुपये की पूंजी लगी हुई थी । जिस पर डेप्रिसियेशन, ब्याज व अन्य खर्च निकालने के उपरान्त सन् १९५९-६० में २.६५ व १९६०-६१ में ४.८५ प्रतिशत लाभ हुआ । ६१-६२ में कोई लाभ न होकर अप्रेल सन् ६२ से दिसम्बर सन् ६२ तक यह लगभग १५ प्रतिशत रहा है ।

(२) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार को अधिक आय हुई है, एफिशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल रखने से हुई है ।

छुट्टी के दिनों की तनख्वाह, नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी

४२९. **श्री कुमारानंद** (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि नेशनल बॉल बेयरिंग के श्रमिकों को छुट्टी के दिनों की तनख्वाह नहीं दी जाती है जिससे श्रमिकों में काफी असंतोष है ?

(२) क्या यह सच है कि बाल बेयरिंग के श्रमिकों ने बार बार कंपनी से तथा श्रम विभाग में इस के खिलाफ शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में जांच करके श्रमिकों को छुट्टी के दिनों की तनख्वाह दिलाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) नेशनल बॉल बेयरिंग के श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश के दिनों की तनख्वाह नहीं दी जाती है जो फैक्टरीज़ एक्ट के मुताबिक है । उक्त कानून के अंतर्गत मिलने वाली सवैतनिक छुट्टियां श्रमिकों को दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त वर्ष में ८ दिन की सवैतनिक छुट्टियां त्योहार व राष्ट्रीय पर्वों के कारण भी दी जाती हैं ।

(२) श्रमिकों ने केवल एक बार आकस्मिक छुट्टियों (केज्युअल लीव) को सवैतनिक देने के संबंध में प्रश्न उठाया था, जिस पर समझौता वार्ता की ! यूनीयन को इस संबंध में व्यवस्थापकों से प्राप्त उत्तर की प्रतिलिपि भेजी गई । उस पर यूनियन का आज तक कोई विरोध अथवा सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः यह समझा गया कि यूनियन इस मांग को आगे नहीं उठाना चाहती ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्युत-मंडल को बॉडी बनाने हेतु दिये गये चैसिस

४३०. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् ६०-६१ में १,५३,००० रू. के लगभग ४ चैसिस पर जो विभाग ने खरीदे

(श्री श्रवणलाल)

थे, बॉडी बनाने के लिये विधुत मंडल को दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा होना चाहिये था और कब हुआ ? यदि समय पर नहीं हुआ तो क्यों ?

(ग) क्या विभाग की विद्युत मंडल में अब भी कोई बकाया रह गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं किया गया था। विद्युत मंडल द्वारा बॉडी बनाने की कार्यवाही अभी चल रही है और उन्हें बार बार स्मरण भी कराया जाता है।

(ग) पूरी रकम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास ही है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : बॉडी बनाने में कितना समय लगेगा ? ४ वॉडिज बनाने का काम ६०-६१ से पेन्डिंग है, कितना समय और लग जायगा।

श्री भीखाभाई : जो सूचना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिली है उसके अनुसार इसमें कुछ टेक्नीकल आवश्यकताएं थीं इसलिये नहीं बन पाई।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आगे कितना समम लग जायगा ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, टेक्नीकल लोग बता सकते हैं उनको लिखा जायगा कि इसमें जल्दी की जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सरकार यह सोचती है कि इतना केपिटल आइडल पड़ा रहा और अब तक कुछ नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार, नेक्स्ट-क्वश्चन।

सड़क बनाने पर मुआवजा

४३१. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील निम्बाहेड़ा के पटवार हलका म.गरोल के खेत कम्बर ७३५ सोलह बिस्वा लगानी ४।।।) व खेत नम्बर ७४४ रकबा अठारह बिस्वा लगान ५।≈ पर सरकार ने सड़क बना दी है और उनका मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय-डांगी) : जी नहीं। खेत नंबर ७३५ सिर्फ ५ बिस्वा है और वह सड़क में नहीं आया है। खेत नं.७४४ में १५बिस्वा जमीन है उसमें से सिर्फ ४ बिस्वा सड़क के नीचे आई है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने यह बताया कि खेत नं. ७३५ में केवल ५ बिस्वा ही जमीन है, आपकी यह रिपोर्ट सही नहीं है, १८ बिस्वा है। मैं अपने पास पानड़े रखता हूँ सैटलमेन्ट के। मैं आपको बता सकता हूं कि यह रेकार्ड बना है सैटलमेन्ट का उसके पानड़े में ज्यादा जमीन है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास तहसीलदार से रिपोर्ट आई है उसमें इस प्रकार का जवाब है ।

श्री अध्यक्ष : जो जमीन ली गई है उसके मुआवजे की क्या स्थिति है ?

श्री दिनेशराय डांगी : काश्तकारों को जमीन के बदले जमीन लेने के लिये कहा गया लेकिन उन्होंने अब तक तय नहीं किया कि वे पैसा लेना चाहते हैं या जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन लेना चाहते हैं । वे जो भी चाहें लिखकर एक बार दे दें तो उसके अनुसार दे दिया जाय ।

श्री अब्दुलजब्बार : कितने साल हो गये जब इस जमीन पर सड़क बनादी थी ?

श्री दिनेशराय डांगी : गम्भीरी बनी तब सं. २०१८ में, जितनी जमीन सड़क के नीचे गई है उसका लगान बंद कर दिया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री को बताना चाहता हूं कि आज तक इस जमीन का लगान वसूल हुआ है । आप बता रहे हैं कि जमीन नहीं गई है, पर मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर मकानों के दो दो टुकड़े कर दिये हैं और अब तक उनका मुआवजा नहीं दिया है ।

श्री दिनेशराय डांगी : लोगों से यह पूछा गया है कि वे जमीन के बदले जमीन लेंगे या कैश लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : सरकार जो भी उचित समझे वह दे दे ।

श्री दिनेशराय डांगी : गांव वाले लेने को तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कभी नहीं होता । आप अपना एवार्ड लेकर दे दीजिये ।

श्री दिनेशराय डांगी : कोई कहता है कि जमीन ऐसी चाहिये, कोई कहता है जमीन नहीं लेंगे, पैसा चाहिये; इस तरह से झगड़ा चल रहा है ।

एक माननीय सदस्य : झगड़े का तो और कारण है ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या कुछ लोगों ने एप्लीकेशन्स दी हैं ?

श्री अध्यक्ष : एप्लीकेशन्स मंत्री जी के पास भेज दीजिये वे जवाब देंगे ।

श्री जोधसिंह ।

अनसर्विसेबल सामान, आयुर्वेद विभाग

४३२. **श्री जोधसिंह चौहान**(गिरवा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में हजारों रुपयों का अनसर्विसेबल सामान पड़ा हुआ है और वह नष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो इसके बारे में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : अनसर्विसेबल सामान पड़ा हुआ है उसको राइट ऑफ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जोधसिंह : उसका ऑक्शन क्यों नहीं किया जाता ?

श्री दौलतराम सारण : जो सामान ऑक्शन करने लायक है उसको ऑक्शन करते हैं, जो सर्विसेबल नहीं है उसको वैसे ही राइट ऑफ करते हैं।

श्री जोधसिंह : कितने रुपये का सामान पड़ा है।

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग जगह अलग अलग तरह का है, लकड़ी के खोखे है, टूटी हुई चद्दरें हैं, खराब सामान है।

श्री जोधसिंह : क्या सरकार ने इसका एस्टिमेट नहीं लगाया ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

छोटे तालावों से सिंचित भूमि पर जल-कर

४३३. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छोटे छोटे बरसाती नालों के पानी को रोक करछोटे छोटे तालाब बनाये हुए तालावों से सिंचित भूमि से क्रॉपवार पर- एकड़ कितनी राशि जल कर के रूप में ली जाती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): राजस्थान इर्रिगेशन रूल्स, १९५५ के द्वारा निर्धारित दर से लिया जाता है। रूल्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

(नियम को प्रतिलिप पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजस्थान में पानी की रेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। हमारे यहां ही जो लगता हुआ स्थान है वहां पर ३) है और भीलवाड़ा में ६) रु० है। अलग अलग रेट क्यों है ? बड़े बड़े तालाबों से जहां सिंचाई होती है वहां १०) रु० हम देते हैं तो ७) रुपये भाखरा वाले देते हैं। १०)रुपये पर एकड़ दूसरी जगह देते हैं। जहां पुराने तालाब हैं वहां पहले रेट कम थी वहां अब उदयपुर के इलाके में कहीं पर ६) है और कहीं पर १०) है। दूसरों पर कहीं १०) है कहीं पर ४) है और कहीं पर ३) है। इस तरह से अलग अलग क्यों है ? जहां बरसाती नाले बांधे हैं वहां भी अलग अलग है। पुरानी रेट को नहीं बढ़ाई जाय व सिंचित भूमि के पानी की रेट में समानता लाई जाय।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): यह पुराना तालाब है और पुराने तालाबों के अन्दर जो रेट्स रेशनलाइज़ किये जा रहे हैं उसके अनुसार हैं। नये रेट्स नहीं लगाये गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पुराने तालाब पर जितनी रेट पहले लगती थी उससे ड्योढ़ी और दुगुनी ली जा रही है। पुराने तालाब की रेट आना देते थे, उसको बारह आना कर रखा है जब कि दूसरी जगह चार चार आना रेट है। एक रेट होनी चाहिए कम से कम।

श्री भीखाभाई - यह ग्रेजुअल रेशनलाइज़ेशन हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद समानीकरण होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष, मेरा एक स्थगित प्रश्न श्रम विभाग का था, २२३।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, २१६।

स्थगित प्रश्न

(१७-८-६३)

पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क निर्माण

२१६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में किस-किस जिले में कितनी-कितनी लम्बी सड़कें (ग्रेवल, मैटल और पक्का डामर रोड) राजस्थान सरकार ने किन वर्षों में बनाई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सड़कों के हिसाब से किस जिले को सबसे ज्यादा रुपया पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया? तमाम जिलों के हिसाब से खर्च के रूप में परसेन्टेज बताया जावे। कौन सा जिला सड़कों के हिसाब से पिछले दस वर्षों में सबसे पीछे रहा और उसके क्या कारण हैं? सड़कों का परसेन्टेज कच्ची व पक्की सड़कों के हिसाब से बताया जावे।

(३) क्या अब सरकार भविष्य में जो सबसे पिछड़ा जिला सड़कों के विकास में रहा है उसमें सड़क निर्माण कार्य शीघ्र ही करेगी? अगर हां, तो कब तक?

(४) क्या यह सच है कि जिला जालोर में रानीवाड़ा सांचोर सड़क का निर्माण जनता व सरकार के हित में सबसे प्रथम करना जरूरी है? अगर हां, तो इस सड़क का निर्माण पक्का डामर के रूप में कब तक कर दिया जावेगा?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानीशंकर नंदवाना) : (१) सूचियां संलग्न है।

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना में उदयपुर तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंगानगर....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : दुबारा बोलिये। सुनाई नहीं दिया।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : (१) सूचियां संलग्न हैं।

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना में उदयपुर तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंगानगर जिलों में सबसे अधिक रुपया खर्च हुआ है। सूची प्रतिशत जिलावार संलग्न है। सबसे कम खर्चा बूंदी जिले में हुआ है। हर जिले में जो कार्य हुए हैं वे जिला आधार पर नहीं कराये गये हैं बल्कि अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए जैसे कृषि, उद्योग, खनिज आदि सभी की उन्नति तथा प्रशासनिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए धनराशि निर्धारित कर कार्य कराया गया है।

(३) जिला आधार पर ही सड़क निर्माण नहीं कराया जाता है किन्तु अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धनराशि निर्धारित की जाती है।

(४) इस सड़क पर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में डामर का कार्य कराने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। यह कार्य तृतीय योजना में आरम्भ होकर चतुर्थ योजना काल

Page No 36

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

में पूर्ण हो जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये अन्य प्रशासनिक कारण कौन से हैं ? कृषि, उद्योग, खनिज आदि दूसरे जिलों में हैं। यहां भी वही कारण हैं या अन्य प्रशासनिक कारण हैं ? बूंदी में तो सड़कें पहले से मौजूद थीं लेकिन जालोर जिले में इसे योजना में प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : आपके जिले का अब ध्यान रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष: श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्रम विभाग के कर्मचारियों के वार्षिक बढोत्तरी तथा वेतन के मामले

२२३. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्रम विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके तनख्वाह, वार्षिक बढ़ोत्तरी (इन्क्रीमेंट) और वेतन सम्बन्धी बकाया के मामले तीन चार साल से विचाराधीन हैं ?

(२) इन मामलों को इतने लम्बे समय तक विचाराधीन रखने के क्या कारण हैं ?

(३) सरकार इन मामलों पर कब तक निर्णय लेकर सम्बन्धित व्यक्तियों को बकाया भुगतान कर देगी ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) श्रम विभाग में कुल १६ कर्मचारी हैं जिनके वेतन, इन्क्रीमेंट व फिक्सेशन के मामले पेंडिंग हैं। जिन कर्मचारियों के वेतन आदि बकाया बताये गये हैं उनके बारे में सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन कर्मचारियों में से अधिकांश का सर्विस रिकार्ड व सम्बन्धित कागजात व फिक्सेशन स्टेटमेंट जहां से उनका स्थानान्तरण हुआ है प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ मामलों में बिल बन चुके हैं और ट्रेजरी में भेजे जाने वाले हैं।

(३) इनका शीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, सूची पेश कर दी है, मुझे नहीं मिली है। फिर भी मैं यह जानकारी के लिए बता दूं-उस दिन जो जवाब दिया गया, तो जिन लोगों के नाम मैंने पेश किये उनके लिए कहा—ये विभाग में हैं नहीं। आज यह मंजूर किया जा रहा है कि सिवाय दो के उस डिपार्टमेंट में हैं। एक चपरासी ऐसा है जिसका चार साल से आज तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। उसका नाम आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं। और इसी तरह की एक सूची और बना कर लाया हूं जिसमें २७ नाम है। उन लोगों के अलावा जो सूची मैंने पेश की थी इनके भी एरिअर और तनख्वाह बकाया है। क्या श्रम विभाग इसके बारे में कुछ करने को तैयार है ? और, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद, एक जो काम करने वाला आदमी है उसका नाम मैंने आपको पहले बतलाया था और जिसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लिए मैंने कहा था कि इसमें चार सौ रुपये बचते हैं। उसको बुला कर उससे यह लिखवा लिया गया कि मेरे पर चार सौ रुपये बाकी नहीं हैं। उसके नीचे लिख दिया कि चार सौ नहीं चार हजार बाकी हैं। उसके ऊपर गौर करेंगे या नहीं? वह आदमी है....

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है, नाम वाम बताने की। आपने कह दी अपनी बात।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जिन लोगों की सूचना दी है, आप चाहें तो मैं एक एक का ब्यौरा बता सकता हूं। मैं माननीय सदस्य को कह सकता हूं कि मैंने पहले पन्द्रह कर्मचारी बताये थे। सारी जानकारी के बाद एक कर्मचारी रह गया था। उसका नाम एड कर दिया गया है इस प्रकार १६ कर्मचारी हैं। जिनका नाम माननीय सदस्य ने लिया है, वह हमारे विभाग से दूसरी जगह स्थानान्तरित हो चुका है, इसलिए इसका श्रम विभाग से संबंध नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह चार हजार रुपया बाकी है, यह आपके डिपार्टमेंट का बाकी है या दूसरे डिपार्टमेंट, जिसमें वह चला गया है, उसका बाकी है?

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : अल्पकाल सूचना प्रश्न। श्री अमरसिंह।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

नहर कला बन्ध कालख से बंत्र छापरवाड़ जाने वाली फीडर केनाल के सम्बन्ध में

१. **श्री अमरसिंह (दूदू)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या फीडर केनाल कालख में काश्तकारों को बरसाती पानी देने के लिये मोरियां शुरू से ही विभाग द्वारा रखी गई हैं?

(ब) अगर हां, तो क्या अब इन्हें बन्द करने के आदेश दे दिये गये हैं? अगर हां, तो यह मोरियां बन्द कर देने से क्या काश्तकारों की बंधे खाली रहने से नुकसान नहीं होगा?

(स) क्या जहां मोरियां बन्द कर दी गई हैं वहां के लिये काश्तकारों को सरकार मुआवजा देगी?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दूं, उसके पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न शॉर्ट नोटिस में एडमिट किया गया है उसका उत्तर २२ अक्टूबर, १९६२ को पहले सत्र में दिया जा चुका है। दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आ सकता हो।

उत्तर इस प्रकार है:

(अ) जी हां।

(ब) जी नहीं। इसका प्रश्न नहीं उठता।

(श्री भीखाभाई)

(स) नाडों तथा तलाइयों को भरने वाली कोई भी मोरी बन्द नहीं की गई है। अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, अल्पकाल सूचना प्रश्न इसलिये है कि यह बरसात का समय है, इस वक्त मोरियां बन्द कर दी गई हैं। अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं होता-तो बाद में मोरियां खोलते और उससे फायदा नहीं होता क्योंकि उस वक्त बरसात निकल जायगी। इसलिए यह रखा गया है।

आपने यह फर्माया कि कोई मोरियां बन्द नहीं हैं। मोरी नम्बर ११ आज भी बन्द पड़ी है और डेढ़ इंच का नल था वह निकाल लिया गया है। और उसके पास में जो सिंचाई का तीन इंच का नल है उससे यह साबित किया गया है कि यह नम्बर ११ है। यह गलत तरीका है और गलत जवाब दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मोरी नम्बर १४ जहां बनी है वहां नहर छः छः फीट गहरी कर दी गई है और मोरियां ऊंची रह गई हैं। इससे पानी नीचे चला जाता है और मोरियां रहना या न रहना बेकार है। मैं आश्वासन चाहता हूं कि मोरियां और पानी का लेवल बराबर रखा जाय और नल जो निकाल लिया है वह लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ध्यान रखिये, माननीय सदस्य ने कहा है उसका।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर दूं, जो उत्तर दिया है, वह उत्तर राइट है। उसके बाद सारी की सारी मेरे पास इन्फोर्मेशन मौजूद है! इस वर्ष सूचना प्राप्त हुई है कि इस फीडर का पानी चार दिन तक बहा है। There is very poor discharge with the result that no water falls down. एक कालख सागर बना हुआ है, फिर कालख फीडर है और जो फीडर केनाल है उसके अन्दर पानी पहुँचा हुआ है। माननीय सदस्य मोरियां बन्द करने की बात कहते हैं वह गलत है। और दूसरी इन्फोर्मेशन उसके बारे में दूं :-

Mir Ji Ka Nalla	Some water has been stored
Baniyon Ka Nalla	Some water has been stored.
Teliyon Ka Nalla	No water.
Amarsingh Ka Nalla	Water has been stored in the area about 4 bighas.
Joti Walla Nalla	Some water has been stored.

अध्यक्ष महोदय, और भी मेरे पास इन्फोर्मेशन है। उसको पढ़ने की आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिये कि अगर पानी रोक दिया जाता तो यह तालाब नहीं भरता ये छोटे छोटे तालाब और नाड़े।

श्री अमरसिंह : मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर बरसात के आने के मौके पर कर्मचारी अनधिकृत तरीके पर नाडों की मोरी बन्द कर देते हैं तो क्या काश्तकार को अधिकार है कि मोरी का पानी खोल कर वह अपने काम में ले सकें और तलाइयां भर सकें ?

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह ।

श्री अमरसिंह : इसका जवाब नहीं दिया है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । वे मोरियां बन्द कर देते हैं तो किसान डर जाते है कि कैसे खोलें । मोरियां उनके लिए रखी गई हैं तो उनको खोलने का अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २ ।

ग्राम ऊटवां (त० पाली) के समीप का मिट्टी का बांध

२. **श्री केसरीसिंह** (पाली) : Will the Minister for Irrigation please state :–

(1) Whether Government is aware of the fact that, as a result even of the little rain and small amount of water than flowed in the rivers running across Tehsil Pali, the earthen bund, near village Ootwan for diverting the waters of river Bandi into the Hemavas Feeder channel, has been breached and rendered useless for the purpose it was thrown up to serve ?

(2) Is it true that the very angle the bund was thrown up at was most obviously defective and that this fact was pointed out to the officer concerned by responsible representatives of Panchayat Samiti Pali, and that an assurance was given by the concerning officer in the last meeting of the Zila Parishad, Pali,on the 6th of July, that he would be giving his special personal attenttion to it immediately ?

(2) Is it not a fact that the defective construction of that bund could have been corrected by incurring an expenditure of about only a thousand or fifteen hundred rupees ?

(4) What expenditure had been incurred in throwing up the bund that has been breached now before the 6th of July ? And what further expenditure was incurred for the correction of the defect after that date, that is after the assurance was given in the Zial Parishad ? In other words, was really anything at alldone to correct the defect ?

(5) What immediate steps does Government now intend to take to see that the Hemavas Tank does not lose the benefits of the Feeder channel this year which may even yet accrue if the earthen bund is thrown up again ofcourse at the correct angle this time ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : Yes Sir. This is the normal feature. The diversion bund had been breached......

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हिन्दी में भी है इसलिये मंत्री महोदय अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश नहीं करें । मेम्बर महोदय ने अंग्रेजी में प्रश्न दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार की तरफ से अंग्रेजी में उत्तर होना चाहिये । प्रश्न का उत्तर हिन्दी में होना चाहिये, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिये ।

श्री भीखाभाई: Yes,Sir, इसमें हमेशा की माफिक डाईवर्शन बन्ध है वह भी किसी जगह टूट गया है और इस प्रकार की बात नहीं है कि वह काम में नहीं आ सकता ।

(२)नो, सर । डाइवर्शन बन्ध हमेशा की माफिक एक्रोस दी शोर्टेस्ट विड्थ ओफ दी रीवर बनवाया । और जो एंगल पंचायत समिति के रिप्रेजेन्टेटिव, पाली ने बताया वह उस प्रकार का नहीं है जिसको मंजूर किया जा सके

(श्री भीखाभाई)

क्योंकि लोंगर बन्ध और एक्सट्रा कोस्ट होती है जो किसी फायदे की नहीं होती ।

(३) यह है जो अलाइनमेन्ट को करेक्ट करने का प्रश्न है वह नहीं उठता।

(४) इस डाइवर्शन बन्ध को बनाने में हर साल ६५०) रु० का खर्चा आता है और इससे ज्यादा खर्चा करना कोई आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(५) इसके अलावा कोई धूड़ बन्ध बांधना जरूरी नहीं जो किसी भी एंगल पर बनाया जाए ।

हेमावास बांध जिसमें २०.७ फीट गेज ऑफ वाटर आ चुका है अगेन्स्ट दी फुल सप्लाई गाज ऑफ २४.५ फी अप टु २६ अगस्त, १९६३ और मोस्ट ऑफ दी सप्लाई फीडर से प्राप्त हुआ है ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री महोदय ने दी है उसके लिये तो में आभारी हूं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बांडी नदी के पास धूड़ बन्ध बना कर पानी का डाइवर्शन दिया है वह तो जोधपुर गवर्नमेंट के समय से ही दिया जाता है । पहले यह डाइवर्शन अच्छी तरह से धूड़ बांध बना कर दिया जाता था और उसका नतीजा यह होता था कि थोड़ा बहुत पानी आने से धूड़ बांध नहीं टूटता था और ज्यादा ज्यादा पानी आता था तब भी अक्सर यह टूटता नहीं था बल्कि जब हेमावास पूरा भर कर ओवर फ्लो हो जाता था, तब इस धूड़ बांध को तोड़ा जाता था । लेकिन अभी जो बन्ध देते है वह ठीक तरह से नहीं देते हैं, उसका एंगल ठीक नहीं होने से पानी ठीक तरह से डाइवर्ट नहीं होता । अव्वल तो इसे पिछले कई सालों में बनाया ही नहीं इसके लिये हमने बार बार अधिकारियों को कहा तो हमारे कहने से इसे आधा पिछले साल बनाया गया । इस मामले के लिये मैं कई बार पर्सनली वहां पर जा कर देख कर आया हूं और सारी स्थिति को देखने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से भी और जिला परिषद् में भी इंजीनियरों को कहा कि इसे ठीक तरह से पूरा बनवा दिया जावे । तो इस वर्ष पूरा बनवाया, परन्तु एंगल बिल्कुल गलत रख दिया । आप जानते हैं कि पाली जिले में आज से ४ या ५ दिन पहले तक वर्षा नहीं हुई थी और नदियों में कोई खास पानी नहीं बहा । अगर मामूली पानी आने से ही वह बंध टूटा जाता है तो साफ जाहिर है कि बंधा ठीक नहीं लगा था । अब जो नदियाँ बहुत आ गई है उससे यह हेमावास का बन्ध भर जाना चाहिये था मगर इसके बावजूद भी अगर यह बंध ठीक तरह से नहीं भरे तो इसका मतलब यही कि यह धूड़ बंध ठीक से रिपेअर नहीं किया गया । अगर यह ठीक तरह से बना दिया होता तो आज २०, २१ फीट पानी आया है उससे कहीं ज्यादा पानी आता । मैंने चीफ इंजीनियर को जब निवेदन किया तो वे यह मान गये कि जिस एंगल पर यह बांध होना चाहिये नहीं था। इसलिये इसे जल्दी से जल्दी ठीक कराने का आश्वासन दिया था और टेलीफोन भी किया । मगर आश्वासन के बावजूद भी यह ठीक नही हुआ वरना आज हेमावास जरूर भरा हुआ होता । आपने बताया कि इसके ६५०)या ६००)खर्च के आते हैं और मैंने जो एंगल बताया उसमें ज्यादा से ज्यादा १०००) लग सकते हैं और हेमावास

(श्री केसरीसिंह)

का बांध भरने के लिये यह बहुत ही सहायक हो सकता है। अब भी आप इस पर विचार करें तो ठीक होगा कारण कि अब भी बरसात हो सकती है और हेमावास भर सकता है।

श्री भीखाभाई: इसका नक्शा मेरे पास मौजूद है। इसमें सब दिया हुआ है। जो नक्शा बनाने वाले हैं उसकी सूची दी है। वे असिस्टेन्ट इंजीनियर और टेक्निकल इंजीनियर हैं। जहां का आप जिक्र करते हैं उसको देखने से मालूम होता है कि सोमेश्वर नदी एक तरफ बहती है और दूसरी तरफ एक नदी पेरेलल बहती है। सोमेश्वर नदी से हेमावास पूरा नहीं भरता इसलिये हेमावास को भरने के लिये बांडी नदी का अर्जेन्ट डाइवर्शन किया है और उसके जरिये से हेमावास में पानी जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये तो महज ६५०) खर्च होते हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि जिस योजना का जिक्र किया जाता है उसको बनाने के लिये बहुत सा रुपया खर्च होता है। उसकी सर्वे करा चुके हैं। अगर माननीय सदस्य का यही आग्रह हो कि इसके लिये ६५०) रु० वैसे दिये जाते हैं तो मैं कहूंगा कि यह छोटा सा बांध ६५०) रु० में के ज्युअल लेबर पर बन जाता है और आपकी जो योजना है वह टेकनिकली और इकॉमिकली ठीक नहीं हो सकती। इस संबन्ध में अकर वे चाहें तो मेरे चेम्बर में आकर मुझ से विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री केसरीसिंह: यों तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में नहीं आवेगी। आप मुझे समय देने का आश्वासन दें ताकि मैं आपके पास आ जाऊं और आप उस समय इंजीनियर को बुला लें। वे टेक्निकल असिस्टेन्ट पालों में रह चुके हैं और सारी बातें जानते हैं। उनको भी आप अपने कमरे में बुला लीजिये और मैं भी आ जाऊंगा और उनको समझा दूंगा।

३.५१ म. प.)

महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर के एक कर्मचारी की भूख हड़ताल सम्बन्धी विषय पर ध्यान दिलाना

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर के एक कर्मचारी श्री भंवरलाल जोशी की प्रस्थापित भूख हड़ताल के मामले की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दो माननीय सदस्यों की ओर से दो मामले प्रस्तुत हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों मामलों का विषय श्रम विभाग से संबन्धित नहीं है। राज्य बीमा कर्मचारी योजना की डिस्पेन्सरीज़ अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत काम कर रही हैं और मुआवजा की अदायगी क्षेत्रीय संचालक, राज्य बीमा योजना निगम, भारत सरकार, जयपुर द्वारा किया जाता है। विषय के महत्व को देखते हुए मैंने आवश्यक जांच पड़ताल करवाई। उससे विदित हुआ कि भंवरलाल जोशी श्रमिक, एडवर्ड मिल्स, ब्यावर का कोई केस, जैसा कि श्री कुमारानन्दजी ने बतलाया है, है वास्तव में नहीं, परन्तु

(श्री भीखाभाई)

भंवरलाल, श्रमिक महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर, जो कि कारखाने में २१. ११. ६० को दुर्घटनाग्रस्त हुए, न कि २२. ६. ६१ को। परन्तु उनको डिसएबिलिटी बेनीफिट का मुआवजा नकद में उस समय के लिए, जिस समय कि वह अस्थायी अपाहिज रहा (दिनांक २३–११–६० से ३१–११–६१), दे दिया गया है। इस कर्मचारी को डिसऐबिलिटी बेनिफिट का भुगतान देने में देरी होने का कारण यह था कि मैडिकल बोर्ड अजमेर की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य बीमा योजना निगम में देर से प्राप्त हुई। फिर भी इस मामले का निर्णय श्री भंवरलाल जोशी को १६-८-६३ को अवगत करा दिया गया, और ७३३ रुपये ६५ पैसे की धनराशि का भुगतान, जो कि ३१–७–६३ तक के बेनीफिट को है, दिनांक १६–८–६३ को कर दिया गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्री भंवरलाल के पिता श्री-बद्रीलाल को भी २०६ रुपये ५४ पैसे को धनराशि २४–७–६३ तक के बेनीफिट का भुगतान २६–८–६३ को कर दिया गया है।

अग्रिम जांच पड़ताल से यह भी विदित हुआ है कि मथुरालाल नाम का महालक्ष्मी मिल्स का कोई भी श्रमिक, जैसा कि श्री रामानन्दजो ने बतलाया, २१–१२–६० को दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा बताया गया बीमा का नम्बर श्री बद्रीलालजी का है न कि श्री मथुरालालजी का। जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं श्री बद्रीलाल को मुआवजा दिया जा चुका है।

(४.०० म. प.)

श्री कुमारानन्द : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, उसके मुताबिक श्री-भंवरलाल जोशी के केस को चले हुए दो साल हो गए हैं। जब उसने भूख हड़ताल का नोटिस दिया तब उसको कम्पेन्सेशन दिया गया है। तो मैं श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की ढिलाई श्रम विभाग की तरफ से श्रमिकों के प्रति होना सरकार के लिए कलंक है, क्योंकि अगर श्रम मंत्री के कहने के मुताबिक नवम्बर महीने भी ऐक्सीडेंट हुआ और उसका दाहिना हाथ कट गया, सारे शरीर पर चोटे आयीं, वह बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा कि किसी भी तरह मुआवज़ा मिल जाय। अजमेर में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमें मालूम पड़ा कि उनको कुछ पैसे मिल गये हैं। लेकिन मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई ढिलाई न हो। वह बेचारा रोजगार से वंचित रहता है तो उस हालत में सरकार के लिए कलंक है कि पौने दो साल के बाद और भूख हड़ताल के बाद सरकार कुछ पैसा देती है।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ पर अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री-केसरीसिंह, विभाजन संख्या ८६, ने दिनांक ६ मई, १९६२ को The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Declaration of Krishi Nipun) Rules, 1961, में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे जो सदन द्वारा कमेटी ऑन सबोॅडिनेट लेजिस्लेशन के पास भेज दिए गए, उसकी रिपोर्ट

Page No 43

(श्री अध्यक्ष)

सदन के सम्मुख प्रस्तुत है और उसी पर विचार-विमर्श करने के लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है। अब माननीय सदस्य संक्षेप में उसके बारे में बता दें और सरकार भी बता दे कि क्या वह उसको स्वीकार करती है तो किस हद तक, उसके बारे में बताए, ताकि निर्णय किया जा सके।

श्री केसरीसिंह (पाली): अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के गठन में जो मैम्बर्स होते हैं, पंचायत समिति को बनाने वाले, उनमें पंचायतों के सरपंचों के अलावा कुछ को-ऑप्टेड मेम्बर्स भी होते हैं। उनके अलावा कृषि निपुण भी पंचायत समिति का मेम्बर होता है। कृषि निपुण के लिए जो नियम बने हुए हैं वे इस प्रकार हैं कि जिला परिषद् कृषि निपुण डिक्लेअर करे। और डिक्लेअर कैसे करेगी, इसमें जो प्रोसीजर रूल्स में है, उनमें मैंने जिला परिषद्, पाली, की तरफ से जो कमेटी बनी थी कृषि निपुण घोषित करने के लिए उसके चेयरमन की हैसियत से, मैंने जो कठिनाइयां देखीं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, मैंने कुछ संशोधन रखे हैं जो रूल्स बने हुए हैं सरकार की तरफ से, उनमें।

पहली बात यह है कि जिला परिषद यह डिक्लेअर करेगी कि एक ब्लॉक के लिए क्रॉप कौन सी होगी जिसमें कॉम्पीटीशन होगा। और उस कॉम्पीटीशन में जो पहला नंबर आया, उसको कृषि निपुण आगे घोषित किया जायगा। तो कौनसी क्रॉप में कॉम्पिटीशन होगा, यह जिला परिषद् तय करती है। इसमें बड़ा भारी नुक्स है, क्योंकि एक ही तो क्रॉप डिक्लेअर कर सकेंगे और वह कौनसी क्रॉप होगी इसके लिए सिवा इस बात के कोई आधार नहीं दीखता कि वह चीफ क्रॉप हो, यानी वह क्रॉप हो जो ज्यादा से ज्यादा एरिया जिस के अन्तर्गत आता हो। उसीको चीफ क्रॉप डिक्लेअर करनी पड़ेगी जिसमें कॉम्पीटीशन हो सकता है। वैसी क्रॉप आम तौर से खरीफ में होने वाली कोई न कोई क्रॉप आ जाती है। कम से कम पाली जिले में तो ऐसा हुआ है। वहां तिल, बाजरा, ज्वार, इनमें से कोई न कोई किसी न किसी ब्लॉक के लिए डिक्लेअर की गई। तो ये क्रॉप्स ऐसी हैं, जिनमें किसी भी काश्तकार की निपुणता की कोई वक्त नहीं रहती, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड करने वाली क्रॉप्स है। जहां पर ठीक बरसात हो गई तो मामूली से मामूली किसान के भी अच्छी फसल पैदा हो जायगी और अच्छे से अच्छे किसान के भी यदि जरूरत से ज्यादा पानी हो गया या बरसात की कमी रह गई तो ईल्ड बहुत कम होगी।

खरीफ की क्रॉप्स मानसून पर डिपेन्डेंट हैं। रबी की क्रॉप में जिसमें इर्रिगेशन होता है और बहुत हद तक पानी का सवाल एश्योर्ड रहता है, उसमें किसान की खेती की जो स्किल है वह ज्यादा पार्ट प्ले करती है। ऐसे अच्छे किसान भी हो सकते हैं और हैं भी जो खरीफ की बड़ी अच्छी खेती करते हैं। लेकिन अगर आप रबी की कोई फसल डिक्लेर करते हैं तो ऐसे अनेक किसानों को महरूम करते हैं इस कॉम्पीटीशन में भाग लेने से तो जहां तक यह क्रॉप जिसमें कम्पिटीशन हो, डिक्लेअर करने की बात है इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा किसान महरूम न रह जाय उस कॉम्पीटीशन में भाग लेने के लिए जो अन्यथा बहुत अच्छा किसान है। तो हमारे सामने यह एक बड़ी खामी है।

(श्री केसरीसिंह)

दूसरी खामी यह थी कि जो प्रोसीजर ले डाउन किया गया है यील्ड असेस करने का रूल्स में, वह बहुत कम्बरसम है। इस पर मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा। यह तो कमेटी ने भी स्वीकार किया है और सरकार की तरफ से सेक्रेट्री साहब ने भी यह बात मन्जूर की कि ये रूल्स बड़े कम्बरसम हैं। इस बात को ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा।

तीसरी खामी जो रूल्स में है वह यह है कि मेरी धारणा है कि पंचायत समिति के जो मेम्बर के रूप में कृषि निपुण रखे जायं, उसमें दो बातें होनी चाहिए—एक तो खेती के बारे में उसको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और दूसरी बात जरूरी है कि वह पंचायत समिति के मेम्बर्स को एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। आप देखेंगे कि जितने भी मेम्बर्स हैं पंचायत समिति के वे सब के सब किसी न किसी रूप से चुने हुए हैं। ये जो कृषि निपुण संबंधी रूल्स रखे गये हैं, उनमें वह मेम्बर्स को एक्सेप्टेबल हो या नहीं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।

तो ये तीन बड़ी बड़ी खामियां पहले वाले रूल्स में हैं। इन तीनों बातों को नजर में रखते हुए मैंने अपने सजेशन्स अमेंडमेंट के रूप में हाउस के सामने रखे थे। उनमें पहली मुख्य बात थी कि जिला परिषद एफीशियेन्ट फामर्स की लिस्ट तैयार करे और उसके लिए एफीशिमेंट फार्मिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वे कायम करे। इसमें मुख्य बात यह होती है कि इस ब्लॉक के अन्दर कौन कौन मुख्य क्रॉप्स हैं। जितनी भी क्रॉप्स हैं जो किसी कन्सीडरेबल एक्स्टेंट तक काश्तकारों द्वारा उगाई जाती हैं, उन सब को लिया जा सके और उन सब को लेकर उसके बारे में कम से कम पर एकड़ इतनी यील्ड हो तब मान सकते हैं कि इस क्रॉप्स में एफीशियेन्सी आगई है, इस प्रकार मिनीमम यील्ड तय करके एफीशियेन्ट फार्मिंग का स्टैंडर्ड कायम किया जा सकता है। एफिसियेन्ट फार्मिंग के स्टेन्डर्ड के बारे में एक तो मिनीमम यील्ड की बात मैंने रखी थी और दूसरी बात जो मैंने रखी थी वह यह कि जो मैथड्स आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बताता है कि काश्तकारों को अपनाने चाहिए उनमें से जो ब्लॉक के अन्दर अधिकांश रूप से प्रोग्रसिव कातश्कारों ने जो जो प्रेक्टीसेज़ अपनायी हैं, उनको एफीशियेन्ट फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स में इन्क्लूड करने की बात थी-एक तरफ मिनीमम यील्ड और एक तरफ ये प्रेक्टीसेज़। जो भी प्रेक्टीसेज़ वहां के लोगों ने अपना ली है, प्रोग्रेसिव फामर्स ने अपना ली है, उन मिनीमम प्रेक्टीसेज़ का स्टैंडर्ड होता है और मिनीमम यील्ड होती है। इसके आधार पर हर पंचायत समिति की मार्फत एफीशियेन्ट फार्म्स की एक लिस्ट तैयार करानी चाहिए। जो भी काश्तकार इस लिस्ट में अपना नाम इन्क्लूड कराना चाहें तो वे अपनी ऐप्लीकेशन दे सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। इस फॉर्म में बहुत सारी रिडन्डन्ट बाते लिखी हुई हैं।

जैसे कि क्या वेराइटी है, उसके पहले कौनसी क्रॉप बोई थी, कितनी बार पानी दिया था, कौन कौन से खाद दिये हैं, जब कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो यही जानना है कि उसका पर एकड़ कितना यील्ड है, आपको तो यही डिटरमिन करना था। तो यह सब मांगना कोई वक्त नहीं रखता। अब मैंने जो शिड्यूल रखा है वह रिडन्डन्ट नहीं है। मैं केवल यील्ड पर ही नहीं रहता।

(श्री केसरीसिंह)

कौन कौनसी प्रेक्टिसेज़ को अपनाते हैं, तीन साल तक कौन कौनसी क्रॉप बोई, किस तरह का यील्ड रहा, यह मैंने मांगा है, जिस शिड्यूल में वह एप्लीकेशन दे कि मेरा नाम भी एफिशियेन्ट फार्मर्स में रखें। इस तरह की एप्लीकेशन आ जावे तो हमने रखा है कि हर पंचायत समिति में स्टेन्डिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर जो है, उसके चेअरमैन तथा एक दो मेम्बर और एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफीसर जहां जहां से ये एप्लीकेशन्स आई हैं उसके फॉर्म्स को देखें, फसल कटने के १५-२० दिन पहले मौके पर जा कर यह देखें। और शिड्यूल नंबर ३ जो है, उसमें टोटल एरिया कितना है, यह लिख दें, क्रॉप कौनसी है यह लिख दें, जनरल कन्डिशन ऑफ दी क्रॉप कैसी है यह लिख दे, यानि क्रॉप की ग्रोथ ठीक है, छीदी है या सांगणी ज्यादा है, यह नजर से देख कर लिख देवें और कूंता भी कर लेवें कि पर एकड़ अनुमानत: इतनी ईल्ड होगी। इतनी इन्फॉर्मेशन उस शिड्यूल में भर कर एग्रीकल्चर स्टेन्डिंग कमेटी पंचायत समिति की होगी, उसके सामने यह इन्फॉर्मेशन रखी जावेगी। काश्तकार की फसल के बारे में जानकारी करने की तीन शिड्यूल्स रखी हैं। अंतिम शिड्यूल में कब फसल काट ली जावे, हर्वेस्ट हो जावे तो काश्तकार लिख कर भेजे कि इतनी ईल्ड कुल वास्तव में हुई इस पर वेरिफिकेशन सरपंच और ग्राम सेवक की हो जावे। We have got to trust them.

उस तरह ईल्ड एसेस करेंगे, इस तरह अपने सामने क्रॉप कटवायेंगे, अपने सामने ही बंडल बंधवायेंगे, उनमें से गिन कर बंडल्स को अपने सामने रखवायेंगे, थ्रशिंग वगैरह करवा कर सामने ही वेईंग करेंगे इत्यादि, इस प्रकार ओवरकॉशन बरतने पर भी, इसमें काफी करप्शन हो सकता है। पर मैंने रखा है कि उसकी जितनी ईल्ड है उसको सरपंच और ग्राम सेवक वेरिफाई कर दें, इसमें सुविधा भी रहेगी और गड़बड़ भी नहीं होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि एफिशियेन्ट फारमर्स में उसका नाम आ जायगा। तीन शिड्यूल हैं, पहला; ओरीजिनल एप्लीकेशन जिसमें करे। दूसरा शिड्यूल जिसमें मौके पर जा कर कमेटी स्टेन्डिंग क्रॉप को देख कर राय देती है और तीसरा, जिसमें कि काश्तकार लिख कर देता है कि वास्तव में कुल निपज मेरे इतनी हुई जिसमें सरपंच और ग्राम सेवक का वेरीफिकेशन भी होता है तथा जिससे पर एकड़ ईल्ड फलाई जा सकती है। यह भी हो सकता है कि पिछले तीन साल से तो ईल्ड अच्छी रही है पर इस साल अकाल की वजह से वह यील्ड नहीं हुई है तो भी आप रिकमन्डेशन भेज सकेंगे कि इसका एफिशियेन्ट फारमर्स की लिस्ट में नाम ले लिया जाय। पंचायत समिति एफिशियेन्ट फारमर्स की लिस्ट में उनका नाम इन्कलूड कर दे। जिला परिषद भी उस लिस्ट को ले कर उसमें परिवर्तन कर सकती है, तब्दीली कर सकती है और पंचायत समिति की रिकमन्डेशन पर ध्यान रखते हुए उनका नाम एफिशियेन्ट फारमर्स में इन्क्लूड कर ले। यह नाम लिस्ट में दो साल तक रहेंगे दो साल होने के बाद आगे के लिये भी अपना नाम लिस्ट में चाहे तो फिर लिख कर नई एप्लीकेशन दे दे।

हर साल खरीफ और रबी फसल की हारवेस्टिंग से १५-२० दिन पहले पंचायत

(श्री केसरीसिंह)

समिति की स्टेन्डिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर मौके पर जाकर, उनके फील्ड्स में जा कर अपनी नजर से फसल देखे और अपने रिमार्क्स लिख कर भेज दे। इस तरह एक अपटूडेट लिस्ट एफिशियेन्ट फार्मर्स की हो। अब यदि ऐसी लिस्ट में से कृषि निपुण का को-ऑप्शन हो तो एक तरफ तो खेती की जानकारी और दूसरी तरफ acceptability to the Members of the Panchayat Samiti निश्चित हो जाती है। इस मकसद से मैंने मेरे संशोधन रखे हैं। इन संशोधनों को कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने कन्सीडर किया और वाजिब नहीं ठहराया। इनको वाजिब नहीं ठहराया इसके लिये चार बातें बताई। इनमें से पहली बात यह जिसके बारे में मैं कहना भूल गया था कि जहां गवर्नमेंट की तरफ से यह रखा गया है कि ढ़ाई एकड़ में काश्त होनी चाहिये कॉम्पिटीशन के लिये उसके स्थान पर मैंने ४ एकड़ की सलाह दी है। कमेटी सिर्फ एक एकड़ ही काफी समझती है। मैं बता दूं कि एक आदमी इस तरह का इतना तजुर्बा रखे कि उसका तजुर्बा पंचायत समिति को सलाह देने लायक तजुर्बा हो, उसके पास यदि चार एकड़ जमीन भी नहीं है या इतनी जमीन औरों से ले कर काश्त करे नहीं करे तो उसे वह तजुर्बा कहां से होगा कि वह पंचायत समिति को सलाह दे सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रोग्राम के मुतल्लिक। परन्तु शायद ऐसे भी पार्ट्स हैं राजस्थान में जहां एक एक एकड़ काफी होता है तो यह रख देना चाहिये कि हर जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह अपने एरिया में, हर ब्लॉक में यह निश्चय करे कि एफिशियेन्ट फार्मर के लिये कम से कम कहां कितना एरिया होना चाहिये जिससे कि वह कॉम्पीटिशन में भाग ले सके। इसके लिये ४ एकड़ या जो भी जिला परिषद् प्रेस्क्राइब करे, जिला परिषद् को यह अधिकार देना चाहिये कि वह यह निश्चित करे; it may vary from district to district or from block to block.

दूसरी बात, कमेटी ने कहा है कि मैंने यह जो कोआप्शन का सजेशन दिया है वह एक्ट की मंशा के खिलाफ है, मैं मानता हूं कि यह कुछ हद तक शायद सही हो,....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : शायद नहीं, यह बिल्कुल सही है।

श्री केसरीसिंह : मुझे आप सुनिये, मैं मंजूर कर रहा हूँ, मैंने रखा कि कोआप्शन तो पंचायत समितियां करें पर डिक्लेरेशन जिला परिषद् की तरफ से हो। इसकी जगह मैं अब सजेशन देता हूँ कि जहां एफिशियेन्ट फार्मर्स की लिस्ट तैयार हो इसमें से तीन एफिशियेन्ट फार्मर्स के नाम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जिला परिषद् के पास भेज दे और जिला परिषद् उन तीनों नामों को कन्सीडर करे कि उनकी पर एकड़ इतनी यील्ड हुई, इतनी जमीन है, इतना तजुर्बा है, सारे शिड्यूल पर सब तरह से विचार करके तीन में से एक को चुने अपनी तरफ से डिस्क्रिशन एक्सर्साइज़ करके डिक्लेअर करे कृषि निपुण को।

तीसरी बात कमेटी ने कही है, परन्तु यहां तो मैं कहूँगा with due respects to the Members कि मेरे सुझावों को कमेटी ने पढ़ा ही नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पूरी तरह

Page No 47

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पढ़ा नहीं, यह तो नहीं आपको भी सुनाई थी ।

श्री केसरीसिंह : मुझे सुन लीजिये, मैं आपके सुझावों पर भी आता हूँ ।

इसमें लिखा है : "As noted above, the amendments of Shri Kesri Singh, M. L.A., suffer from the defect that they purport to make the Panchayat Samiti the authority to draw up a lists of efficient farmers,out of which the Zila Parishad is to co-opt one..."

आप यह लिखते हैं । जब कि मेरा कहना तो है कि list of efficient farmers Zila Parishad will prepare.

मेरे अमेंडमेंट में साफ लिखा : "For the purpose of the declaration of a Krishi Nipun, a list of efficient farmers shall be prepared and maintained by the Zila Parishad for every block situated within its district."

यह सही है कि यह काम हो पंचायत समिति के मार्फत ही, परन्तु इसको आप पढ़ते तो कम से कम यह नहीं लिखाते कि पंचायत समिति को यह अधिकार यानि ऑथोरिटी सौंप दी है आपका कॉम्पिटिशन का सजेशन आगे है; उस पर मैं आऊंगा वह भी आप पंचायत समिति के द्वारा ही करायेंगे, जिला परिषद् का तो वहां भी केवल नाम ही नाम है और अन्त में चौथी, कमेटी को यह भी बात गलत है कि काश्तकार पंचायत समिति के मैम्बरों को एक्सप्टेबल हो या न हो, यह कोई यह मापने नहीं रखाता है इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ । मैं मानता हूँ कि वह बात वाजिब नहीं है ।

सारी बातों पर विचार करके फिर आपकी कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि रूल्स बेशक कम्बरसम हैं और उनमें अमेंडमेंट्स होना चाहिये । सैक्रेटरी डेवलपमेंट और पंचायत विभाग भी इस बात को मंजूर करते हैं फिर लम्बे–चौड़े सजेशन्स दिये हैं कि रूल्स इन इन लाइन्स पर बनाए जावें, जिनसे आपकी कमेटी भी पूरी तरह एग्री कर रही हैं कि इनसे डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जावेंगे । आपने क्या क्या रिकमेन्ड किया है और मेरी तरफ से मैं उनमें क्या डिफेक्ट्स मानता हूँ मैं अब उस पर आता हूँ ।

पहले ही पहल जिला परिषद् उस क्रॉप को डिटर्मिन करेगी जिसमें कि कॉम्पिटीशन होगा यह कहा गया है । यहां पर फिर वही गलत है, जो पहले रूल्स में बात आयी है । मेरा सजेशन है कि सारे काश्तकारों को, यानी भिन्न भिन्न फसल उगाने वालों को, सबों को मौका दिया जाय । केवल एक ही फसल उगाने वाले ही कम्पीट कर सकेंगे यह ठीक नहीं । मान लीजिये, तिल डिक्लेअर होता है पंचायत समिति, पाली में, फिर अच्छा गेहूँ, अच्छा कपास, अच्छी मिर्ची पैदा करने वाले की तो बारी ही नहीं आ सकती और फिर तिल में कोई क्या स्किल दिखायेगा। वह तो वर्षा पर निर्भर करती है । एक तो यह डिफेक्ट है ।

दूसरा आपने जो मिनिमम यील्ड है, उसको प्रेस्काइब् किया है । इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह मेरे स्टैन्डर्ड ऑफ एफिशियेन्ट फार्मिंग के

(श्री केसरीसिंह)

सुझाव के आधार पर है। यह जरूर ठीक रखा है। लेकिन उसके साथ ही आप लिखते हैं २० कॉम्पीटीटर्स नहीं होंगे तो कॉम्पीटिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पांच आदमी भी कॉम्पीट करें। जो स्टेन्डर्ड आपने निर्धारित किया है उसको एचीव करने की कन्डीशन पर कॉम्पीट करें। फिर फर्स्ट आने वाला पंचायत समिति के मेम्बर हो जाना चाहिये। २० आदमी कम से कम इसमें हों ही यह जो कन्डीशन आपने लगा दी है, मेरे खयाल से इससे तो the purpose is defeated, पर्पज बनता नहीं है। क्योंकि मिनिमम स्टेन्डर्ड सेट कर दिया है। सिर्फ पहले नम्बर पर आना है उसको और कृषि निपुण करना है अपने आप को तो मेरी समझ में यह बात आ सकती थी कि आप २० कॉम्पटीटर्स का मिनिमम रखते। परन्तु जब मिनिमम ईल्ड प्रेस्क्राईब्ड है, जब जैसे आप फरमाये कि २५ मन गेहूं जो पैदा कर सकता है एक एकड़ में वही कृषि निपुण बन सकता है। मान लीजिये कि पंचायत समिति के १५ आदमियों ने ही फॉर्म भरे और उनमें एक आदमी ऐसा है जो ६० मन एकड़ में पैदा करता है तो he shall not be the Krishi Nipun because there are not 20 competitors.

लेकिन मुझे यह बात कोई खास वाजिब नहीं जंचती।

इससे आगे आपने कम्बरसम रूल्स को हटाने की कोशिश की है। लेकिन आपका सजेशन हैं "(3) The prescribed proforma could be obtained from the Panchayat Samiti.

(4) On receipt of applications, they shall be sorted out village-wise and Panchayat-wise." फिर आगे लिखते हैं: "(6) The applications shall then be forwarded to the Panchayat committee relating to their circle."

आप कॉम्पीटिशन पंचायत कमेटी के मार्फत करायेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो पंचायत में ही मिल जाने चाहिये। परन्तु आप कहते हैं पंचायत समिति में जाओ तो मिले। उनको भर कर भी पंचायत समिति में भेजो और उनको फिर विलेज वाइज़ सोर्ट करो और फिर पंचायत वाइज़ भेजो। मैं समझता हूँ पंचायत में ही फॉर्म भिजवा दीजिये। लोग चार आने का पैसा दे देंगे और उनको ले लेंगे। इससे पंचायत वाइज़ तो ऑटोमेटिकली वे शोर्टआउट भी हो जायेंगे। जहां आप कहते हैं कि हम कम्बरसमपना मिटायेंगे वहां you are actually letting it in, उसको आप आने देते हैं।

उसके बाद में एक यह है। आपने फरमाया है कि जो कमेटी विलेज लेवल पर मुकर्रर करेंगे उसमें सरपंच, ग्राम सेवक, हलका पटवारी और एक प्रोग्रेसिव फार्मर होंगे। साथ में यह भी फरमा दिया है कि अगर नम्बर ऑफ कॉम्पीटिटर्स ज्यादा होंगे तो दो या दो से अधिक कमेटीज़ फॉर्म कर दें। परन्तु उनमें मेम्बर कौन होंगे यह नहीं बताया? सरपंच की जगह मान लें उप-सरपंच कर देंगे। प्रोग्रेसिव फार्मर भी दूसरा रख लेंगे। लेकिन ग्राम सेवक की जगह और पटवारी की जगह पर किसको करेंगे? यह इसमें वेग् रखा गया है; क्लीयर नहीं है।

Page No 49

(श्री केसरीसिंह)

इसके बाद में आप देखिये, जो बहुत ही बड़ी मुझे गलती लगती है वह यह है कि जिस खेत में क्रॉप कॉम्पीटिशन में काश्तकार भाग लेना चाहे, उसमें से दो अलग अलग प्लाट्स में फसल लेकर आप कटवायेंगे। ३३×३३ जो कि १/४० एकड़ होता है, ऐसे दो प्लाट आप लेंगे । इसमें से एक तो काश्तकार जिस प्लॉट को चाहेगा वह होगा। वह कहेगा कि ३३×३३ आप यहां पर ले लीजिये। दूसरा प्लॉट कमेटी की मंशा होगी उसको लेगी। अब फसल जो है वह अमूमन है किसी भी खेत में चारों कोने इकसार नहीं होती । विशेषकर खरीफ कि फसल में यह होता है। टूंडी और उपरेटा होते हैं । टूंडी जिधर खेत में पानी ठहरता है, उपरेटा जिधर पानी ठहरता नहीं। अब मैं पंचायत कमेटी के बोना फाइडीज़ के लिए क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन इसमें पक्षपात की गुंजाइश जरूर रहती है। बहुत अच्छा फार्मर है वह अपना ३३×३३ का प्लाट बताता है लेकिन कमेटी उसके खेत में से वर्स्ट पॉसिबल प्लाट चुन सकती है और इससे उसका एवरेज तो बहुत नीचा पहुँच जायगा। इसके मुकाबले में एक साधारण फसल वाले खेत में कमेटी अच्छे से अच्छा प्लॉट चुन कर एवरेज को ऊंचा रख सकती है। पक्षपात से काम करें तो दूसरा प्लाट चुनने में कमेटी कॉम्पटीशन के नतीजे को बहुत कुछ मनमाने ढंग से डिगा सकती है और भी गड़बड़ की गुंजाइश है । ३३ × ३३ की बात यहाँ है । मान लीजिये दो फीट कम या ज्यादा कर लें तो क्या करें। बड़ा फर्क पड़ सकता है; इससे आपने तो यहां तक भी कह दिया है कि फसल को कटवा कर बंडल बंधवायेंगे और उनको सील करेंगे । मुझे बतायेंगे आप how you would affix a seal to the bundle ? बाजरे के सिट्टे होंगे तो सील कैसे एफिक्स करेंगे ? गेहूँ के लिए कैसे एफिक्स करेंगे ? What exactly was in your mind, मुझे बताइये । यह हो सकता है कि उनको प्रेस करके बोरियों में भर कर उसको सील कर सकते हैं। यह तो समझ में आ सकता है परन्तु बंडल करके उनको सील कैसे करेंगे, यह मेरे तो कम से कम समझ में नहीं आया ।

फिर मैं आपको अर्ज करू कि आप टाइम का फरमाया है कि एप्लीकेशन्स अमुक टाइम पर पहुंच जानी चाहिये । यह बात आपने पेज ३ के २ (१) में बताया है "(1) The Committee shall give wide publicity to the proposed comeptition and invite applications from intending competitors by a specified date." यानी कमेटी उस डेट को फिक्स करेगी। इससे यह तात्पर्य निकलता है। लेकिन इन्हीं सजेशन्स के पराग्राफ १२ में आपने बताया है । यील्ड्स के पूरे रिज़ल्ट्स आ जावेंगे उनको आगे भेजने की जहां बात है वहां लिखा है : "(12) The list will be forwarded to the block committee by a date to be specified by the block." यानी रिज़ल्ट्स पंचायतों की तरफ से अमुक डेट को ब्लाक कमेटी के पास भेज दिये जावेंगे । ब्लॉक का मतलब मैं समझ नहीं पाया। अगर पंचायत समिति से है तो दुभांत रहती है । एप्लीकेशन कमेटी के पास कब तक आये यह तो वही कमेटी तय करे और रिजल्ट कमेटी के पास कब तक भेजे जाये, यह ब्लॉक याने पंचायत समिति तय करे ।

(श्री केसरीसिंह)

यह कॉम्पीटिशन ऑर्गेनाइज़ कमेटी कर रही है। वही डेट तय कर सकती है या कि ब्लॉक के सुपुर्द कर दें ? एक जगह तो कमेटी को सुपुर्द करते हैं और दूसरी जगह ब्लॉक यानी पंचायत समिति को, इस तरह से एक रूपता दिखाई नहीं देती है।

अब मैं बहुत संक्षेप में ही अर्ज करूंगा। जैसा कि आपने फरमाया है रिजल्ट्स जो आयेंगे उनमें से तीन केन्डीडेट्स के नाम कमेटी जिला परिषद् के पास भेजेगी। क्रमवार जिसका हाइयेस्ट यील्ड होगा उसका पहले, उससे कम का बाद में और उससे कम का उसके बाद में इस तरह से तीन नाम भेजेगी। उसके बाद में, जिला परिषद् सब पंचायत समितियों के रिजल्ट्स आने के बाद में वह घोषणा करेगी। मान लीजिये एक पंचायत समिति में कोई कॉम्पीटिशन ही नहीं हुआ तो उसकी वजह से दूसरी समितियों के कृषि निपुणों की घोषणा क्यों रुके ? मेरा यह निवेदन है कि एक एक पंचायत समिति से जैसे जैसे नाम आते जांय उसके साथ साथ रिजल्ट्स की घोषणा कर दी जानी चाहिये।

और फिर आप तीन नाम भेजते हैं। उसमें आप ने जिला परिषद् को डिस्क्रीशन नहीं दिया है। ज्यादा से ज्यादा जिसका ईल्ड हो उसका ही नाम घोषित होगा। इसलिये तीन नाम भेजना भी समझ में नहीं आता। शायद रेकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिये रखा हो, लेकिन क्या रेकार्ड वेरीफाई करेंगे ? बोरियां तो भरी हुई मिल जायगी; उसमें तो गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी उसमें हो सकती हैं प्लॉट ३३ बाई ३३ की जगह ४० बाई ४० का ले लिया हो। अब फसलें तो उस समय तक खड़ी नहीं रहेगी, they will have been cut off. इसमें करप्शन की गुंजाइश है। To verify the correctness of records इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही है या गलत इसका वेरीफाइ होना नितान्त असंभव है। और भी देखिये, क्लाज १८ में लिख दिया है :

"(18) The Committee for Zila Parishad may also visit the fields of any of the competitors whose names have been forwarded by the standing committees to........"

स्टेंडिंग कमेटी कैसे फॉरवर्ड करेगी ? आपने पहले कमेटी बनाई जो कॉम्पीटिशन ऑर्गेनाइज़ करती है। इसमें बताया है चेयरमेन कौन होगा, इत्यादि।

"It will be quite different from the Standing Committee for agriculture or Production."

यहां आप फर्माते हैं कि जो नाम आगे भेजे जायेंगे स्टेडिंग कमेटी द्वारा भेजे जायेंगे। अब मैं इस संबन्ध में ज्यादा बहस में न जाकरके जो सजेशन्स आये हैं, माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा, कॉम्पलीकेटेड हैं। इसलिये मैंने समय बढ़ाया जाने के लिए भी कहा था, परन्तु मंत्री महोदय ने तब फरमाया था कि जो रिपोर्ट है कमेटी की, उसको सरकार जिसको एक्सेप्ट कर रही है उसमें आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसको एक्सेप्ट करने से पहले पूरा इस पर गौर किया जाय। यह तो मैंने जो अर्ज किया, मेरे जो संशोधन हैं, मेरे ख्याल वे बहुत उचित हैं। लेकिन हो सकता है कुछ आप उनको मन्जूर न करें इसलिये

(श्री केसरीसिंह)

मेरा निवेदन है कि आपने सादिक अली कमेटी बिठायी है जो पंचायती राज सम्बन्धी सब बातों पर कन्सीडर कर रही है और उसके साथ साथ इन बातों पर भी विचार करेगी। उस कमेटी का क्या मत रहता है वह ज्यादा छान-बीन कर के अपनी राय देगी। इसलिए मेरा निवेदन है इस समय जो इस कमेटी ने राय दी है, उसको बिना सोचे समझे मन्जूर न करें।

इस कमेटी ने जो आंबजर्वेशन्स दिये हैं मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है या तो उनको एग्रीकल्चर की जानकारी कम होगी या उन्होंने इन बातों पर ज्यादा गौर से विचार ही नहीं किया या क्या उनकी भावना रही है, यह मैं अर्ज नहीं कर सकता। इससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आयेंगे इसलिये इस पर ज्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और जो सजेशन्स आये हैं उनको बिना सोचे समझे मन्जूर न किये जायं। सादिक अली कमेटी जब अपना मत दे दे उसके बाद रूल्स में परिवर्तन करना चाहें तब करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी तकरीर के दौरान में राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) रूल्स, १९६१ के बारे में जो तरमीमें रखी थी उस पर सदन द्वारा नियुक्त सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने विचार किया और विचार करने के बाद में वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की। यह मैं मानता हूं जहां तक कृषि निपुण के चुनाव के लिये जो कानून बनाया गया है वह काफी कम्बरसम है और इसलिये इसके अन्दर तर्जुबे के बाद में कुछ ऐसी तरमीमें होनी चाहिये जिसकी वजह से आसानी से कृषि निपुण चुना जा सके।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी थी उस तरमीम में सब से बड़ी बात, जिसका कमेटी ने जिक्र किया और जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया। माननीय सदस्य की यह मन्शा नहीं थी, जैसा कि उन्होंने बताया, कृषि निपुण पंचायत समिति द्वारा चुना जाय, यह ऑथोरिटी पंचायत समिति के हाथ में हो। तरमीम का जो मजमून बनकर आया है, जो जिला परिषद और पंचायत समिति कानून है जो पेरेन्ट एक्ट है उसके अन्दर कृषि निपुण, माननीय अध्यक्ष, इसलिये चुना जाता है कि पंचायत समिति के क्षेत्र में जो कृषि में निपुण हो उसको ओनर किया जाय। इसलिये कोआप्शन नहीं रखा गया है। किस तरह से पंचायत समिति के सदस्यों को पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी अपनी चोइस के आदमीयों की लिस्ट बनाकर के चुन ले यह अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। एक पंचायत समिति के ऊपर के लेवल की बोडी है उसको यह अधिकार दिया गया है, वह अधिकार अपना एक्सर्साइज़ करे। माननीय सदस्य की जो तरमीम है उससे उनके अधिकारों पर कुटाराघात होता है, रेस्ट्रिक्शन पड़ती है। आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की लिस्ट हमको बनाने का अधिकार होना चाहिये वह लिस्ट बनाकर हम भेज दें और जिला परिषद उसमें से चुन ले। इस तरह से जिला परिषद जो ऑथोरिटी है उस पर रेस्ट्रिक्शन पड़ता है। इसलिये आपकी बात को अंगीकार कर

(श्री मथुरादास माथुर)

लिया जाय तो जिला परिषद का जो कानून है इसके लिये पेरेन्ट एक्ट का जो क्लॉज़ है उसमें अमेन्डमेन्ट लाना बहुत जरूरी हो जायगा।

सबोंडिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का यह मानना है कि पेरेन्ट एक्ट में तब्दीली लाते हैं तो कभी भी लेजिस्लेशन ठीक नहीं समझा जाता जब तक कि पेरेन्ट एक्ट में तब्दीली नहीं कर देते। माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया, आप यह चाहते हैं कि शियेटिव भी पंचायत समि... हाथ में रहे। स्कीम आफ थिंग्ज़ है कि वह जिला परिषद के हाथ में रहे, जिला परिषद निर्णय करे, उसके लिये रूल्स बनाये इस एक्ट के मातहत और उसी आधार पर कृषि निपुण को चुने। इसलिये जिस पर एम्फेसिस है, स्कीम ऑफ थिंग्ज है, ऑथोरिटी है–वह जिला परिषद है। आप इम्फेसिस पंचायत समिति को देना चाहते हैं। पंचायत समिति एक एक्सपर्ट्स की लिस्ट बना दे और उनमें से जिला परिषद् एक का चुनाव कर ले इसमें एक प्रकार से जिला परिषद के हाथ को बाइन्ड करते हैं कि वह उस पैनेल के अन्दर अन्दर ही से नाम को चुने। उसके बाहर नहीं जा सकते। कृषि निपुण पंचायत समिति क्षेत्र में है उसको ओनर किया जाय; क्रप कॉम्पीटिशन करके जो ज्यादा पैदावार करे उसका मान होना चाहिये ताकि दूसरे लोग खेती के उत्पादन में दिलचस्पी लें; ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करें–इसी ख्याल से यह रखा गया था। इसलिये आपके जो विचार हैं उन विचारों में आपकी सद्भावना होते हुए भी एम्फेसिस ज्यादा है। फन्डामेन्टली जो मेन क्लॉज़ है, उसमें जब तक तरमीम नहीं करते यह तरमीम स्वीकार नहीं की जा सकती। बाकी कमेटी ने जो बातें बताई हैं कमेटी के जो प्रपोजल्स हैं वे बिल्कुल क्लीअर कट हैं कि हम कम्बरसमनैस मिटाना चाहते हैं लेकिन जो प्रपोज़ल्स बन गये हैं वे इक्वली कम्बरसम बन गये हैं।

बाकी जो बातें आपने रखीं, कमेटी के प्रपोजल्स को क्रिटीसाइज़ किया, आपने जो सुझाव रखे मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य ... ने कहा राजस्थान सरकार ने सादिकअली के चेयरमेनशिप में एक कमेटी मुकर्रर की है जिसकी सदन में घोषणा हो चुकी है। उस कमेटी ने एक लम्बा चौड़ा क्वेश्चनेअर इश्यु किया है उसके अन्दर इसकी भी चर्चा है, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि क्या कृषि निपुण कॉप्शन से रखा जाय या नहीं। कॉप्शन का जो सिस्टम है उसको रखा जाय या न रखा जाय? वोट देने का अधिकार हो या न हो? पूरे एक्ट के ऊपर वह कमेटी विचार करेगी। यह सवाल भी उसके सामने आयगा।

तो इसलिये आज के दिन जो राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है और उसमें इस और बैठने वाले और उस और बैठने वाले निपुण लोगों को लिया गया है तो हमें उस कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करना चाहिये। इसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या निर्णय ले और सदन अपनी क्या राय बनाए-इसको देखना चाहिये। इसके बाद कोऑप्शन रखा जावे तो रूल्स को बदलने का सवाल पैदा हो सकता है। वरना कॉप्शन रखा ही नहीं जावेगा तो सवाल पैदा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि वे

Page No 53

(श्री मथुरादास माथुर)

अपना प्रस्ताव वापिस ले लें । रिपोर्ट के आने के बाद सरकार अपना निर्णय लेगी और जरूरत समझेगी तो रूल्स सदन के सामने भी रखेगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको वापिस ले लें इस आश्वासन के साथ कि नियमों में संशोधन करते हुए आपके संशोधन का भी सरकार ध्यान रक्खेगी ।

श्री केसरीसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेने को आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नियमों में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री केसरीसिंह डिविजन नम्बर ८६ ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

आप वापिस ले लें ।

श्री केसरीसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें तथा दसवें प्रतिवेदन पर विचार

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के आयुक्त की नवें प्रतिवेदन, १९५९-६० तथा दसवें प्रतिवेदन १९६०-६१ को जहां तक उनका राजस्थान राज्य सरकार से सम्बन्ध है, विचारार्थ लिया जावे" ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री जयनारायण सालोदिया ।

(४. ४२ म. प.)

माननीय सदस्यों को पत्रादि हिन्दी में वितरित करने विषयक औचित्य प्रश्न

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : On a point of Order, Sir, जब यह प्रतिवेदन आदिम जातियों और पिछड़ी जातियों से सम्बन्ध रखने वाला है तो उन जातियों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्य उसको समझ सकें कि क्या धनराशि हमारे लिये खर्च की जाती है, किस तरह हमें प्रगति पर पहुँचाते हैं, क्या सफलता मिली है और क्या नहीं मिली इसको जान सकें इसके लिये यह प्रतिवेदन हिन्दी में होना चाहिये था । पर यह भी अंग्रेजी में है तो इस पर हम क्या विचार कर सकते हैं और क्या अपनी राय दे सकते हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक इसकी पोथी हिन्दी में न आवे तब तक दसवें प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर सकते हैं । इसे तब तक के लिये सदन में नहीं रखा जावे विचारार्थ ।

मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : नवमां तो हिन्दी में है । उस पर तो विचार किया जा सकता है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, धारा २५५ के अन्तर्गत जितने भी पेपर्स सर्कुलेट किये जाते हैं वे for the use of the members किये जाते

(श्री विजयसिंह झाला)

हैं। तो जहां तक इंगलिश पेपरों का सवाल है उनको अधिकांश मेम्बर यूज़ नहीं कर सकते, इस सेंस में धारा २५५ का पालन होता। इसके बारे में पहले भी ऑब्जेक्शन्स उठाये गये थे और आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में जिन पर बहस होगी उन पेपरों को हिन्दी में अनुवाद करके सर्कुलेट किया जावेगा। जब सदन में ऐसे भी मेम्बर हैं जो हिन्दी भी नहीं जानते और अंग्रेजी भी नहीं जानते तो कम से कम जो अंग्रेजी नहीं जानते हिन्दी जानते हैं उनके लिये अंग्रेजी के पेपर देना, यूज़ के लिये देना नहीं माना जावेगा। जब यूज़ के लिये नहीं दिया गया तो जब तक यूज़ के लिये नहीं दिया जावेगा तब तक उन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : इस सदन की भाषा हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी है। माननीय सदस्य स्वयं इसको स्वीकार करेंगे।

अब रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करके दिये जाने की बात कही जावेगी तो इसमें देर लगेगी और इससे बहस में भी देर होगी और इससे भी कोई विशेष तथ्य स्थापित हो और बड़ी बात सामने आवे ऐसी मंशा भी इससे दिखती नहीं। फिर यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट है। उन्हीं के द्वारा तैयार करके भेजी गई है। इस पर बहस का यह अर्थ है कि हम सरकार की नीतियों पर बहस कर सकें और उस पर प्रस्ताव रख सकें। तो यह आप इस समय भी कर सकते हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): इस प्रान्त में इस विषय में अमुक प्रगति हुई है अमुक हद तक सफलता मिली है, अमुक हद तक असफल रहे हैं; कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना नहीं हुआ, यह हिन्दी में आये बगैर कैसे जान सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : आप यही बता दें कि कहां प्रगति नहीं हुई है, कहां खामियां हैं

श्री मथुरादास माथुर : हमने तो पूरी प्रगति कर ली। अब आप बता दें कहां नहीं की।

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): नवमां तो हिन्दी में ही है। उस पर तो बहस कर सकेंगे अब जो अंग्रेजी में है, उसका हिन्दी में अनुवाद होने के बाद अगर डिस-कसन उस पर हो तो कब होगा। काफी देर उसमें लगेगी। इसलिये मेरा अर्ज यह है कि जो हिन्दी में उपलब्ध है उस पर बहस कर ली जाय और दसवां अंग्रेजी में है तो उसे भी समझा जा सकता है, और उस पर भी बहस करने में कठिनाई अधिक नहीं आवेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय हीराभाई चाहें तो प्रतिवेदन के बाहर भी बहस कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के ९ वें व १० वें प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, ९ वें व १० वें प्रतिवेदनों पर बहस हो रही है। हमारे राजस्थान में जिस पार्टी का शासन है वह पार्टी अपने आपको गांधीजी की अनुयायी बताकर लोगों में इस प्रकार का प्रचार करती है कि-

(४·४७ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

वे हरिजनों के उत्थान के लिये बराबर सोचते हैं, हरिजनों और पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों के लिये उन्होंने इतना रुपया खर्च किया। यह विभाग बना रखा है अलग। इन सब का आज १५ वर्षों के बाद अगर निरीक्षण करें और देखें कि जितना रुपया सरकार ने इन पर खर्च किया है उसका क्या रिटर्न मिला तो हमें सरकार के कथन में निस्सारता ही मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती क्या है? कहने को कहती है, हम इनका उत्थान चाहते हैं। पर इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। यह हम अशिक्षित लोगों को भुलावे में रखना चाहती है। आज इनके भलाई के नाम पर जो पैसा खर्च किया जाता है वह सही रूप में खर्च नहीं होता। इसलिये उनका यह कहना कि हम हरिजनों का भला चाहते हैं, उनको आम लोगों की श्रेणी में लाना चाहते हैं यह मुझे सही नहीं जंचता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि १५ सालों में हमने इस काम पर कितना रुपया खर्च किया है और उससे कितना हम आगे बढ़ पाये हैं। इसके लिये तीन बातें विचारणीय हैं जिन पर हमें विचारना होगा।

पहली बात, हम अब तक कितना कर पाये हैं। हमने उन लोगों के लिये एक अलग विभाग कायम कर रखा है। अब उस विभाग में हमारा कितना पैसा खर्च होता है। उन लोगों के लिये जिनके लिये आप कहते हैं कि वे पिछड़े हैं, रहने को मकान नहीं है, आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है और जिनके लिये लाखों रुपया हर साल खर्च करते हैं। इस पैसे को इन कामों के लिये खर्च करने का काम उस विभाग का है।

अब उस विभाग ने अब तक क्या किया? कितने हरिजनों को आबाद कर दिया? कितनों को शिक्षित कर दिया? कितनी छुआछूत कम हो गई? और कितने लोगों को अन्य प्रकार की सहायताओं के द्वारा इस स्टेन्डर्ड पर ले आये कि वह लोग अन्य समाज के लोगों के समान और उनके समकक्ष हो गये? कभी इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वह बजट जो लाखों और करोड़ों की तादाद में होता है वह बजट उन लोगों, जिन लोगों के लिए हमने वह बजट पास किया है, तक कितना पहुंचता है और किस मात्रा में पहुंचता है? और बाकी का बजट किन लोगों की जेबों में जाता है, किन लोगों के एशो-आराम में खर्च होता है? यह हमें देखना है। अगर हम इसी तरह की प्रवृति मानते हुए इस विभाग को चलायेंगे या यही हमारी योजना इन लोगों के प्रति चलती रहेगी, जो लोग वास्तव में गरीब हैं, वास्तव में पिछड़े हुए हैं और वास्तव में उनको सहायता की आवश्यकता है अगर हम उनके प्रति इस तरह से, उदासीनता से सोचेंगे, उनके पैसों की अगर हम इसी तरह से खर्च करने की व्यवस्था रखेंगे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम ५ साल, १० साल, १५ साल और २० साल क्या १०० सालों में भी उन लोगों को, जिस स्टेन्डर्ड पर लाना चाहते हैं उस स्टेन्ड्र्ड पर नहीं ला सकेंगे और जिस स्टेन्ड्र्ड पर उनको लाने का लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। हम देखते आये कि गत १५ सालों में हम कितने आगे बढ़े हैं। अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति के जो लोग हैं उनकी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में जो इस विभाग का कार्यक्रम है उसका मैं आपकी मार्फत स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ।

इस विभाग के पास कुछ आइटम्स हैं, जिनके द्वारा उसकी मान्यता है कि हम इन आइटम्स को बजरिये एडवरटाईज़मेंट्स के या बजरिये इस तरह के कामों के, कार्यरूप में परिणत करने से जिसका सम्बन्ध नहीं है और कागजों से जिसका संबंध है, हम इन लोगों की आर्थिक, राजनैतिक, 'माली और सामाजिक हालत ठीक करें। उनमें एक है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जगह जगह पर छात्रावास चलाये जाते हैं। वे छात्रावास जिन पर पब्लिक के पैसों का और वह भी अच्छे पैमाने के पैसों का, एक बजट का अच्छा हिस्सा इस काम के लिए यह विभाग खर्च करता है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि छात्रावास जो इस विभाग के द्वारा जिस उद्देश्य से चलाये जाते हैं, क्या वे सन्तुष्ट हैं इस बात से कि जितना पैसा हमारे छात्रावासों के चलाने में खर्च होता है उसके हिसाब से हम उतने ही लड़कों को सही शिक्षा दे पाते हैं ? हम उनके संस्कारों को सुधार पाते हैं ? अगर यह माननीय मंत्री महोदय या विभागीय अध्यक्ष, करीब करीब जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके द्वारा यह पैसा खर्च किया जाता है, वह सोचें तो मालूम होगा, जो इनकी स्कीम है उनकी भावना अच्छी होते हुए भी अभी तक कामयाब नहीं हो रही हैं। अब इसमें कहां कमी हैं, क्यों नहीं कामयाब हो रही है, यह प्रश्न हमारे सामने है। कमी का प्रश्न यही है जैसा मैंने बताया इस काम के प्रति सरकार या इस विभाग के इन्चार्ज की जितनी लगन, श्रद्धा और साहस होना चाहिए उतना नहीं है। इसी वजह से शनैः शनैः इस विभाग में शिथिलता आती जा रही है। शनैः शनैः लोग यह भूलते जा रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसा भी अंग है जिसके प्रति हमें सोचना है, जिसको हमें ऊंचा उठाना है। शनैः शनैः यह बात धूमिल पड़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि जो विभाग इस काम का इन्चार्ज है वह विभाग उदासीनता के साथ इस काम को देखता है।

छात्रावास हम दो तरह के चलाते हैं। मैंने खुद ने कई छात्रावास देखे। मैं जब उन छात्रावासों को देखता हूं और वहां की व्यवस्था को देखता हूं और गवर्नमेन्ट की उस योजना को देखता हूं तो योजना की भावना के अनुसार तो इन छात्रावासों के द्वारा इन लड़कों का भविष्य उज्जवल करने की बात है लेकिन उसके अनुसार इन लड़कों को इस काबिल बना देंगे कि ये अच्छी सोसाइटी में बैठ सकेंगे, ये अपना जीवन-यापन अच्छी तरह से कर सकेंगे-इस प्रकार की बात मुझे वहां किंचित मात्र दृष्टिगोचर नहीं होती। वहां मुझे दृष्टिगोचर होता है, वहां यह भावना पाई जाती है, वहां के सरकारी मुलाजिमों के अन्दर यह भावना होती है लड़कों के प्रति कि हम इन लोगों के ऊपर जैसे कोई अहसान कर रहे हैं। यह दलित वर्ग के लड़के हैं और इनको हम मुफ्त खाना-कपड़ा या इस तरह की जो भी सहूलियतें दे रहे हैं यह उनके ऊपर एक तरह से अहसान है जो हम चाहें तो दे सकते हैं और चाहें तो नहीं दे सकते हैं। यह भावना वहां के लोगों की है। क्योंकि लड़के उसी वातावरण में रहते हैं [illegible] वहां के लड़कों की भी वही भावना

(श्रीज यनारायण सालोदिय)

है कि यहां हम एक अनाथ की तरह रहते हैं और गवर्नमेंट के खर्च पर पढ़ते हैं और गवर्नमेंट का हमारे ऊपर यह अहसान है। इस प्रकार की भावना वहां के लड़कों की बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों विचार-धाराओं में एक तरफ हम यह चाहते हैं कि उनका आचरण ठीक हो, उनके संस्कार सुधरें, उनका आत्मबल और मनोबल मजबूत हो और दूसरी तरफ हम इस तरह के विचार लेकर चलते हैं कि जैसे हम उनके ऊपर अह-सान करते हैं और क्योंकि उनके ऊपर खर्च करते हैं इसलिए वह अहसान के पात्र हैं और अगर हम नाराज़ हो जायें तो उनकी जिन्दगी खराब कर सकते हैं और अगर खुश हों तो उनको एडमीशन दिला सकते हैं। वहां की व्यवस्थाओं के बारे में मैंने कई बार सरकार का ध्यान क्वेश्चन्स के द्वारा दिलाया है। वहां के लड़कों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छी साग सब्जी नहीं मिलती, अच्छा मकान नहीं मिलता है, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है और रोशनी-पानी की व्यवस्था नहीं है और वह इसीलिए नहीं है कि उन लोगों की भावना यह है कि हम जितना करते हैं वह ही बहुत अहसान है और यह भी करें या न करें–हमारी इच्छा है। खाना उनको जहां तक दिया जाता है वह बहुत खराब, बहुत अस्वास्थ्यप्रद होता है और अगर इस तरह का खाना किसी विद्यार्थी को मिले और हम फिर उससे उम्मीद करें कि वह पढ़–लिख कर अच्छे डिवीज़न से पास होगा या अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे ओहदे पर पहुंचेगा यह लक्ष्य ऐसी भावनाओं से पूरा होने वाला नहीं है।

मैं जयपुर के कुछ छात्रावासों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। यहां कई छात्रावास गवर्नमेंट के हैं और एक–दो छात्रावास प्राइवेट हैं। जहां तक गवर्नमेंट के छात्रावासों का प्रश्न है वहां मैंने खुद जाकर देखा है कि जहां जहां छात्रावास हैं वहां के मकान काफी छोटे हैं। १० आदमी के रखने के लायक मकानों में हम ५०–५० लड़कों को रखते हैं। जहां तक मैंने देखा है, यह मेरे खुद का अनुभव है। एक छात्रावास जयपुर में है जहां १० आदमी के रहने के स्थान में, एक कुटुम्ब जहां आसानी से रह सकता है, वहां पर ५० लड़के रह रहे हैं। वह लड़के कैसे रह रहे हैं। वहां लेट्रिन है उसको नीचे से साफ करके लड़के रखे गये हैं। वहां पर रसोई घर में लड़के रहते हैं, वहां पर बरामदा है उसमें लड़के रहते हैं, वहां मोटर–गैराज है उसमें ड़के रहते हैं। यह अफसोस की बात है कि उस मकान का किराया जब हमने देखा तो बहुत ऊंचा किराया है। उस किराये से कम किराये पर जयपुर में छात्रावास के लिए कई मकान मिल सकते हैं मैं नहीं समझता कि न मालूम सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार क्यों नहीं लेना चाहती है ? क्यों लड़कों को परेशान करके फैल कराने का खयाल रखती है ? सरकार क्यों उनको आरामदेह जगहों पर नहीं ले जाना चाहती है ? ये सब बातें आज सरकार से निवेदन करूंगा। वहां पर लड़के इस तरह से रहते हैं। वहां के खाने का स्टेण्डर्ड देखा है। उनको जो खाना मिलता है वह बदबूदार और बासी आटे का बना हुआ उनको मिलता है और रद्दी से रद्दी और सस्ते से सस्ते भाव की सब्जी उनको मिलती है। अगर कोई विभागाध्यक्ष या आफिसर साहब पधारते हैं तो उनके सामने

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उनको इस तरह का भाषण देते हैं कि आपको यह मुसीबतें सहनी हैं, इनका सामना करके एक आदमी बड़ा होता है, इसलिए आपको भी हर मुसीबत का सामना करना चाहिए । आपको इन मुसीबतों का सामना करना चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए । यह मैं मानता हूं कि इनसे घबराना नहीं चाहिए । मुसीबतों का उनको सामना करना चाहिए लेकिन कब, जब कि हमारे पास पैसा नहीं हो । गवर्नमेंट पैसा ज्यादा खर्च करती है जो अन्य लोगों के छात्रावास चलते हे उनसे । जब सरकार व्यवस्था खराब से खराब करती है तो बर्दाश्त नहीं होता है । अगर इस तरह की बात हो कि पैसा नहीं है, इतना स्टेण्डर्ड हमे नहीं बढ़ाना चाहिये, तोआप कम खर्च करें । एक तरफ तो आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं और दूसरी तरफ उनको पूरी सहूलियतें नहीं देते हैं । यह बात हमारी समझ में नहीं आती है ।

छात्रावास लड़कियों के भी यहां हैं जहां तक लड़कियों के छात्रावास का सम्बन्ध है । जो जो छात्रावास मैंने देखे हैं, उन छात्रावासों में लड़कियों की उपस्थिति बहुत कम है। अब उस कमी के कारण जैसा कि मैने बतलाया है कई हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंटने कभी यह नहीं सोचा है कि हमारे लड़कियों के छात्रवासों में शून्य कीमात्रा में लड़कियों के होते हुए भी इतना खर्चा हो रहा है ? लड़कियां कम क्यों आ रही हैं ? क्या राजस्थान में लड़कियों की पैदायश कम हो गई है ? क्या लड़कियां नहीं पढ़ती हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स की या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ? लेकिन गवर्नमेंट यही चाहती है ? इसीलिए लड़कियों के छात्रावास ५–५ मील की दूरी पर बना रखे हैं ताकि साधारण लड़कियां या छोटी लड़कियां इस तरह की हों कि इन छात्रावासों में रहना पसन्द न करें । अगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि लड़कियों को ज्यादा सहूलियतें दी जायं तो सिटी के नजदीक कोई अच्छा मकान हो जिसमें ज्यादा सहूलियतें हों तो लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं । लेकिन गवर्नमेंट इस बात पर दृढ़-निश्चित है, लड़कियों को ज्यादा सहूलियतें मिलें या नहीं लेकिन गवर्नमेंट के प्रपोजल में जो गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि छात्रावासों को १० मील दूर रखना है । चाहे लड़के-लड़कियों को १० मील पैदल चलकर स्कूल जाना पड़े लेकिन वहीं पर रखेगी ।

इसी तरह से मैं संस्कार-केन्द्रों की बात कहूँगा जो इनके द्वारा चलाये जा रहे हैं । कितने ही संस्कार-केन्द्र यहां पर चलते हैं, राजस्थान में उन पर कितना पैसा खर्च होता है ? उनके द्वारा अब तक कितने लोगों का संस्कार सुधार दिया है ? यह हम गवर्नमेंट से पूछें तो गवर्नमेंट के पास कोई आंकड़े नहीं हैं । गवर्नमेंट नहीं बता सकती है, इसका अब तक क्या मापदण्ड है हमारे पास जो हम यहां से पहुंचकर यहां तक पहुंच गये संस्कार केन्द्रों के मामले में मैं जहां तक देख पाया हूँ अधिकतर संस्कार-केन्द्र बन्द पड़े हैं, और उनमें न मास्टर हैं और न अध्यापक हैं, और वे गवर्नमेंट के कागजों पर नाम-मात्र के संस्कार-केन्द्र हैं । इस तरह के कई संस्कार-केन्द्र हमारे टोंक जिले में है । लेकिन गवर्नमेंट से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वह टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल ऐसा संस्कार-केन्द्र बता सकते हैं, जो उनकी योजना के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अनुसार, उनके कार्यक्रम अनुसार रोज चलता हो। ऐसा कोई नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि छात्रावासों के कार्यक्रम के साथ साथ यह संस्कार-केन्द्र का कार्यक्रम है यह भी जितना प्रगतिवान होना चाहिए उतना नहीं है, और उनके अनुसार जितना हम उनके संस्कारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं वह नहीं होता है।

उनको अच्छी जगह बसाने की बात है, वह एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है हमारे सामने। उन लोगों का जब तक आवास ठीक नहीं होगा, जब तक इनकी बस्तियां ठीक नहीं होंगी, वे गन्दे घरों में कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ में गवर्नमेंट का यह विचार हो कि उनको साफ सुथरे और अच्छे मोहल्लों में बसाया जाय, तो मैंने देखा है कि जहां पर समाज-कल्याण द्वारा बस्तियों का निर्माण हो रहा है, वह स्थान शहरों से दो मील दूर जंगल में है, जैसा कि मैंने अजमेर जाते हुए कई दफा कालबेलियों की बस्ती को देखा है, जिसके कि आस-पास कहीं भी १०–१० मील तक कोई गांव नहीं है। गाडिया लुहारों की बस्तियों को देखा है। वे भी ऐसे बियावान जंगल में हैं। तो एक तरफ आप उन पर पैसा खर्च करें कि उनके संस्कारों को सुधारा जाय और दूसरी तरफ ऐसे जंगलों में शहर से दूर उनको बसाते हैं। जयपुर में जितनी बस्तियां बसी हैं वे सब इसी तरह से बाहर हैं कोट के बाहर हैं। कोई शहर के नजदीक नहीं, जिसका सम्पर्क दूसरे लोगों व अच्छे लोगों से नहीं ताकि वे अपने संस्कार सुधार सकें। वे वहां पर एकान्त में अपनी ही विचारधारा में रहते हैं और इस तरह से वे तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो गवर्नमेंट उनकी इस तरह से दूर बस्तियां बसाती है दूसरी तरफ कुछ लोग जो शहरों के बीच रहते हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम के नाम पर, विकास के नाम पर शहर से दूर भगा देती है। जयपुर में कई उदाहरण हैं। ऐसे लोगों की बस्तियों के लिए यह कहा जाता है कि यहां पर सिनेमाघर बनेंगे, यहां पर सड़क निकालने की योजना है, यहां हम पब्लिक पार्क बनाने वाले हैं इसलिए कुछ बस्तियां हैं जो शहरों में हैं उनका लोगों से सम्पर्क है उनको शहर से दूर ३–४ मील पर सरकार डाल देती है। एक तरफ हम यह कहें हम इनके आवास की व्यवस्था ठीक करेंगे और वह इसलिए ठीक करेंगे कि लोग इनके घर आकर बैठ सकें, ये लोग दूसरे के यहां जाकर बैठ सकें, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी तरफ यह विचार है कि हम इन लोगों की बस्तियां बसायें और ब तो शहरों, गावों और कस्बों से दूर बसायें। तो फिर कैसे मतलब हल होगा? कैसे सरकार की जो स्कीम है या सरकार की जो मान्यता है वह हल होगी? यह मेरी समझ में नहीं आता। कैसे उनमें एक दूसरे से संपर्क स्थापित होगा? कैसे एक दूसरे से व्यवहार होगा? यह मेरी समझ में नहीं आता? मैं यह मानता हूँ कि सरकार शनैः शनैः इस तबके को, समाज के बहुत बड़े भाग को अन्य समाज से दूर ले जाना चाहती है। चाहिये यह था कि शनैः २ उन लोगों को आबाद किया जाता, बस्तियों में बसाया जाता जिससे वे लोग उनके साथ बैठ कर उनके रीति-रिवाजों से मेल खाते और भेद-भाव शनैः २ खत्म होता; लेकिन सरकार

(श्री जयनारायण सालोदिया)

का उल्टा हिसाब है। सरकार उनको दूसरे समाज से दूर ले जाना चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय चेयरमैन महोदया, अब मैं सरकारी नौकरियों की बात करता हूँ। सरकार नौकरियों के बारे में कहती तो यह है कि हमने इस तरह के कानून भी बनाये हैं कि छोटी नौकरियों में इतने परसेन्टेज् तक इन लोगों को लेंगे और इतने परसेन्टेज् तक हमने सर्विसेज दिलवाई हैं और बड़ी नौकरियों में इतने परसेन्टेज में नौकरीयां दिलवाई है। लेकिन जैसा होता है वह हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। लोग आज भी थोड़े शिक्षित होते हुए भी उन सब शिक्षितों को नौकरी नहीं मिल पाई है। । यह बात तो नहीं है कि सभी शिक्षित हों और तभी नौकरी की इच्छा करते हों या नौकरियां मांगते हों लेकिन कुछ परसेन्टेज शिक्षित हुआ है उसको भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती वे भी आज बेकार हैं। उनको भी हर दफ्तर में, हर विभाग में, हर जगह हम देखें तो इस परसेन्टेज के हिसाब से नहीं लिया जाता है। यह स्पष्ट है, सामने है। यदि हम इसके लिए सरकार से कहते हैं तो कई बहाने बताते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि वे लोग शिक्षित हों और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, वे अच्छी से अच्छी नौकरियों में अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंचें। यदि हम उनके लिये कुछ नहीं सोचते हैं तो वे ही जाकर अपने लोगों के लिये सोचें, लेकिन यह भी देखना सरकार नहीं चाहती है। सरकार को यह भी पसन्द नहीं है। चंद हमारे शिड्यूल ट्राइब के लोग पढ़े-लिखे हैं वे भी बेकार हैं, उनको भी सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलती। जिनको जगह मिलती है उनका भी हाल सुन लीजिये। उनको ऐसी जगह मिलती है जहां उनको परेशानी होती है। उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता इसलिए परेशानी है, उनको पानी की परेशानी है और आवागमन में परेशानी है। इसके अलावा जहां उन लोगों को नौकरियां मिलती है उनको ऐसी जगह अपॉइन्टमेंट दिया जाता है जहां वे परेशान होकर या तो बीमार हो जाते हैं या नौकरी छोड़ने को मजबूर होते हैं मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उसकी क्या मंशा है और क्या चाहती है ? क्या सरकार यह चाहती है कि वे लोग परेशान होकर अपना कार्य छोड़ने को मजबूर हो जावें ? क्या यह सरकार यह चाहती है कि उन अल्प तनख्वाह वालों को बहुत दूर भेज दिया जाय और सारी तनख्वाह उनके आने-जाने में ही खर्च हो जाय ? मैं नहीं समझ पाया कि सरकार की क्या मंशा है।

नौकरियों के बारे में मैंने जो बात अर्ज की उसी तरह ट्रान्सफर और प्रमोशन में भी उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। उनको वाजिब प्रमोशन नहीं मिलता है। मैंने सुना है कि जो जूनियर थे उनको प्रमोशन मिल गया है और सीनियर थे उनको नहीं मिला....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह नौकरी के प्रश्न के साथ साथ जो शिक्षित हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। वे सोचते हैं, शिक्षित होकर क्या किया; इससे तो पहले ही अच्छे थे जो अन्य काम करके अपनी जीविका-उपार्जन तो कर सकते थे।

इसी तरह मैं बताऊं कि हमारे साथ सभी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तरह का भेदभाव समझा जाता है। मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं जो मेरे से कम संबंधित हो सकती हैं। मैं राजस्थान मंत्रि-मंडल के लिये कह सकता हूं कि यहां भी हमारे साथ भेदभाव रखा गया है। हमारे अनुपात के हिसाब से मंत्रि-मंडल में हमारे सदस्य नहीं लिये जाते हैं। जहां इस तरह का भेद होता है तो स्पष्ट है। मैं देखता आया हूं नये मंत्रि-मंडल में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के दो सदस्य थे लेकिन आज मौजूदा मंत्रि-मंडल में केवल डेढ़ सदस्य ही रह गये हैं। इससे प्रकट है कि हम बेकवर्ड या पीछे जा रहे हैं। होना तो यह चाहिये था कि २ की जगह ३ लेते। जैसे कई सरकार के नुमायन्दे यह कहते है कि हम गांधीजी के अनुयायी हैं, लेकिन गांधीजी की मंशा यह थी कि हमारे यहां सही स्वराज्य हो, सही प्रजातंत्र हो। हिन्दुस्तान में सही स्वराज्य तब मानेंगे जब हरिजन लड़के राष्ट्रपति होंगे। गांधीजी का लक्ष्य था और आज उनके अनुयायियों का लक्ष्य है जो सबके सामने है। आज हम पीछे हट रहे हैं। गये मंत्रि-मंडल में दो सदस्य हरिजन थे और अब डेढ़ ही रह गये हैं और हो सकता है अगर और कोई परिवर्तन हुआ तो १ ही रह जाय। यह कोई असंभव बात नहीं है। सरकार की क्या मंशा है यह भली भांति परिचित है। सरकार हमको कितना ऊंचा उठाना चाहती है इससे भी अपरिचित नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि उधर हमारे साथी मंत्री-मंडल में भी बैठे हैं मगर उनका मुंह बंद है। उसकी वजह है और वह सर्व विदित है। वे यदि मुंह खोल दें तो उनकी रोटी-रोजी का प्रश्न है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी रोजी-रोटी को बरकरार रखें, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हमें प्रसन्नता है। हमारी यह दृढ़ भावना है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसे भी हैं वे हमारे प्रतिनिधि हैं लेकिन वे अपनी रोटी-रोजी को बरकरार रखते हुए भी कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहिए उनको....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप तो रोटी की परवाह नहीं करते ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं रोटी की परवाह करता तो इधर नहीं बैठता ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका तो बहुत फायदा किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत फायदा किया है इसलिये तो यहां बैठा रहूं।

एक माननीय सदस्य : और तो क्या फायदा करते आपकी संतान को शिक्षा दे दी, इसके सिवाय क्या करते ?

श्री जयनारायण सालोदिया : शिक्षा जैसी देते हैं यदि आप उससे संतुष्ट हैं और शिक्षा कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या परिभाषा है आपके पास शिक्षा की ....

श्रीमती सभनेत्री : काफी समय हो गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मै अब थोड़ा ही समय लूँगा। मेरी पार्टी के लोग कम बोले हैं।

श्रीमती सभानेत्री : उनका समय कम कर दूंगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : सिंचाई के लिये, कूओं की मरम्मत के लिये सहायता मिलती है लेकिन गवर्नमेन्ट यह बताने में मजबूर है कि कितने कूओं पर कितना रुपया खर्च किया, कितने नये कूओं का निर्माण हुआ और कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है। वह यह नहीं बता सकते। सिर्फ यह बताया कि कितने सिंचाई के कूओं के लिये अनुदान दिया।

दूसरी बात है छुआछूत के कानून की। गवर्नमेन्ट ने इस सदन से कुछ अर्से पहले इस तरह का कानून पास कराया जिसके द्वारा छुआछुत करने वालों को दंडित किया जा सकता है। लेकिन मैं गवर्नमेन्ट से पूछना चाहूँगा कि जब से यह कानून पास हुआ है तब से क्या छूआछूत खत्म हो गई ? यदि नहीं हुई है। यह मानते हैं तो छुआछूत के कितने केसेज हुए और उनमें कितनी कामयाबी गवर्नमेन्ट को मिली ?

यह नहीं बता सकती गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी सिर्फ कानून के बनाने तक, पास करके रखने तक सीमित है। उसमें कितनी मजबूती होती है यह देखना गवर्नमेंट शायद अपना फर्ज नहीं समझती। यह बात है, इतना होते हुए, कानून के होते हुए आज यहां छुआछूत है, यह कोई नहीं मानता है। मैं यह साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह छुआछूत है। राजस्थान में प्याऊ में नालियां हैं; आज राजस्थान में हेअर कटिंग सेलून में छूआछूत होती है, आज राजस्थान में होटलों में छुआछूत होती है। राजस्थान में येन केन प्रकारेण सब जगह छुआछूत होती है–और यहां तक मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के दफ्तरों में भी छुआतछू होती है। मैं दफ्तरों में जाता हूं तो देखता हूं कि अलग-अलग आदमियों की दराजों में अलग अलग ग्लास होते हैं, पानी पीने की प्याऊ अलग अलग होती हैं। क्या यह गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है कि कानून के होते हुए भी अलग अलग आदमियों की दराजों में अलग अलग गिलास हों और अलग अलग प्याऊ पर पानी की व्यवस्था हो ? मैं मानता हूँ कि कानून के होते हुए भी इस तरह की स्थिति होना गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है !

छात्रवृत्ति के लिए मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इस डिपार्टमेंट के पास बहुत से काम हैं और कुछ दिनों से इस डिपार्टमेंट के कामों का विभाजन हो रहा है। शिक्षा का काम शिक्षा विभाग को दिया है, इन्डस्ट्रीज का काम इन्डस्ट्रीज़ विभाग को दिया है, स्वास्थ्य सम्बन्धी काम स्वास्थ्य विभाग को गया है। फिर भी यह डिपार्टमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है। इसका काम है कि इस विभाजन के बाद भी सब विभागों पर उनकी निगरानी होनी चाहिये। उनको देखना चाहिये कि छात्रवृत्ति समय पर अच्छी तरह से मिलती है या नहीं। छात्रवृत्ति के फार्म सहूलियत से मिलते हैं या नहीं और टाइम पर पहुंचते हैं या नहीं? यह देखना इस विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह विभाग केवल उनके लिए है। लेकिन यहां यह विभाग यह कह कर बरी हो जाता है कि यह हमसे सम्बन्धित नहीं है। छात्रवृत्ति का प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। यह सरकार की उदासीनता की बात है, गैर जिम्मेदारी की बात है। इसी तरह इन्डस्ट्रीज़ का कोई काम है तो उसे इन्डस्ट्रीज़ के लिए टाल देते हैं जब कोई विभाग बचता नहीं है। तो इस तरह कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब स्कीम्स

Page No 63

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के वितरित होने के बाद जो स्थिति सामने आई है वह और भी खराब है। छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती। छात्रवृत्ति के फॉर्म कहां भेजने हैं, इसकी हिदायत लड़कों को नहीं होती है कोई कहता है इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास फॉर्म डिप्टी कोई कहता है डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग के पास फॉर्म भेजना है, कोई कहता है डाइरेक्टर शिक्षा विभाग के पास फॉर्म भेजना है। इस तरह की बातें हैं। इसके साथ ही समय पर फॉर्म न मिलना छात्रवृत्ति में बाधक है। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि छात्रवृत्ति का मसला क्योंकि विद्यार्थियों से सम्बन्धित है, मासूम विद्यार्थियों से सम्बन्धित है इसलिए इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, इसे स्पष्ट और सरल बनाया जाय। मैं सम्बन्धित अधिकारियों से मिलता हूं तो कहने को कह देते हैं कि आपको फॉर्म स्कूल में मिल जायेंगे। लेकिन स्कूल में फॉर्म जब पहुंचते हैं जब तक उनके भरने और देने की तारीख निकल जाती है और वे बेकार हो जाते हैं। इस तरह राजस्थान में हजारों नहीं लाखों लड़के छात्रवृत्ति से हर साल महरूम रहते हैं। क्या मानूं मैं इस सरकार को? इस सरकार को क्या संज्ञा दूं? यह इस तरह का है, जैसे भानुमति का कुनबा हो। "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा"। इस सरकार को यह संज्ञा दूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार के कुछ कर्त्तव्य होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं, लेकिन हमारी मौजूदा सरकार, जो हमारे ऊपर शासन करती है उसका न तो कोई कर्त्तव्य है और न कोई जिम्मेदारी है। उनके सामने एक ही लक्ष्य है यानी उनकी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा हुआ है और उस चश्मे से वे सबको देखते हैं। वे दलगत आधार पर ट्रान्सफर करते हैं, दलगत आधार पर प्रमोशन करते हैं, दलगत आधार पर नियुक्तियां करते हैं। ऐसी सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि वह इस तरह की योजना को कार्य रूप में अच्छी तरह से परिणत करेगी तो मैं नहीं समझता कि सरकार इसमें सही नीति अपनायेगी।

इस विभाग के सम्बन्ध में मैं यह कहूं कि इस विभाग की स्थिति को देखते हुए मुझे सरकार के प्रति सन्देह होने लगता है और वह सन्देह प्रत्यक्ष है कि यह सरकार फेल्योर सरकार है। यह सरकार अपने सिद्धान्तों पर चलने वाली सरकार नहीं है और इस सरकार के हर क्षेत्र में- जैसा मैंने बताया, समाज कल्याण विभाग की, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं-जिस प्रकार कि अन्य विभागों में कमियां होती हैं, उससे यह विभाग भी वंचित नहीं है। इसमें भी रिश्वत चलती है। इसमें भी लोगों को तरह तरह से दबाया जाता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रिश्वत देने के लिये मजबूर किया जाता है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर में इस तरह की बातें चलती हैं। सभापति महोदया, मैं दो मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। तो जहां इस तरह की बातें हों, जहां हर पहलू पर, हर आइटम पर रिश्वत हावी हो, गुट परस्ती जहां हावी हो, जहां दलगत राजनीति का बोलबाला हो वहां कौन समझ सकता है कि किसी को वहां न्याय मिल सकता है, वहां किसी को रिलीफ मिल सकता है, वहां किसी के साथ वाजिब बात हो सकती है? मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिए,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अपनी नीति को उदारता से कार्यान्वित करना चाहिए, और इस संकुचित विचारधारा को छोड़ कर, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर उसे काम करना चाहिए। अगर इस तरह काम नहीं कर सकती है तो यह सरकार निश्चित तौर पर दूसरों को गिराने की कोशिश करती करती खुद गिर जायगी। मैं चाहता हूँ कि इस सरकार में अच्छे आदमी हों। मैं इस मसले पर, जैसा किसी शायर ने कहा है वह कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : शायर बढ़ते जा रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : सब तरफ जब हम देखते हैं, कोई एक्टीविटीज़ सरकार की जो होनी चाहिए वह नहीं है, कोई ऑफिसर सरकार का जैसा होना चाहिए वह नहीं हैं, कोई जन-प्रतिनिधि जिस सरकार में होने चाहिए वे नहीं हैं, कोई जनसेवक सरकार में होने चाहिए वे नहीं हैं। तो मैं यह शेर माननीय मन्त्रीजी की सेवा में अर्ज करता हूँ "एक ही उल्लू काफी था बरबाद गुलिश्तां करने को"....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) : "हर शाख पै उल्लु बैठाहै ।अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।"

श्री जयनारायण सालोदिया : "हर शाख पै उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा'

श्री निरंजननाथ आचार्य : "हर शाख पै उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।"

श्री जयनारायण सालोदिया : जरा पीछे हाथ कीजिये, शिक्षा मंत्री जी। यह शेर काफी पसन्द आया है, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि पीछे हाथ करके कहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : "हर शाख पै उल्लू बैठा है अंजामे गुलिश्ता क्या होगा।"

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सिर्फ उधर ही शाख लगी हुई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यहां न शाख है न उल्लू है। सब शाख और उल्लू उधर ही हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदया, आज हम, जिस सरकार का बोल-बाला है और जो जबरदस्ती काले पर्दे में रख कर या और किसी ढंग से रख कर पूरी दुनियां को और लोगों को अपनी बातें समझाने के लिए कोशिश करती है, उसकी रिपोर्ट पर इस हाउस में विचार कर रहे हैं। उसका जो यह नवां प्रतिवेदन हिन्दी में पेश हुआ है और उसी में १९६१ के लिए जो लिखा है कि आगे दसवां प्रतिवेदन पेश होने पर, जो बातें रह गई हैं, उसमें वे रखी जायंगी और उस पर फिर विचार होगा। उसमें साफ लिखा है लेकिन हमारी सरकार, मैं समझता हूँ कि जिस भूमि के राणा प्रताप ने बड़ी

(श्री हीराभाई)

मुश्किल से अंग्रेजों को भगाया था ....

श्री निरंजननाथ आचार्य: राणा प्रताप ने अंग्रेजों को कहां भगाया है, चेयरमैन महोदया ?

श्री अब्दुलजब्बार : नींव डाली थी अंग्रेजों को भगाने की।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : चेयरमैन महोदया, भगाया तो नहीं था, लेकिन उनमें हिम्मत जरूर थी। कई राजस्थान के राजा-महाराजाओं ने डोली भेज दी थी। लेकिन उन्होंने बनवास भुगतना पसन्द किया और हिम्मत नहीं हारी थी और पहाड़ पर और जंगलों में रहना पसन्द किया था। उस तरह हम उस बात की तरफ जायें तो डोली भेजने वाले राजा-महाराजाओं में और इस कांग्रेस सरकार में कोई अन्तर नहीं है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मेरे पर कोई आरोप लगता है तो लग सकता है, लेकिन लोग यह कहते हैं कि अंग्रेज तो जाते जाते चले गये लेकिन यह कह गये कि हमारी जूतियां हमारा काम करेंगी। तो उनके पैरों में से निकली जूतियां हमारा शासन खराब कर रही हैं।

तो इस तरह से हम ८० परसेन्ट या ९० परसेन्ट गरीब लोग हैं उनके नाम से पैसा प्राप्त करके हम लोगों को अन्धा बना कर हमारे धन को बर्बाद करने का सम्बन्धित अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। सम्बन्धित अधिकारी को इस तरह हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। आपके भाषणों से और आपके शासन करने से कोई प्रकाश पड़ने वाला नहीं। प्रकाश तो नेशनल गवर्नमेंट से हुआ और हमारा देश भी आजाद हुआ। महात्मा गांधीजी ने लंगोटी लगा कर नेशनल मूवमेंट किया और उसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी सरकार को हमारे यहां से भागना पड़ा। लेकिन शायद उनके परिवार में से हम ही रह गये और शायद देश को बरबाद करने लगे। हम से मतलब बड़े बड़े सम्बवित लोगों से हो सकते है, जो शासक हैं। मैं शासक दल में नहीं हूँ। मैं यह कहूंगा कि इस तरह से हम लोगों को अन्धा बना कर हमारे धन को बरबाद कर रहे है। बड़े बड़े नेता कहते क्या हैं कि हम सोशल वेलफेअर में काम करते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट वालों के कल्याण के लिये कार्य करते हैं और बजट बनाते हैं; अगर बजट में इसके लिये राशि देखी जावे, बजट तो बनता ही नहीं मगर प्रतिनिधि रिपोर्ट में देखा जावे कि यह जितने करोड़ की आमदनी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के नाम की है, वह पैसा कहां पर खर्च होता है ? पहली पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़, दूसरी पंचवर्षीय योजना में १०० करोड़ और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ११३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। देखा जावे कि यह पैसा कहां पर खर्च हो रहा है ? इसका अन्दाज लगावें तो मालूम होगा कि जो सत्तारूढ़ दल है या जो राजनैतिक संस्थाएं हैं उनमें यह सारा पैसा बरबाद हो रहा है। अगर गरीब लोगों पर यह पैसा खर्च करना है तो इस तरह से संस्थाओं में इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। एक संस्था का विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको १५) या २५) रु० तक की स्कॉलरशिप दी जाती है और उसके संचालक को १५०) या २५०) रुपये दिये जाते हैं और सदस्य को २५०, ३००) और ५००) रुपये तक दिये जाते हैं। सभापति महोदया, मुझे यह मालूम है कि

(श्री हीराभाई)

कई तरह से सत्तारूढ़ दल को मजबूत बनाने के लिये वहां राजनैतिक वर्कर्स को तैयार करने के अलावा यह रुपया कहीं खर्च नहीं किया जाता है । पार्लियामेंट में बता दिया कि आदिवासियों के लिये यह हो रहा है । तो मैं, सभापति महोदया, यह कहूंगा कि जो हमारे जो आप की राजनैतिक में काम कर रहे हैं वे आज के पढ़े-लिखे नहीं हैं। आज भी, आजादी के बाद भी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम जितने भी पढ़े-लिखे हैं वे पहले के पढ़े-लिखे हैं। आजादी के बाद एक भी आदमी हमारी सरकार ने बनाया हो तो बता सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप बता नहीं सकते । हमारी सरकार ने दो-तीन आदमी, जैसे कोई डाइरेक्टर या कमिश्नर या और भी कोई बता दिये या सब इन्सपेक्टर बता दिया, उनके लिये भी मैं यह कहूंगा कि वे आपके आजादी मिलने के १२ या १४ वर्षों में पास हुए हों ऐसी बात नहीं है; वे भी पहले से आ रहे हैं । उनको बता कर सरकार संतोष कर लेगी। लेकिन वह संतोष बताने वाली हमारी सरकार नहीं है ।

सभापति महोदया, दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि अगर हम एक तरफ इतने भारी परसेन्टेज में हैं उनकी क्या दशा होती है। अगर हम उसी प्रतिशत के ढंग से प्रशासन करने वाले हमारे लोग भी उनमें से होने चाहिये क्योंकि वहां नाई, तेली, भंगी, चमार, भील, बलाई और छोटी जाति के राजपूत; राजा साहब के हजूर और महिलाएं करीब करीब उनके ८० प्रतिशत लोग आग हैं वे गरीब । तो मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट में यह नहीं है । अगर ६० परसेन्ट लोग यहां आकर इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रशासन संभालेंगे तब तो यह पक्षपात और भाई भतीजा को चैयरमैन आदि नहीं करेंगे । वे तो इन्साफ की तरफ देखेंगे । अभी लोगों ने काली पट्टी बांध रखी है, अंग्रेजी की भूख गई नहीं है । इसलिये जब तक यह न हटे हम ऊंचे उठ नहीं सकते । इस तरह से लाने की कोशिश करेंगे तब हमारी सरकार का प्रजातन्त्र होगा । जनता की पीठ पर एक घोड़ा कभी भी चलता है उस पर राज्य सरकार का कितना खर्चा होता है। राजस्थान सरकार उसके लिये सालाना दो हजार रुपये या डेढ़ हजार रुपये खर्च करती है मगर उससे रोजाना काम नहीं लेती है। उससे सवारी का कभी कभी काम लेती है और जिन लोगों से ज्यादा काम लेती है उनको हमारी सरकार थोड़ा सा दाना डालती है। तो हमारी सरकार ने गधों और गरीबों में कोई फर्क नहीं रखा है । इसी तरह घोड़ों के काम से कोई मतलब नहीं, उनको वे लोग घृत और मसाले खिलाते जा रहे हैं। इस तरह कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे माननीय मन्त्री जो केबिनेट में हैं वे काबिल नहीं हैं। पढ़े-लिखे और मजबूत हैं, मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं और योग्य मिनिस्टर हैं । उनको हमारी कन्सेन्ट से केबिनेट में बना रखा है। अगर वे कोई बात कहेंगे तो उसको केबिनेट मानेगी नहीं और अगर कोई बात केबिनेट के मिनिस्टर उनको कहेंगे करने के लिये तो वे कभी उससे इन्कार नहीं करेंगे। यह हमारी जाति में पहले से आदत पड़ी हुई है। इस हालत में हमेशा हम किसी को ना नहीं देते। मेरा कुर्ता छीनने की आप बात करेंगे, लेकिन फिर भी

(श्री हीराभाई)

हमारी जाति कभी इन्कार नहीं करेगी। अगर मैं यह कहूँ कि हमारी जाति में, आप मुझे माफ करेंगे और शहर के लोग कहेंगे कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ, अगर शहर का कोई आदमी गांवों में गरीब के यहां पर पहुँच जाता है तो दूध-दही से उसकी सेवा करते हैं, माचा वगैरह सब उसको सहूलियत के लिये देते हैं। और हमारा आदिवासी या कोई हरिजन शहर में पहुँच जाए तो जिस तरह से बाजार का कोई कुत्ता आकर रात चौराहे पर निकालता है उसी तरह से वह अपना समय बितावेगा और यों ही लुट जावेगा, कोई उसको पूछेगा नहीं। फिर भी वह वहां पर सो रहेगा।

हमारी नीति यह है कि हम झूंठ नहीं बोलते, झूंठी बात नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार में हाथ नहीं बढ़ावेंगे। लिख-पढ़ जावेंगे तो भी हम सच्चाई की तरफ जावेंगे। आप हजार कोशिश करेंगे तो भी हमारा रास्ता यही है कि सच्चे ढंग से काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। जो लोग ४२० कर के और भ्रष्टाचार करके काम चलाते हैं, वे डंडे से रोटी खाते हैं, बेईमानी से रोटी खाते हैं। हमारी जाति के गरीब लोग ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो भीखाभाई हैं, मंत्री महोदय हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो अपनी जाति की बात कर रहा हूँ कि कितने भी गरीब होंगे हम अपनी प्रतिष्ठा को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस ढंग की हमारी जाति है। हमारे भीखा भाईजी तो ऐसे हैं जैसे एन्जिन डिब्बों के साथ चिपका हुआ चलता रहता है, वैसे ही ये चलते रहते हैं। मैं सच कहने में डरता नहीं हूँ।

आज हमारी प्रगति की तरफ ध्यान दें। आपको पूरी तरह से मालूम है कि हमारे यहां पांच डिविज़न्स हैं। जयपुर में मुख्य एडिमिनिस्ट्रेशन पर, डिविजन्स में और समाज कल्याण विभाग में कम से कम ७५ प्रतिशत धनराशि खर्च होती है और आदिवासियों के लिए केवल २५ प्रतिशत खर्च होती है। गरीब लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, तो आखिर में जाकर उनके पास दो आने या चार आने के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मैं अहिंसावादी हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि सरकारी टोकरी को बिल्कुल जलाया जाय। मैं गांधीजी की बात पर चलता हूं। हम सरकार को बदल सकते हैं। हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारी सरकार में सुधार नहीं रहेगा, लेकिन हमारे लोगों में गुटबंदी है। जब तक उनका थोड़ासा मतलब या थोड़ा सा स्वार्थ नहीं होता है तब तक आगे नहीं चलते हैं।

आज हमको पूरी तरह से अनुभव है कि हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा एक भी कम्प्लीट तालाब नहीं बना है। एक भी तालाब या बांध बता दें तो आप जो कहें मैं मानने के लिये तैयार हूं। यह १९६१ की रिपोर्ट अंग्रेजी में है। अगर हिंदी में हो तो उनकी पोल खुल जाय। ४० लाख रुपये भारत सरकार ने दिये कुओं और तालाबों के निर्माण के लिए। उन ४० लाख में से १५ लाख रुपये इन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिये। चुनाव में क्या हुआ? कोई भी नए तालाब का निर्माण बता दें। कितने पुराने तालाबों की मरम्मत करवाली? उस खर्चे की रिपोर्ट आज तक नहीं रखी। तीन साल हो गये। वह तमाम पैसा देंगे अपने मनमाने तरीके से और कुछ तालाबों की मरम्मत में और

Page No 68

(श्री हीराभाई)

बाद में कोई न कोई हिसाब बता देंगे ।

मुझे पूरी तरह से याद है । इन लोगों ने चुनाव में खर्च किया है । एक रिटायर्ड इंजीनियर साहब थे उनको ट्राइबल एरिया में इंजीनियर बनाकर उनके नाम से तमाम काम करवाये । तमाम पैसा बरबाद कर दिया है, उसका कोई आज तक हिसाब नहीं । हिम्मत करके अगर मन्त्री महोदय बता दें कि वह पैसा आपने कितने फुट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इन बांधों और तालाबों में खर्च किया तो मैं उसको मानूंगा । पर वह नहीं बता सकते हैं ।

दूसरे, सिंचाई के बारे में कुओं पर लगभग ११ लाख रुपये वहीं पर खर्च कर दिए । उन कुओं में प्रगतिशील कार्य नहीं हुआ है । आप कुशलगढ़ में चलिए । वहां पर कम से कम ७००—८०० कुओं से सिंचाई हो रही है । ब्लॉक का २७ लाख रुपया था, उसमें से १०—१२ लाख आपके विभाग ने खर्च कर दिए । चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं । अगर इस तरह से आदि वासी एरिया में प्रगति की गई तो कम से कम आधा रुपया कामों में खर्च होगा, बाकी सब रिश्वतखोरी में होगा ।

(समय—समाप्ति—सूचक—घंटी)

दूसरी बात मुझे कहनी है कि जहां विकास के कार्य हो रहे हैं वहां इन जीप-कारों और मोटरों पर काफी खर्च होता है । २०—२५ गांवों का एरिया विकास का बना रखा है । कुशलगढ़ में कम से कम ४॥ लाख रुपया खर्चा मोटरों और पेट्रोल पर हो गया । इन ४॥ लाख से कितने कुंए बन सकते थे; आप गिनती कर सकते हैं । लेकिन मन्त्री महोदय अपने स्टाफ से नहीं कह सकते कि इस खर्चे की क्या वजह है ।

अब मुझे सहकारी समितियों के बारे में कहना है । जब तक ये सरकारी समितियां ठीक ढंग से नहीं चलेंगी तब तक इन पूंजीपति लोगों द्वारा शोषण खत्म नहीं होगा । सरकारी समिति को चलाने वाले लोग अगर कमजोर हों तो हमारा खर्चा बिल्कुल पत्थर के बराबर है । एक समिति है जिसको तीन साल से एड (aid) नहीं मिल रही ।

जो आदिवासी जनता है वहां जंगल के हजारों लोग रहते हैं और उसी पर गुजर करते हैं । वहां दो—दो, तीन—तीन एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । हम समझते हैं कि सीलिंग्स कानून लागू हुआ है ; लेकिन हमारी सरकार इसमें भी मदद नहीं कर सकेगी ।

माननीय सभापति महोदया, या तो आप मंत्री महोदय को हिदायत कर दें कि ठीक तरह से काम करें या मुझे कह दें । मैं उनकी तरह एक पुर्जे की तरह नहीं पड़ा रहूँगा, काम करके बताऊंगा । जंगल को ३० साल के लिये ठेकेदार को दे दिया, यह उन्होंने आदिवासियों के साथ बड़ा भारी अन्याय और अत्याचार किया है । आप एक भी अपना काम ऐसा नहीं बता सकते कि जिससे आपने इन गरीब लोगों का भला किया हो आपने जिस तौर पर इन आदिवासियों की रोजी पर डाका डालने का काम किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं । केबिनेट निर्णय लेने जा रही थी कि ठेकेदारों को ठेका देने का निर्णय नहीं किया जाय, इसलिये उसके यह निर्णय लेने के पहले

श्री हीराभाई)

ही आपने ३० साल के लिये ठेका दे दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir. मैं आपका ध्यान....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): Everything is in disorder.

श्री निरंजननाथ आचार्य : That is for you to say.

यह मैं नहीं कहता।

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल्स २७३ की तरफ आकर्षित करता हूँ। इसमें लिखा है :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker......"

यहां प्रश्न सिर्फ रिपोर्ट पर विवेचना करने का है। इस पर माननीय सदस्य कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, इसका नोटिस यहां किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। बिना नोटिस दिये कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मन्त्री महोदय इसका जवाब देने की स्थिति में हो सकते हैं या नहीं। अगर पहले नोटिस दिया होता तो आपके एलिगेशन का जवाब देने की स्थिति में होते। २७३ में इसके लिये रखा है कि बिना नोटिस दिये कोई विवेचना नहीं की जाय। इसलिये सभापति महोदया, मैं आपका २७४ के अन्तर्गत आब्जर्वेशन चाहता हूँ। और २७० आप मुलाहिजा करें....

श्रीमती समानेत्री : माननीय सदस्य ने ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया, आप बोल सकते हैं।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदया, ये इस मामले को टालने के लिये मेरा समय ले रहे हैं........

श्री सभापति : अब आप जल्दी खत्म कर दें।

श्री हीराभाई : नोटिस ही है, वाद विवाद करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे जंगल पर डाका डलवा दिया इन्होंने, यह साफ है। इस सदन के गत अधिवेशन में जिक्र किया था कि शेरिया कम्पनी के लोगों ने इकरारनामे के माफिक फैक्टरी नहीं लगाई है इसलिये उनका इकरारनामा रद्द किया जाना चाहिये। तो मन्त्री महोदय ने कहा कि फैक्टरी लगाने को तैयार हैं, पर आज तक वह फैक्टरी नहीं लगाई गई है और ठेकेदार वहां की लकड़ी बाहर ले जाकर बेचता है।

(विराम)

क्या कलेक्टर साहब को उसे रोकने का अधिकार नहीं? पर मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से हमारे इस बन्धन की बर्बादी करने जा रही है!

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : अब मैं आपको दो मिनट से ज्यादा नहीं दे सकती।

श्री हीराभाई : माननीय चेयरमैन महोदया, दूसरी बात यह है कि बन्धों के बारे में अभी मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि

(श्री हीराभाई)

मैं आपके उधर के एरिया की नहीं, मेरे एरिया की बात निवेदन करूंगा। मन्त्री महोदय ने पहले भी कहा था कि आपका एरिया पहाड़ी एरिया है, समाज कल्याण विभाग की ओर से काम करवावेंगे; पर कोई काम नहीं कराया जाता, पक्षपात किया जाता है, इसलिये हमें दुख होता है। हमारे उस एरिया में इन्जीनियर साहब को भेजा गया, ओवरसियर था एक इन्जीनियर, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो नहीं पहिचान सकता। उन्होंने कहीं कहा कि मिट्टी काली है, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा और इस तरह अंट-शंट रिपोर्ट देकर, १४ बांधों के बारे में मन्त्री महोदय को दिया था उनमें से एक को भी काबिल नहीं माना। फिर कहते हैं कि आदिवासियों को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का पक्षपात और इस तरह की कार्यवाहियां करते हैं तो उनको आदिवासियों का नाम नहीं लेना चाहिये।

अब मैं थोड़ा सा हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : अब आप नहीं कह सकते।

श्री हरिराम !

श्री हरिराम घारू (सिवाना) : सभापति साहिबा, आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है और इस रिपोर्ट में सरकार ने जो वास्तव में सही कार्य किये हैं उनकी मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि पहला सवाल छुआछूत का है, उसमें अभी इस पक्ष के सज्जनों ने जो गांधी जी के अनुयायी बताया था आत्मा को धोखा दे रहे हैं और आज हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश मुख्य मन्त्रीजी ने कराया है; मैंने, हरिराम घारू ने भी मंदिर की पूजा अन्दर जाकर की है।

छात्रावासों की जो आलोचना की है भोजन आदि की, उस बारे में मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। छात्रावास मेरी डिस्ट्रिक्ट में ६ हैं जिनमें से ३ तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के चलते हैं और तीन ही चलते हैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, जिनमें भोजन आदि की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे ढंग से है।

शिक्षा विभाग में भी सरकार हमारे हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कार्य सुचारू रूप से सरकार चला रही है। शिक्षा विभाग में आज महतराणियां भी बी० ए० पढ़ रही हैं। महतराणियों के लिये बी० ए० पढ़ना असंभव था, पर कांग्रेस सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने असंभव को संभव बना दिया।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : भीखाभाई कहां पढ़े थे ?

श्री हरिराम घारू : आज शिक्षा के आधार पर छात्रवृत्तियां मिलती हैं, मेट्रिक वालों को १००) रु० मिलता है और ८ वीं और ६ वीं वालों को ४०) रु० और ५०)रु० नियम के माफिक मिलता है। आलोचना करने वाले भाई अपनी आत्मा को धोखा देते हैं।

नौकरियों के बारे में भी सरकार की तरफ

Page No 71

(श्री हरिराम घारू)

से प्रबन्ध किया गया है। अगर सरकार की तरफ से वजीफे नहीं मिलते तो आज मुंसिफ और बी० डी० ओ० आदि अफसर नहीं बन सकते। क्योंकि राजा लोगों के आर्य और अनार्यों के युद्ध में हम अनार्य लोग पराजित हो गये थे औ आर्य लोगों ने हमारे ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया था तभी से हम गुलाम थे। अब हमारी गुलामी कांग्रेस सरकार ने दूर की है। समाज कल्याण विभाग हमारी पढ़ाई के बारे में, प्रौढ़ शिक्षा के लिये रात्रि पाठशालाएं चला रही है।

एक माननीय सदस्य : लड़के कितने पढ़ते हैं।

श्री हरिराम घारू : ३० का होता है प्रोविज़न।

(६.०० म० प०)

और ट्रेनिंग स्कूलें भी खोली जाती हैं। साल भर में ट्रेनिंग लेने पर मशीन उसको मिलती है और वह हमेशा के लिए घर पर जाकर रोजगार करता है, दर्जी का काम करता है।

मकान सहायता के बारे में भी रुपया दिया जाता है। गये वर्ष में भी १।। लाख रुपया दिया गया। नयी बस्तियां भी हरिजनों के लिए बसायीं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): कितना जिला है राजस्थान में ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें।

श्री हरिराम घारू : मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सदस्य से पढ़ा नहीं जाता। किसी ने लिख दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बोल रहे हैं। आचार्यजी ने लिख कर दे दिया उसको पढ़ रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, आप स्वयम् लिख कर लाते होंगे और पढ़ते होंगे।

श्रीमती सभानेत्री: Order please !

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): आपको मालूम होना चाहिये कि ये पढ़े हुए हैं।

श्री हरिराम घारू : मैं आपका ध्यान दिलाऊं की मेरी पढ़ायी को आप नहीं जान सकेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आप बोले जाइये, मैं जानती हूँ कि आप पढ नहीं रहे हैं।

श्री हरिराम घारू : संगीत के लिए भी हारमोनियम मिलता है। अच्छे विचार पैदा करते हैं मंडली बना कर, भजन कीर्तन करते हैं। इससे हरिजनों और आदिवासियों के अन्दर जागृति कांग्रेस की ओर से आयी है।

जहां तक नौकरियों में हरिजनों को आदिवासियों को लेने का सवाल है १२।। पर्सेन्ट

(श्री हरिराम घारू)

नौकरियों में उनको लेने के लिए सरकार ने कानून रखा है। उस हिसाब से काफी अफसर बन रहे हैं, जिससे हमको बहुत फायदा हुआ है और हम सरकार के आभारी हैं।

फोर्थ क्लास में भी १५॥ पर्सेन्ट चपरासी, जमादार लिये जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

पंचायत समितियों में भी आदिवासियों और हरिजनों का प्रतिनिधित्व है। सब जगह मौजूद हैं।

समाज कल्याण विभाग की ओर से बिजली और पानी के लिए शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रुपया मिलता है। कुछ रुपया म्युनिसिपैलिटी देती है और कुछ रुपया समाज कल्याण विभाग देता है। मैंने राजस्थान में कई जगह दौरे करके देखा है कि यह रुपया मिलता है।

चैयर साहिबा की मार्फत यह भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं गवर्नमेन्ट हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कॉलेजों में सीटें रख दी हैं; डाक्टरों के लिए, इन्जीनियरिंग के लिए, वह भी सब मेरे ध्यान में है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपका अन्दाज बहुत तगड़ा है।

श्री हरिराम घारू : अब मैं आपसे यह निवेदन करूं कि हरिजनों का उद्धार मेरी हार्दिक इच्छा से तो हो रहा है। किसी भाई का कैसा विचार हो, ऊपरी मत से आलोचना करना चाहें तो कर सकते हैं। आज वास्तव में देखा जाय तो इस सदन के बीच में मेहतर क्या, मीणे क्या, राजा क्या, महाराजा क्या सब ही एक समान हैं और यह सब ही सौभाग्य कांग्रेस सरकार का है।

(विराम)

सौभाग्य है जनता का। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का इतना काम होते हुए भी किसी के सिखाने से आलोचना करना, यह अच्छा नहीं। आखिर उनकी औलाद पढ़ेगी। आपको जानकर यह खुशी होगी, एक मेहतरानी बी. ए. पढ़ी है तो उन्नति ही हुई। एक मेहतरानी बी. ए. पढ़ रही है। वनस्थली में मेहतरानियों की कम से कम दस लड़कियां पढ़ रही हैं, कोई मैट्रिक और कोई बी. ए.। आदिवासियों की तो क्या पूछें, कई अधिकारी हैं, मास्टर हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह गलत है वनस्थली में महतरों की लड़की कोई बी.ए. और मैट्रिक में नहीं पढ़ रही है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपकी लड़की कहां तक पढ़ी है ?

श्री हरिराम घारू : आज पंचायतों के अन्दर हरिजनों और आदिवासियों की उन्नति हुई है। सरकार कूए खोदने के लिए रुपया दे रही है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग अलग दे रही है। बैलों की जोड़ी नहीं है तो बैलों की जोड़ी के लिए रुपया दे रही है। यह पैसा समाज कल्याण विभाग की ओर से आता है।

छात्रवृत्तियां मिलती हैं। जानते हुए भी ये भाई न माने तो उनकी मर्जी है। सीधे शिक्षा विभाग से जाती हैं और उनको मिलती

(श्री हरीराम घारू)

हैं। हजारों ही नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों आदिवासी और हरिजन लड़के अध्ययन कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आदिवासी कुल कितने हैं ?

श्री हरिराम घारू : आंकड़े तो, आप जानते हैं मैं खुद ही लीडर हूं, छोटी २ बातों को याद थोड़े रखूंगा।

(विराम)

महात्मा गांधी ने जो-जो अच्छाइयां बतायीं, तो मैं चेयर साहिबा आपसे जो मैंने सदन में निवेदन किया है वास्तव में संतोषजनक कार्य समाज कल्याण विभाग का चलते हुए मैंने देखा है और मैंने उतनी हद तक ही बात कही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : अभी तो बोल रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्रीमती नगेन्द्र-बाला।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : बोल रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : अब आप विराज जाओ।

(विराम)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : सभापति महोदया, आज सदन में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ९ और १० वां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ और मुझसे पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। इस रिपोर्ट में तीन-चार बातें देखने को मिलीं, क्योंकि ज्यादा माननीय सदस्य देरी से मिलने के कारण इसको देख नहीं पाये। एक पोइन्ट तो यह है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं, सभापति महोदया, इसका क्लासिफिकेशन सही नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स में आने वाली कई जातियां, कई ऐसे पिछड़े वर्ग जो शेष रह जाते हैं, जो इस रिपोर्ट में नहीं हैं। जैसे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सरगना जाति आपको मिलेगी। इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं। डिस्ट्रिक्ट झाला-वाड़, डिस्ट्रिक्ट कोटा, इसमें लोढा मिलेगी, वह वर्ग भी इतना ही पिछड़ा हुआ है और ठीक इसी प्रकार का एक वर्ग है जिसका इसमें उल्लेख नहीं है। सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इसमें उनका उल्लेख होना चाहिये; नहीं है तो ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी चीज इस रिपोर्ट के दसवें प्रतिवेदन के पृष्ठ २९, पैरा नं० १७ में खास उल्लेख किया गया है इस बात का कि राजस्थान में छुआछूत दूर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं समझती, हालांकि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है; कोई उसका आधार है ? जहां तक छुआछूत का प्रश्न है हम उसमें कई कदम आगे बढ़े हैं। छुआछूत का अर्थ लेने लगें तो दूसरी चीजें दिमाग में आती हैं। मैं पहले शिड्यूल्ड कास्ट को ही लूंगी। उनके लिए छात्रावास खोले जाते हैं। उन

(श्रीमती नागेन्द्रबाला)

छात्रावासों में यह बिल्कुल ठीक है कि शिड्यूल्ड कास्ट के ही बच्चे लिये जाते हैं। किन्तु जितने अधिक हरिजनों के लिए अलग छात्रावास खोले जाते हैं और उनमें केवल उन्हीं के लिये प्रावधान होता है उतना ही उनके मस्तिष्क में यह आता है कि हम समाज से अलग हैं। हमारे लिये यह छात्रावास हैं, हमारे लिये यह व्यवस्था है।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहती हूँ........

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर): यह जो बात कही जा रही है वह गलत है। इस प्रकार कोई भिन्नता नहीं समझी जाती।

श्रीमती नगेन्द्राबाला : वे अपनी बात कह रहे हैं। मैं सही पॉइन्ट पर आ रही हूँ। माननीय सदस्य को गलतफहमी हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रावास हैं उनमें केवल शिड्यूल्ड कास्ट के ही छात्र लिये जाते हैं। इससे उन छात्रों में यह भावना पैदा होती है कि हम शिड्यूल्ड कास्ट के हैं; सवर्णों से अलग हैं। जिस तरह से सरकार समानता लाना चाहती है जिस प्रकार का सरकार के दिल में दर्द है यह स्वाभाविक है कि उसके हाथ में शासन है यह दर्द होना चाहिऐ। सरकार के दिल में दर्द है समाजवाद लाने का, सरकार उनको ऊंचा उठाना चाहती है जो सदियों से पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको समान रूप में लाना चाहती है काफी पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, स्कीम्स बन रही हैं, प्लान बन रहे हैं। मेरा इसमें यह निवेदन है कि इनको कोमन छात्रावास के रूप में रखा जाय उसमें प्रतिशत कर दिया जाय, इतने प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के छात्र रहेंगे। फिर भी मैं यह मानती हूँ कि अभी तक शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये अलग छात्रावास रहने चाहिये। अगर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगो को आप बीच में लाना चाहते हैं तो उनके छात्रों को कोमन छात्रावास में सम्मिलित कर देंगे, तो वे बहुत जल्दी हमारे समाज के बीच में आ जायेंगे बजाय इसके कि उनके लिये छात्रावास अलग हों।

शहर के बीच में जो हरिजनों को बसाने के लिये कोलोनीज़ बसाई जाती हैं उनकी तरफ मैं खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, विशेष तौर से माननीय मन्त्री महोदया का........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उप-मन्त्री महोदया हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अक्सर यह होता है सभापति महोदया, कि शहर के अन्दर उनके लिये अलग अलग जमीन निकाल कर भूमि अलॉटमेंट करके उस भूमि पर उनको बसा दिया जाता है और इस तरह से उनके बच्चे अपने ही बीच में पढ़ते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि जहां शहर के अन्य लोग रहते हैं शहर के बीच में, हमारे बीच में, उनकी कोलोनीज़ होनी चाहिये ताकि उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ हिल मिल कर खेलें-पढे जैसे कि छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे के यहां जाकर खेलते हैं, बैठते पढ़ते हैं और बड़े होते हैं उससे जितनी जल्दी छुआछूत मिटेगी जितनी जल्दी समानता इस तरह से आ सकती है दूसरे तरीके से आने में देर लगेगी।

इसके साथ साथ जो आंकड़े इसमें दिये

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

गये पंचायत समितियों द्वारा इस योजना में खर्च किये जाने के करीब १५ करोड़ से ऊपर के आंकड़े हैं, जो खर्च हो चुका है । उसके डिटेल्स नहीं हैं कि वह किस पर खर्च हुए। यह खर्चा इसलिये किया गया है कि सरकार पिछड़े हुए वर्ग, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को शिक्षा देना चाहती है। इसलिये देना चाहती हैं कि आज के विज्ञान के युग में, प्रजातंत्र के युग में उनको अपने अधिकारों का ध्यान होना चाहिये, ज्ञान होना चाहिये, शिक्षा के बगैर ज्ञान नहीं बढ़ सकता। सभापति महोदया, हम देखते हैं कि सरकार बड़ी उदारता से पैसा खर्च कर रही है, शिक्षा के लिये खर्चा कर रही है, उनको खेती के लिये जमीन दी जा रही है और अन्य साधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि किसी तरह से ये समृद्ध और सम्पन्न बन सकें। आखिर प्रश्न यह आता है कि उस पैसे का रिटर्न किस तरह से मिल रहा है, कितनी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं । मैं इसके लिये पूरे राजस्थान जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में जाना नहीं चाहती, मेरे खुद के निर्वाचन-क्षेत्र की ओर जहां पर कि आधी से ज्यादा आबादी सहरिया जाति की है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। उनके लिये वहां छात्रावास खोले गये, वे छात्रावास प्रगति कर रहे हैं, वहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन क्या जितनी रकम सरकार ने खर्च की है, उदारता से खर्च की है। मैं यह पूछना चाहती हूं क्यों नहीं विभाग के ऊपर अंकुश सरकार का है। विभागीय अफसरों के काम की रिपोर्ट ली जाती है या नहीं, समय समय पर देखी जाती है या नहीं, जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं ? इस बात को विभाग क्यों नहीं देखता है। आपको वहां ऐसे सहरिया मिलेंगे आज के विज्ञान के युग में; जहां हम आगे बढ़ने की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, समाजवाद की बातें करते हैं, वे लोग फटे चिथड़ों में लिपटे हुए, फटे हाल आपको दिखाई देंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सात-सात मील की दूरी तक पानी का इन्तजाम नहीं। स्वतन्त्रता के इस युग में ये आज की सरकार शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये पानी पीने को उपलब्ध नहीं करा सकती यह कितनी शर्म की बात है इसके सिवाय हम और क्या कह सकते हैं !

सभापति महोदया, सहरियों को जमीन दी गई है १५ बीघा, जमीन दे दी है, यह बराबर देखी हुई बात है कि सरकार का विभाग और सभी माननीय सद इस बात को जानते हैं कि जिनके पास दूसरे कोई साधन नहीं हैं, जो महुआ खाकर जिन्दा रहते हैं या वहां पर एक जंगली घास राई चांवल होता है उसको खाते हैं; उनको १५ बीघा जमीन दी गई। आज उन सहरियों के पास जिनके पास सुबह का खाना है तो शाम का पता नहीं। वे बिना अन्य साधनों के कैसे उस १५ बीघा पर खेती करेंगे ? किसी के पास बैल मिलते हैं तो बीज नहीं है अगर किसी के पास बीज हैं तो दूसरे साधन नहीं हैं। तीसरा साधन मिल जाता है तो और दिक्कतें उनके सामने हैं। एक तरफ जमींदारी से निकले पूंजीपतियों से बचें और इस स्थिति में कभी विभागीय एजेन्सियों ने क्या ध्यान दिया है कि उन्हें क्या चाहिये ? वहां से जो समय पर शिकायतें आती रहती हैं उन पर भी सरकार को बराबर ध्यान देना चाहिये। कई दफा ऐसे प्रश्न उठे हैं कि जो १५ बीघा जमीन उनको दी जाती है उसके लिये।

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

ऋण के अन्दर सहरिया जाति के लोगों को इतना दबा दिया गया है, और फिर यह गलत तरीका होगा कि बराबर तकावी, लोन, ऋण देते जा रहे हैं। जब ऋण देते हैं तो कठिनाई यह है कि बैलों के लिये ऋण चाहिये और बैलों के लिये ऋण मिल जाता है, तो कूए बिना वह सिंचाई नहीं कर सकता और सिंचाई के साधन उसके पास उपलब्ध नहीं तो वे क्या करते हैं कि जो भी ५०० - ७०० रुपया ऋण के रूप में मिलता है वह दूसरे तरीके से खर्च कर देते हैं। तो फिर जिस काम के लिये ऋण लिया जाता है वह पूरा नहीं हो सकता। इस स्थिति की जानकारी के लिये माननीय मंत्री महोदय ने कुछ दिनों पहले दौरा किया था, उनको भी इस बात की काफी जानकारी मिली है। वे अपने दिल में उनके लिये दर्द रखते हैं। इस संबन्ध में मेरा सुझाव है कि एक बहुत बड़ी तादाद में आप जहां रकम खर्च कर रहे हैं। जिस तरह से ढोल पीट करके लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन आखिर उनको क्या कहना है, किस ओर ले जाना है इस बात का पता नहीं होता, उसी प्रकार यह ऋण का लालच देकर इन्हें जागरूक कर देना और फिर ध्यान नहीं रखना है। आपको अपनी स्कीम बतानी चाहिये उनको उसको लिये जागरूक करना चाहिये, ताकि उनके भी यह मालूम पड़े कि सरकार हमारे लिये क्या करना चाहती है। पहले तो उनमें शिक्षा पूरी नहीं, उनको यह पता नहीं कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या सुविधायें हमें मिल सकती हैं, विभागीय अधिकारी उनको पूरी मदद नहीं देते हैं। आज जिस प्रकार से पंचायत समिति में बी० डी०ओ० होते हैं, विकास अधिकारी हैं, उनको आप बाकायदा ट्रेनिंग दीजिये जो भी स्कीम्स आप सहरियों या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये बनाते हैं उसको किस तरह से कार्य रूप में परिणत करना है, इन सब बातों की ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिये ताकि उनको जो दिक्कतें आवें उसका वे निराकरण कर सकें, वे उनकी दिक्कतों को समझ सकें।

खास तौर से मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जो मदें इन रकमों की होती हैं कर्जा देने की, या इनको किसी तरह से सहायता देने की। मुझे जरूरत है बीज की। बीज की मद में पैसा नहीं है तो बीज के लिये पैसा नहीं मिलेगा। बैलों की जरूरत है, बैलों की मद में पैसा नहीं है वह नहीं मिल सकेगा, तो मेरा निवेदन है कि चाहे किसी मद में पैसा हो या न हो उनको जरूरत हो तो किसी भी मद से दिया जाना चाहिये। वहां रहने वाला जो अधिकारी है उसको इस प्रकार की गाइडेन्स होनी चाहिये। वे अधिकारी उनकी दिक्कतों को महसूस करें और जिस किसी भी मद में पैसा हो उनको दिया जाय। यह जो नियम बनाकर के उसके पिछ-लग्गू हो जाते हैं उससे कई दिक्कतें सामने आती हैं। इस बारे में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे सामने जो लिविंग स्टैंडर्ड का प्रश्न आता है, इसको बढ़ाने का प्रश्न आता है, यह मोटी चीज है जो मेरे दिमाग में अक्सर आया करती है।

परिवार नियोजन की स्कीम, सभापति महोदया, शायद यह अधिकांश रूप से गलत नहीं है कि जितना बड़ा समाज है या समझदार लोग हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं वे इस बात को समझ चुके हैं और वे परिवार नियोजन से लाभ उठा रहे हैं। आज जितनी पॉपुले-

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

शन बढ़ती जा रही है उतने ही हम आर्थिक दृष्टि से पीछे हटते जा रहे हैं। बढ़ा हुआ समाज इस बात को समझने लगा है। लेकिन यह पिछड़ा हुआ वर्ग इन बातों को समझता नहीं है। इन गरीबों के यहां सात-सात, आठ-आठ बच्चे हैं, दस बच्चे हैं; जिन बच्चों को पेट भर खाने को नहीं मिलता है, पढ़ा नहीं सकते। कम से कम परिवार नियोजन की स्कीम का एप्रोच उन लोगों तक होना चाहिये। इस ओर हम कदम बढ़ाते हैं तो जो यह पिछड़ा हुआ वर्ग हैं उसको हम इस परिवार नियोजन का ज्ञान दिला सकें तो यह उनके भविष्य को भी ठीक कर सकेगा और आर्थिक हालत को भी अच्छा बना सकेगा। इसके लिये हमें विभागीय एजेन्सियों के मार्फत यह काम करवाना चाहिये।

(६. २० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने ये नवमीं व दसवीं रिपोर्ट हैं। हमारे प्रान्त में समाज कल्याण विभाग को स्थापित हुए करीब दस साल हो गये। एक साल की एक रिपोर्ट भी निकले तो यह दसवां साल चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : ये रिपोर्टें राजस्थान सरकार की नहीं, भारत सरकार की तरफ से छपी हैं, उनकी हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : ठीक है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार आदिवासियों और हरिजनों को ऊपर उठाने के लिये पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। उसने इन रिपोर्टों में बहुत सुन्दर-सुन्दर सुझाव भी दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का पहला सुझाव क्या है। इस रिपोर्ट के परिच्छेद १८ पर लिखा है :

"राज्य सरकारें अपनी स्टेटों में समाज कल्याण के कार्य की नवीनतम प्रगति रिपोर्टें हर तिमाही व छः मास में तैयार करें तथा सदन में वाद-विवाद के लिए रखें।"

राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस सुझाव का उसने कब कब क्या २ पालन किया है? कितनी छः मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टें तैयार की हैं और कितनी रिपोर्टों पर सदन में वाद-विवाद करने का अवसर दिया। कम से कम बजट अधिवेशन पर तो वाद-विवाद का अवसर देना चाहिये था, पर वह भी नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि आज तो इस विभाग का मिनिस्टर एक आदिवासी भीखाभाई है, जिनके वक्त में सदन में इस विषय पर वाद-विवाद करने का अवसर हमको मिलने लगा है, पर इससे पहले यह विभाग हमारे ऐसे मन्त्रियों के हाथ में रहा जिनके जमाने में ऐसी रिपोर्ट सदन में कभी नहीं लाई गई और इसलिये नहीं लाई गई कि कहीं विभाग की आलोचना न हो जाये। पर आज हमारे आदिवासी भाई इस विभाग का काम देखने के लिये हैं तो उनके सामने तो यह विभाग रिपोर्ट लावे। पहले, पड्या साहब थे, उस वक्त उनके सामने कार्य रिपोर्ट पेश नहीं हुई उनके बाद शायद हरिभाऊजी आये, उनके सामने भी इस रिपोर्ट पर कभी वाद-विवाद नहीं हुआ। इसके बाद धारीवालजी आये, उनके सामने

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

भी वाद-विवाद नहीं हुए। अब चूंकि हमारे आदिवासी भाई इस विभाग को सम्भाले बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज यह रिपोर्ट इस मंशा से पेश की गई है कि इस रिपोर्ट के मसले को लेकर आदिवासी या हरिजन भाई जितने हैं उनमें फूट पड़े। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो और हम अपने मन्त्री की आलोचना करें। तो इस चतुरता से रिपोर्ट पेश की है सरकार ने।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : भारत सरकार ने पेश की है। राजस्थान सरकार ने नहीं की। \

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पर राजस्थान सरकार ही तो यहां लाई।

श्री अब्दुलजब्बार : राजस्थान सरकार ने तो अब तक कोई रिपोर्ट तैयार ही नहीं की; कितना पैसा उसने खर्च किया, किस तरह किया और उसका क्या रिज़ल्ट रहा।

एक माननीय सदस्य : वह तो बजट के अनुसार है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : धीरे-धीरे मुकाम पर आ रहा हूं। शान्ति रखिये।

मैं सरकार की अधिक आलोचना तो नहीं करना चाहता, पर इसमें शक नहीं कि भारत सरकार ने उत्थान के प्रयत्न न किये हों। आपको तो मालूम है कि ५२ में केवल हम दो आदिवासी विधान सभाई थे। धीरे धीरे तरक्की हुई है और आज हम कई हैं। राजस्थान में भी तरक्की हुई, इसमें भी शक नहीं सरकार ने कोई कसर रखी हो, ऐसा नहीं; उसने प्रयत्न किया, योजना बनाई, सब कुछ किया, पैसा दिया, मगर यह विभाग जो है सरकार का समाज कल्याण विभाग इसकी लापरवाही से हमारे पैसे का दुरुपयोग होता है।

(विराम)

मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों का दोष नहीं है, उनकी भावना में कमी नहीं है, मगर यह विभाग सही तरह से काम नहीं करना चाहता।

मेरे से पहले एक बहिन ने यह कहा था कि १५ करोड़ रुपया खर्च हुआ, पर इस रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं हुआ कि किन-किन कामों में खर्च हुआ ?

पहले छात्रवृत्तियों के फॉर्म हरिजन बालकों आदिवासी बालकों की स्कूलों में सीधे भेज दिये जाते थे। मगर आज नहीं। आज उनको यह पता नहीं कि फॉर्म कहां से मिलते हैं। शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर कहते है, फॉर्म अभी तक उनके पास नहीं पहुँचे, मियाद निकल जावेगी तो लड़के छात्रवृत्तियों के बिना रह जावेंगे। आज इस विभाग का यह फर्ज था कि इसका इन्तजाम करता, पर आज ये फॉर्म बड़ी मुश्किल से ब्लैक में मिलते हैं, आठ-आठ आने में एक एक फॉर्म मिलता है और वे भी बड़ी मुश्किल से। जो जानते हैं वही ला सकते है, दूसरे उनको भी नहीं ला सकते।

(विराम)

यह हालत हमारे इस विभाग की है।

अब आप देखिये। जब ढेबर भाई आयोग के माननीय सदस्य यहां आये थे उस समय मैंने कहा था और मैंने कई बार प्रश्न

Page No 79

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

भी किया राजस्थान सरकार की सलाहकार कौंसिल में भी कि राजस्थान सरकार खुद की अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं शाया करती जिससे यह पता लगे कि हरिजन और आदिवासी कितने छात्र मैट्रिक पास बैठे हैं, कितने काम पर लग गये हैं; कितने लगने बाकी हैं, कितनों ने आगे शिक्षण प्राप्त किया है और कितनों के लिये आगे क्या क्या चान्सेज़ हैं, ये सब आंकड़े समाज कल्याण विभाग को रखने चाहिये; पर खेद की बात है कि आज इस तरह के आंकड़े इस विभाग के पास नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, और देखिये इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ८४ पर क्रम संख्या ७१ पर कोआॅपरेटिव सोसाइटियों का उल्लेख किया गया है। ५८-५६ में तो बताया कि ३२,४४३ रु० का घाटा रहा। ५६-६० में ये सोसाइटियां १५ से २६ हो गईं। यह आगे बताया, पर यह नहीं बताया कि पहले जो घाटा हो गया था यह पूरा कर लिया गया या और भी घाटे में चली गईं। सरकार इन आदिवासियों के लिये, इनके उत्थान के लिये काफी पैसा दे रही है, पर इस विभाग की लापरवाही से उसका ठीक उपयोग नहीं हो पाता, यह विभाग देखभाल नहीं रखता। इसी प्रकार सहरिया में एक सोसाइटी बनी थी शाहाबाद में, उसमें भी एक लाख का घोटाला हुआ बताया।

दूसरी बात, विकास अधिकारी को ५०००) रु० दिया गया था पर उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। तो पैसा तो खर्च किया, इसमें शक नहीं, पर निगरानी उसकी नहीं रक्खी इस समाज कल्याण विभाग ने। इस विभाग के अफयर दौरे नहीं करते, सम्भालते नहीं। करोड़ो रुपया खर्च किया सरकार ने तो, पर इस विभाग ने लापरवाही बरती और उसकी देखभाल नहीं की। आदिवासी सुधरे भी। पर अगर इतना पैसा नहीं खर्च करके इससे थोड़ा भी कोई दूसरा भी खर्च करता तो यह हालत तो तब भी सुधर जाती। पैसा जिसके पास होता है तो वैसे भी सुधर जाते हैं। पर इस विभाग के बारे में तो मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि एक कहावत है। कहते हैं क्या कि "घर का पूत कंवारा डोले, और पड़ौसी के फेरा पाड़े।"

पैसा पानी की तरह खर्च किया जाता है। प्लान बहुत अच्छी होती हैं। पर उनको ठीक ढंग से चलाते नहीं। पैसा ठीक तरीके से खर्च करते नहीं। ढेबर भाई तक कहते हैं कि गंगा का पानी ऊपर से तो आया, पर नीचे नहीं पहुँचा। अब जिनको दर्द है वे कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सरकार की नीति की मैं प्रशंसा करता हूं, सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, पर उसके विभाग जिस ढंग से काम करते हैं वे इस गंगा को उसके सही स्थान पर पहुँचने में रोड़ा बन कर बैठे हैं, वे आलसी हैं, निकम्मे हैं। यह समाज कल्याण विभाग सरकार का जो है वह हमारे कल्याण की ओर जैसा ऊपर वाले चाहते हैं उस तरह से ध्यान नहीं देता। वह अपने विभाग के अधिकारियों का जरूर बराबर कल्याण कर रहा है।

(विराम)

मैं यहां तक मानता हूं कि हरिजनों का उत्थान हुआ इसमें कोई शक नहीं। उनकी क्या हालत थी पहले और आज क्या हालत है?

Page No 80

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

उनकी हालत काफी सुधार हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हरिजनों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। इस डिपार्टमेंट के मन्त्री महोदय से कहूंगा कि छात्रावास इन्होंने खोले। मैं छात्रावासों की लिस्ट भूल आया हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के खोलने में भी पक्षपात बरता जाता है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है जहां से आदिमजाति के सदस्य जीत कर आये हैं उस जगह छात्रावास नहीं खोले होंगे और उस जगह खोले होंगे जहां से कि जनरल सीट से लोग जीत कर आये हैं। आदिवासी क्षेत्र में तो इसलिए नहीं खोलना चाहते हैं कि जहां से आदिवासी जीत कर आये हैं वहां पर खोल दिया गया तो यह ज्यादा मजबूत हो जायेंगे। जहां से भंवरलालजी जीत कर आये थे वहां खोला, बृजसुन्दरजी जीतकर आये वहां छात्रावास खोला, लेकिन जहां से 'कालाबादल' आया वहां छात्रावास नहीं खोला गया। तो यह पक्षपात, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमारे साथ करना चाहती है, इसको मैं बरदाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को सचेत करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के कुछ मन्त्री हो सकते हैं जो आदिवासियों से भोलाभाई को लड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब जो भी छात्रावास खोले जायें वे आदिवासी क्षेत्र में ही खोले जायें।

जब कहा जाता है तो कहते हैं कि छात्रावास हमने खुलवा दिये। हमारी तो मौत हो जाती है और यह जीत जायें। यह पक्षपात उपाध्यक्ष महोदय, नहीं होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। मेरे अकलेरा, मनोहर थाने की यही दशा है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, डाइरेक्टर समाज कल्याण विभाग को लिख रहा हूं, मन्त्री महोदय से कह रहा हूं कि अकलेरा में हम आपसे बिल्डिंग नहीं लेंगे, आपका भवन नहीं लेंगे लेकिन छात्रावास खुले। कभी नहीं खुलता। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुली आलोचना कर दूं। हमारे सचेतक महोदय के यहां ६० का हो जाता है, १०० का हो जाता है और मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि २५ का भी छात्रावास नहीं करना चाहते हैं तो इस साल ३० का ही बढ़ा दो। वे जवाब में कहते हैं गुंजाइश नहीं है। दूसरी जगह १००–१०० के छात्रावास चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां २५ से आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ५० भी नहीं, २५ तक का छात्रावास हमारे यहां नहीं है। यह पक्षपात क्यों? छात्रावास की लिस्ट मैं भूल आया, नहीं तो मैं बताता। मैंने उस लिस्ट को देखा कि अधिकतर छात्रावास ऐसी जगह हैं जहां जनरल सीट पर जीत कर आने वाले हैं और जो रिज़र्व सीट पर जीत कर आने वाले हैं, उस जगह नहीं खोले। मुझे उपाध्यक्ष महोदय, यह भी अफसोस हुआ कि विरोधियों के यहां क्यों खोल दिया। क्योंकि वह ऐसी जगह हैं जहां के विरोधी दल के सदस्य बहुत गालियां निकालते हैं और इधर इसलिए खुल जाते हैं कि हमारी जनरल सीट से जीतकर आने वाले सदस्य कहीं हार न जायें। आदिवासियों का क्या? लेकिन मैं कहूंगा कि अभी हमारे साथ काफी रियायत हुई है। तीन सीट्स तो शिड्यूल्ड कास्ट को बढ़ा दीं और जहां २० सीट्स आदिवासियों की थीं वे बढ़ाकर २३ कर दीं। इस प्रकार भविष्य में ६ सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन........

एक माननीय सदस्य : एक मिनिस्टर और बढ़ेगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': कोई बात नहीं मिनिस्टर बढ़ेगा तो। बढ़ोतरी तो हो रही है इसमें कोई शक नहीं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक मिनिस्टर है उसको भी हटाने की योजना बना रहे हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अभी खानपुर में एक छात्रावास चल रहा है। वहां के बारे में उप-प्रधान ने एक वक्तव्य दिया था, इसके लिए समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर को भी लिखा कि हर लड़के से ५०), ५०) रुपये रिश्वत लेकर छात्रावास में भरती किया है। इसी प्रकार की शिकायत कलेक्टर साहब को भी की गई थी और मैंने उनसे कहा था कि इसकी जांच कराइये। वहां भी समाज कल्याण का इन्सपेक्टर कहता है कि "मैंने जांच कर ली है जिनकी माली हालत अच्छी थी इसलिए उन छात्रों को निकाल दिया और इसीलिए शिकायत कर रहे हैं।" लोग इसी कारण से अपनी असली स्थिति को नहीं बता सकते। एक मोहनराज अलवर से सुप्रिन्टेन्डेन्ट भेजा था शाहबाद में, वहां एक महीना रहने के बाद उसको वापिस भगा दिया। वहां के छात्रावास में वहां के छात्र जंगल से लकड़ियां लाते हैं और वहां का सुप्रिन्टेन्डेन्ट उन लकड़ियों को बेचकर पैसा बनाते हैं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति लूट कर खाता है। समाज कल्याण विभाग उसको बचाकर अपने ऊपर बदनामी मोल लेना चाहता है और सरकार के ऊपर इसका दोष मंढा जाता है। हम कांग्रेस में बैठने वाले मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तो बड़ा दुख है। हम एम.एल.ए. जब अपने इलाकों में जाते हैं तो जनता के लोग यह कह देते हैं कि शर्म नहीं आती। अब हम क्या करें? हमारी बात तो अफसर सुनते नहीं। मगर यह मन्त्री लोग भी तो नहीं बताते कि सेक्रेटरी साहब हमारी बात क्यों नहीं सुनते। इनको शर्म नहीं आती। सही स्थिति है, सही बात कह दो। परन्तु ये भी बेचारे बीमार हैं, इनको इलाज नहीं मिला। वहां इनके कहने से भी कोई असर नहीं पड़ता। जिस किसी के पास जाते हैं तो मिनिस्टर साहब फोन करते हैं, "हलो, हलो सेक्रेटरी साहब"; तो उधर से सेक्रेटरी साहब कहते हैं फोन उठाकर "हुक्म फरमाइये" "मेरे पास भेज दो।" हमने उन तक पहुँचने के लिए १॥ रुपया तो खर्च किया और वह कह देते हैं आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। मैं समझता हूँ कि वे आठ-आठ, और दस-दस दिन तक चक्कर देते रहें, फिर भी काम नहीं बनता। मंत्रियों के पास दुबारा इसलिए नहीं जायें कि उन्होंने तो एक दफा जाते ही फोन कर दिया था। तो हमारी तो मुसीबत आ गयी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी लोग इनकी भी बात नहीं मानते। मन्त्री लोग अपनी बात तो छिपाना चाहते हैं, हमें वह किस तरह से कहें कि सेक्रेटरी कुछ सुनते नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि शर्म आती है यह कहते हुए कि हमारी चलती नहीं। जब चलती नहीं है तो फिर विरोधियों की तरफ से बदनामी भी सुनो और इधर सेक्रेटरी और अफसर मनमानी करें। हम इलाके में जायें तो हमारी बेइज्जती होती है उनकी तो होती नहीं। मन्त्रियों की इसलिए बेइज्जती नहीं होती है, जब वे जाते हैं तो कलेक्टर उनके साथ होते हैं; एस. पी. उनके साथ होते हैं।

अभी मेरे बारे में शिकायत आई है

Page No 82

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, इन्दरा गांधी को, लालबहादुर शास्त्री को, ए.आई.सी.सी. को कि कालाबादल चुनाव के वक्त हमारे यहां आया था, लेकिन अब नहीं आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है बजट अधिवेशन में भी मैंने कहा था कौल साहब को संबोधित करते हुए कि मुझे मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में घुसने नहीं देते और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार-पीट कर भगा देंगे। लोगों ने कहा कि कालीसिंध पार की तो ऐसी मार मारेंगे कि कोई गिनने वाला नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मन्त्री जी को साथ ले जाना।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : हाण्डा जी के साथ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इधर से वर्षे तो हमारी पी. सी. सी. ने नोटिस दिया है कि क्यों नहीं जाते, जाओ; मैं कहना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय जाते हैं तो एस० पी० और पुलिस का अमला साथ में रहता है, और इधर कलेक्टर वगैरह रहते हैं और दुनियां भर का इन्तजाम रहता है। पंचायत समितियों के ऑफिसर रहते हैं। साधारण जनता वहां पर पहुँच नहीं पाती है। तो उनकी इज्जत तो सेफ है, लेकिन एम० एल० ए० की इज्जत खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी समस्या का हल कर दें। मुझे तो मन्त्री लोग मेरे इलाके में चला करें तो मैं कम से कम उनके साथ दौरा कर लिया करूं और उनसे कह दूं कि मैं आया तो था। अगर मैं अकेला जाऊं तो पैदल जाना पड़े और और पिट जाऊं। इसका हल नहीं है।

अब आचार्य साहब की परम्परा बताना चाहता हूं। एक दिन आचार्य साहब के पास गया तो वे जिस तरह से मिले तो मैं समझ गया कि आचार्य साहब ही ऐसे मन्त्री हैं कि जो कि हमारे दिल की तह तक पहुंच गये हैं। माननीय आचार्य साहब ने कहा कि कुरेशी साहब इधर आओ। मैंने समझा कि कुरेशी इनसे भी बड़ा होगा ऑफिसर। मैंने समझा कि आचार्य साहब ने बुलाया, तो बड़ा ऑफिसर होगा। आते ही उनको कहा कि नोट लिखो। उस बेचारे ने नोट कर दिया और नोट करने के बाद आचार्य साहब ने कहा कि क्या करें। सब ठीक हो जायगा। तो मैंने कहा कि अच्छा तो हम चलें, फिर दुबारा आयेंगे। साइकल पर तो गया था। अब देखो साहब, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। वह ईमें मत लिखजो। मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य साहब का काम करने का और मेम्बरों को खुश रखने का एक तरीका है। आचार्य साहब नाराज न हों। तो मैं साईकल पर गया। उनका बंगला है भी बहुत दूर एम० एल० ए० क्वार्टर्स से। तो जैसे ही पहुँचा कि वे बंगले के बाहर मिल गये। तो उन्होंने कहा कि कालाबादल तेरी बात सुनूंगा तू मोटर में बैठ, साईकल यहां खड़ी कर दे, जमादार आयेगा तो तेरी साईकल लेकर आवेगा। मैंने कहा कि किराये की गाड़ी है पैसा लग जायगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इतना आतिथ्य करने पर भी रोष है आपको; फिर क्या किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : रोष नहीं, आपकी आदत बता रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपकी भी आदत में शुमार है, आप क्या करें ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सेवा को मतलब यो हुयो कि किसी मिनिस्टर ने मोटर में आज तक नहीं बिठाया, लेकिन आचार्यजी ने बिठाया।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, आचार्यजी ने मुझे ज्वालाप्रसादजी के बंगले के सामने छोड़ दिया तो मैं गवर्नमेंट होस्टल में जा बैठा कि जमादार साइकल लेकर आयेगा। मैं १२-१ बजे तक बैठा रहा, लेकिन जमादार आया नहीं और आचार्य साहब वापिस बंगले पर पहुंच गये। मैंने फोन किया, पर जमादार बोला नहीं। बंगले पर कई बार फोन किया तो आचार्य साहब बोले। मैंने पूछा कि कौन साहब बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही आदमी हूँ। तो मैंने पूछा कि जमादार है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो मैंने पूछा कि कौन है भाई। तो उन्होंने कहा कि इधर-उधर का आदमी हूँ। मैंने पूछा कि आचार्य साहब बोल रहे हैं क्या ? तो उन्होंने कहा कि नहीं और पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्या बताऊं, आचार्य साहब होते तो कहता। तो उन्होंने कहा कि मैं अर्ज कर दूंगा। मैंने कहा कि आप आचार्य साहब ही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आचार्य नहीं हूँ आप हुकुम फर्माओ। म्हारो खेबो ओ है कि आचार्य साहब खे गया था कि जमादार साईकल लेकर आयेगा, लेकिन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हुकम मैं लेकर आ रहा हूँ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह किराये की थी वह जमा करा दी। आपको पता ही नहीं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो मैंने उनको पहिचान लिया। तो मैंने कहा कि आप तो मत पधारो मैं आ जाऊंगा। या तो सद्भावना बांके साथ है। जैसे आचार्य साहब आज कह रहे हैं वीं ढंग से बात नहीं करते। मंत्री महोदय हमारी इज्जत सेफ रखने के लिए काम करें। अगर गैर वाजिब बात कहें तो आप इन्कार कर सकते हैं। मैं नहीं आता हूँ इस तरह के काम लेकर, लेकिन रोजाना का आप चक्कर दें तो अच्छा नहीं समझता।

इस तरह से समाज-कल्याण विभाग को चाहिए कि ऐसे छात्रावासों में गेहूँ का टेन्डर लिया जाता है। मैंने पूछा था तो कहा गया था कि दिया जाता है और गेहूँ का आटा खिलाया जाता है, लेकिन मंत्री महोदय ने शायद कहा कि ज्वार का भी दिया जाता है। कहीं पर ज्वार का खिलाते होंगे। ज्वार का खिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्वार का आटा नहीं खिलाया जाता है। मगर उन्होंने कह दिया कि ज्वार का भी खिलाया जाता है। तो सच्चे मायने में ज्वार का दिया जाता है और गेहूँ का पैसा लिया जाता है।

(विराम)

तो आप जांच करें समाज-कल्याण विभाग। की इसमें दिक्कत क्या है ?

मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर ५ महीने में नम्बर आयेगा। एक तख्ती की बात कह रहा था दा साहब की।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो-तीन मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो हमारे साथ यह क्यों हैं ? क्या हमको चिढ़ाने के लिए करते हैं । वहां पर बुलाकर चकमा देते हैं । तो इसका बहुत बड़ा असर होता है ।

हमारे अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ज्वालाप्रसादजी बहुत उतावले हैं अपनी अजमेर की बात सुनने के लिए । दा साहब के यहां हम लोग गये तो वहां पर विरोधी दल के लोग घुस रहे थे । उपाध्यक्ष महोदय, हमको दुःख होता है कि हमारे मंत्रियों के घरों के अन्दर हम नहीं जा सकते । कौन हमारी दशा खराब करते हैं ? कांग्रेस संगठन में कमजोरी के कारण कामराज प्रस्ताव आया है तो कांग्रेस संगठन को बिगाड़ने वाले कौन हैं ? अगर सरकार में बैठकर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को मजबूत नहीं बनायेंगे कांग्रेस के मंत्री । कांग्रेस संगठन तो यहां से बिगड़ा है, दूसरी जगह से नहीं बिगड़ा है । सरकार कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के सुझाव पर कार्य करें तो कांग्रेस संगठन बढ़ता चला जायगा । आखिर, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं किसी मंत्री के यहां जाता नहीं, लेकिन मजबूरी आ जाती है तो इलाके का काम करवाने के लिए जाना पड़ता है । इसलिये माधोलाल खानपुरिया और मैं उनके यहां सवेरे ७ बजे पहुंचे । उपाध्यक्ष महोदय, वहां गये तो ७ से ६ बजे तक बैठे रहे । दा साहब ने तनिक भी नहीं पूछी। इसमें उन बेचारों का दोष नहीं । उधर विरोधी दल के लोग दा साहब को दोष देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि दा साहब राजस्थान के गांधी हैं, मगर बीच के ऑफिसर या बीच के कर्मचारी गड़बड़ कर जाते हैं जिनका काम यह है । मंत्री लोगों में ऐंठ नहीं है । आफिसरों को दबाने की हिम्मत नहीं है ।

मैं यह तो कह नहीं सकता कि वे क्यों दबते हैं ? वे हमारे ही हैं, लेकिन वे क्यों दबे हुए हैं, यह समझ में नहीं आता । दा साहब सेक्रेट्रियों से और अफसरों से क्यों दबे हुए हैं, यह समझ में नहीं आता । मैं और खानपुरियाजी दा साहब से मिलने उनके बंगले पर गये तो वहां पर चपरासी ने कहा कि दा साहब अभी किसी से मिल नहीं सकते....

एक माननीय सदस्य : मालिश करा रहे होंगे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आपको तो मालिश ही मालिश याद आती है क्योंकि आप उनकी मालिश करते हैं । जबाब भी दे नहीं सकते इसलिये आपको जवाब देना तो दूर रहा, आप मिलना चाहें तो आप स्वयं मालिश करा कर आते ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मालिश रिपोर्ट से सम्बन्धित नहीं हैं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसलिये तो कहता हूं, कि गलत बात है । वहां जब मैं दा साहब से मिलने गया तो जवाब मिला कि अभी मिलने से इन्कार नहीं करते । हम कुछ देर बैठे रहे । देखा कि विरोधी लोग घुस रहे हैं और हमें क्यों माना करते हैं । मैंने सोचा खानपुरियाजी भगवा कुर्त्ता पहने थे इसलिये चपरासी ही शायद मना कर रहा है । तब मैंने कहा कि मैं तो उनके बुलाने से आया हूं इस पर भी उसने कहा कि नहीं मिल सकते । मैंने कहा, क्यों नहीं मिल सकते तो उसने एक

Page No 85

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

तख्ती लाकर बता दी जिस पर लिखा था; काम से सेक्रेटेरियट में मिलिये, घर पर नहीं मिलें। मैंने कहा भाई, हम तो काम से नहीं आये हैं तुमने कहा था कि दा साहब की तबियत ठीक नहीं है इसलिये बीमारी के हाल पूछने के लिये आये हैं। तब उसने कहा कि इस तख्ती पर क्या लिखा है, यह पढ़ लो। हमने कहा तुम ही पढ़ कर बता दो, हम तो पढ़े हुए नहीं हैं। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं भी पढ़ा हुआ नहीं हूं। तब मैंने कहा कि मुझे दे दो बाजार से पढ़वा कर ले आवें और मैं उस तख्ती को गले में लटका कर निकला कि दा साहब का फरमान है, कोई पढ़ कर सुना दो। बेचारा चपरासी दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि मेरी रोटी-रोजी छिन जायगी। मैंने कहा तेरी रोटी-रोजी छिनती है तो ले जा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की बात नहीं होती। मैं कांग्रेस का वफादार सदस्य हूं, विरोधियों की तरह नहीं बोलना चाहता। समाज कल्याण विभाग द्वारा तरक्की हुई है, लेकिन इस विभाग को आंख खोल कर चलना चाहिये। और शिड्यूल ट्राइब्स वालों का भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल(चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर शिड्यूल ट्राइब्स एण्ड शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट्स जो प्रकाशित हुई हैं वे विचारार्थ प्रस्तुत हैं। मैं आपके सामने जो कमीश्नर ने इस रिपोर्ट के अन्दर बातें कही हैं उन पर प्रकाश डालने के लिये और कुछ जानकारी देने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि हमने इरिंगेशन की सुविधा देने के लिये इरिंगेशन वेल्स के लिये शिड्यूल ट्राइब्स के लिये काफी पैसा दियां है और उस पैसे का युटिलाइजेशन राजस्थान सरकार ने किया है, वह भी हमारे सामने मौजूद है। मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने टेन्क्स एन्ड डैम्स की बात रखना चाहता हूं जिसके लिये पैसा खर्च किया है। यह तो मंत्रीजी जानते हैं होंगे कि उन्होंने टेन्क्स एण्ड डैम्स का पैसा उदयपुर में कितना दे दिया, यह तो रिपोर्ट जो कमीशन द्वारा प्रकाशित की गई है उससे भी जाहिर है; लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैसे का युटिलाइजेशन किया है सरकार ने वह किस तरह से हुआ है। बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में जो पैसा खर्च किया है वह पैसा बिल्कुल निरर्थक गया है। यहां कई टेन्क्स टूट गये हैं और कई आज तक नहीं बने हैं और इस पैसे का इस तरह दुरुपयोग हुआ है, युटिलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, यह डिपार्टमेन्ट अच्छी तरह से जानता है। जो सहकारी संस्थाएं बनी हैं और उनके लिये खर्चा किया है वह पैसा भी बरबाद हुआ है और उसका भी कोई सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं आपसे कहूं कि एक इंजीनियर मुकर्रर किया था जो इरिंगेशन के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर थे, जिनका नाम लाला भगवानदास था। वे यह पैसा ले गये और इस तरह बरबाद किया कि जब पोल खुलने लगी तो भाग कर उदयपुर में जो रेल्वे लाइन बन रही है उसमें घुस गये और वहां पर भी पोल खुलने लगी तो भाग खड़े हुए। तो जो पैसा टेन्क्स और डैम के लिये दिया गया वह ज्यादा उदयपुर डिवीजन में दिया गया और उसका भी सदुपयोग नहीं हुआ और पूर्वी

(श्री नाथूलाल करोल)

राजस्थान की ओर ध्यान लगाते हैं तो वहां पर तो कुछ भी नहीं किया। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुन्झुनू डिस्ट्रिक्स में कहीं भी एक पैसा भी टेन्क्स और डैम्स के लिये नहीं दिया। कहीं एक-आध टैन्क नाम मात्र के लिये बना होगा तो कह नहीं सकता, लेकिन सारा पैसा उदयपुर डिवीजन में गया और वहां पर भी इस पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ कि जिसकी हद नहीं।

अब मैं मंत्रीजी का ध्यान कोऑपरेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। कोऑपरेशन के लिये जो पैसा दिया जाता है वह भी सब उदयपुर डिवीज़न में दिया जाता है। हमारे इस तरफ भरतपुर है, जयपुर है, कोटा है....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): उदयपुर में कितना दिया जाता है?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो आप बता देना?

श्री नाथूलाल करोल : आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, आंकड़े लेना चाहेंगे तो कल दे दूंगा।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा–सु०): यह गलत बात है, सब जगह बराबर है।

श्री नाथूलाल करोल : जो पैसा को-ओपरेशन के लिये दिया वह भी सारा उदयपुर में दिया है। मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्रीजी से कि आपने पूर्वी एरिया जो राजस्थान का है वहां पर कितना पैसा दिया, यह आप अपने जवाब में बतायेंगे कि उदपुर में कितना दिया और पोपुलेशन के बेसिस पर किस तरह से डिस्ट्रिब्यूट किया यह सब बतायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में श्रमिक सहकारी संघ चल रहे हैं, वन सहकारी समिति चल रही है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि विधान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को अनुसूचित क्षेत्र माना है इसलिये वहां पर विशेष तौर पर सहायता देते हैं। उदयपुर खास इसमें नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है, उसमें खर्चा होता है तो करना पड़ता है। इनको बाद करके बता दें कि उदयपुर डिवीज़न में कितना दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप भाषण न दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : शिड्यूल्ड ट्राइब की तरह शिड्यूल्ड कास्ट जयपुर में ज्यादा हैं; यहां कितना दिया है?

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Shri Nathu Lal Karol to continue.

श्री नाथूलाल करोल : मैं पंडितजी से कहना चाहता हूं कि उनका कहना सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ब्लॉक एरिया माना है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ब्लॉक है, लेकिन उन पंडितजी से निवेदन है कि उधर आदिवासियों का सेन्टर है लेकिन दूसरी जगह भी आदिवासी हैं। पोपुलेशन बेसिस पर कुछ तो दूसरी जगह भी देना चाहिये। यह तो नहीं होना चाहिये कि सारा पैसा उदयपुर में ही ले जावें। हमारे इधर सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर आदि में ४०, ४५

श्र(ी नाथूलाल करोल)

परसेन्ट आदिवासी हैं उनको क्यों नहीं देना चाहते है ? ....

श्री भीखाभाई : मैं इनके इस कथन पर स्ट्रिक्ट ओब्जेक्शन लेता हूँ और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की परम्परा सदन में नहीं होनी चाहिये कि एक जगह ज्यादा दिया और दूसरी जगह कम दिया। मैं निवेदन करूं कि सन् १९५१ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र डिक्लेयर हुए थे और सन् १९५५ में शिड्यूल्ड ट्राइब निश्चित हुआ है; उससे पूर्व सन् ५० से ५४ तक वह एरिया शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया था दोनों जगह के लोग शिड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल थे और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान की दृष्टि से जो खर्चा किया गया है वह दोनों जगह किया गया है, यह मैं आंकड़ों से प्रमाणित करूंगा और जो पिछले दिनों में काम हुआ है वह भी बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) इसमें परम्परा कौनसी खराब हो गई, यह नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Nathu Lal Karol to please oontinue.

श्री नाथूलाल करोल : यह तो मंत्री महोदय ने अपने जवाब से प्रकाशित कर दिया कि कितना कहां दिया गया है और कितना कहां दिया गया है। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं इस सदन का सात-आठ साल से सदस्य हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कितना पैसा मंत्री महोदय दे रहे हैं पूर्वी एरिया में और कितना पश्चिमी एरिया में। मैं कोई नया सदस्य नहीं आया हूं, मुझे सात-आठ साल बराबर सदस्य इस सदन के बने हुए हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। इधर के आदिवासियों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार बराबर किया जा रहा है और करते आये है...

श्री सांवलियाराम (रूपवास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी इत्तला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सौतेला व्यवहार आपके साथ नहीं हमारे साथ किया जा रहा है ....

श्री उपाध्यक्ष: Order please! One Member is already in possession of the floor.

श्री सांवलियाराम : मैं एक मिनट में बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: I cannot allow that. you can have your own turn.

श्री नाथूलाल करोल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी संघ उदयपुर डिवीजन में हैं– आदिवासी सेवा संघ, आदिम जाति सेवा संघ, भारत सेवक समाज आदि–इन सब संघों को खत्म करना चाहिए। क्यों कि हमारे यहां पंचायत समितियां बन चुकी हैं और पंचायत समितियों के द्वारा ही पैसा खर्च किया जाय, इन संघों के द्वारा नहीं किया जाय। उदयपुर डिवीजन के संघों द्वारा लाखों रुपया लिया गया है, लेकिन उस रुपये का ठीक यूटीलाइजेशन नहीं किया है। और आज भी वे घाटे में चल रहे हैं। अगर यह

(श्री नाथूलाल करोल)

बात नहीं है तो माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दें इसमें दो राय नहीं हैं कि पैसा बरबाद किया गया हैं । माननीय मंत्रीजी जवाब दें कि कितना पैसा लिया गया और कितना बरबाद किया गया है !

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : संघ तो वेलफेअर संघ हैं, कोई बिज़नेस बॉडी नहीं है ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) : आपको बनाने से किसने इन्कार किया है । आप संस्था बना कर काम कर सकते हैं ।

श्री नाथूलाल करोल : सोश्यल वेल-फेअर विभाग द्वारा पुनर्वास किया जा रहा है, कोलोनीज़ बसाई जा रही है । वे कोलो-नीज़ पूर्वी एरिया के आदिवासियों के लिए नाम मात्र को बसाई गई हैं और बसाई गई हैं तो उनकी जानकारी किसी को नहीं है । मैं इन कोलोनीज़ के बारे में जिक्र कर देना चाहता हूं । गाड़िया लोहारों की कोलोनी इन्होंने बसाई, वह कोलोनी बसाई है चित्तौड़ के अन्दर और दूसरी सोजत के अन्दर । एक १२५ परिवारों की कोलोनी है, जिसमें सात परिवार रह रहे हैं । बाकी के मकान चकनाचूर हो गये हैं, ढह गये हैं । यह सर-कार का तरीका है कोलोनी बसाने का । यह ठीक बात है कि कोलोनी बसानी चाहिए जहां कि गाड़िया लोहार रहते हैं । लेकिन जब उनकी इच्छा नहीं है बसने की तो क्यों कॉलोनी बसाई जाय ? क्यों हमारे पैसे का दुरुपयोग किया गया ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सोश्यल वेलफेअर विभाग ने करोड़ों रुपये का खर्चा किया, लेकिन उसका ठीक ढंग से यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है । उस पैसे को पानी की तरह बहाया गया है, उसको बरबाद किया गया है या ये संघ खा गये या और कोई खा गये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो पुनर्वास के लिए पैसा दिया गया है, अभी एक साल पहले की बात मैं कह रहा हूं, नागौर डिस्ट्रीक्ट के अन्दर भंगियों के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया पुनर्वास के लिए, लेकिन जयपुर जिले में भंगियों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया । खास तौर से जयपुर जिले से भंगियों की काफी एप्लीकेशन्स आई थीं, लेकिन कोई पैसा पुनर्वास के लिए नहीं दिया गया और सारा पैसा नागौर में दिया । मैं आपसे पूछता हूँ कि नागौर की पोपूलेशन ज्यादा है या जयपुर की ? यह मन्त्री महोदय अपने जवाब में बतायेंगे कि कितना पैसा नागौर में दिया और जयपुर को क्यों वंचित रखा? इसके साथ साथ पुनर्वास का पैसा म्यूनीसिपल एरिया के लिए आता है उसको म्यूनीसिपल एरिया में यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते हैं । मन्त्री महोदय अपने जवाब में बता देंगे कि म्यूनीसिपल एरिया का एक भी प्रपोज़ल नहीं है । मगर मैं निवेदन करूंगा कि म्यूनीसिपल एरिया के काफी प्रपोज़ल्स थे । नगरपालिका एरिया में शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कोलोनीज़ बसाने के लिए जमीन अलॉट करनी चाहिए और पैसा देना चाहिए । जयपुर के अन्दर लास्ट ईअर हमने काफी कोशिश की और जो मान-नीय सदस्य राजगढ़ से आने वाले हैं उन्होंने काफी जोर दिया था कि जयपुर में आदि-वासियों की कॉलोनीज़ बसनी चाहिए । यह सरकार को मालूम है कि जयपुर जिले में उनकी पोपूलेशन दो लाख की होगी लेकिन उनकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं

(श्री नाथूलाल करोल)

दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हरिजन कॉलोनीज़ बस रही हैं और उनके अन्दर जो पैसा दिया जा रहा है, उस पैसे का यूटीलाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से इतना गलत तरीके से काम चल रहा है कि जो पैसा उन गरीबों के पास जाता है वह रुपये में से आठ-दस आने पहुँचता है, बाकी का पैसा बीच में हजम हो जाता है। इसलिए मैं अर्ज करू' कि जितना पैसा हरिजन कॉलोनीज़ के लिए दिया जाय उसका यूटीलाइजेशन ठीक होना चाहिए और सरकार को उसके लिए सतर्क रहना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, जो इर्रिगेशनवैल्स के लिए पैसा दिया गया है वह पश्चिमी राजस्थान में काफी दिया गया है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में नाम'मात्र को दिया गया है। फिर भी पूर्वी राजस्थान में जो इर्रिगेशन वैल का पैसा है उसका यूटीलाइजेशन ठीक हुआ है, लेकिन पश्चिमी एरिया में जो पैसा दिया गया है उससे वहां एक गड्ढा भी नहीं खोदा गया है और उसका यूटीलाइजेशन ठीक नहीं हुआ है। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पैसों का उपयोग ठीक ढंग से करें और पूर्वी राजस्थान का ध्यान रखें, पश्चिमी राजस्थान को ही चमन न करें और पूर्वी आदिवासियों के उत्थान के लिए भी आप थोड़ा बहुत विचार करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हमारी पॉर्टी को बिल्कुल समय नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : मिल रहा है। अभी मिलेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पार्टी का सवाल यहां नहीं है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयोग की नवीं व दसवीं रिपोर्ट्स पेश हुई हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं। अब तक पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा जो भी कार्य किये गये हैं उनका विवरण इस रिपोर्ट में दर्ज है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस दसवीं रिपोर्ट जो आज हमारे सामने है–इतनी रिपोर्ट के बाद भी इस रिपोर्ट में राज्य सरकार का, जो कमी रही है उनकी तरफ ध्यान दिलाया गया है और खास तौर से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में जो भी उनको अधिकार दिये गये हैं, उनकी किस तरह से रक्षा की गई है उस पर भी इसमें रोशनी डाली गई है। भूमिहीन किसानों के बारे में भी आज तक क्या किया राज्य सरकार ने, रिहायशी मकानों के लिए इन लोगों को किस तरह की रियायत दी है अलग-अलग जगह और खासतौर से हमारे राज्य के अन्दर, उस पर भी रोशनी डाली गई है। इसके साथ-साथ खेती के अन्दर हरिजन लोग व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग

(श्री श्योपतसिंह)

जो तरक्की करें या उन्नति करें उसमें हमारी राज्य सरकार ने कितना सहयोग दिया है इस पर भी रोशनी डाली है। इसके साथ-साथ कर्ज के बारे में किस तरह से कर्ज में ये दबे हुए हैं, इनकी क्या हालत है, किस तरह की व्यवस्था है और यह व्यवस्था किस तरह से चल रही है राजस्थान के अन्दर और इनके साथ साथ उसके प्रति जो हरिजनों की शिकायतें रही हैं पिछले सालों में उन पर किस तरह से राज्य सरकार ने गौर किया है– इस पर रोशनी डाली गई है। छुआछूत कहां तक खत्म हुआ है, कहां तक इसमें कमियां हैं इस पर भी रोशनी डाली गई है। सहकारिता में कितना सहयोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का दिया गया, पंचायत समितियों द्वारा इन्हें कितनी सहायता पहुंचाई, ये डिटेल्स में इस नवीं-दसवीं रिपोर्ट में दर्ज है। ये सब बातें दर्ज ही नहीं हैं बल्कि शिकायतें की गई हैं सब राज्य सरकारों के खिलाफ और खासतौर से राजस्थान सरकार के खिलाफ शिकायत की है कि अब तक इन सब बातों का पालन नहीं किया गया है। मैं इस रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ कर सदन के सामने सुनाना चाहता हूँ ताकि इस सदन को इस बात की जानकारी हो सके कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। उन्होंने भू-धारण अधिकार के बारे में पहले लिखा है कि भू-धारण अधिकार के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या कुछ किया है। इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों और यूनियन प्रशासनों से आज तक की जानकारी मांगी गई। बम्बई, केरल, राजस्थान को छोड़ कर सभी राज्यों के उत्तर आ गये हैं। उपलब्ध जानकारी से यह मालूम होता है कि मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर अन्य सब राज्यों तथा यूनियन प्रशासनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अफसोस इस बात का है कि आज १० साल के बाद भी हमारी राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार इस बात की जानकारी चाहती है कि किस तरह से हमारी सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की रक्षा की है, तो उसका हमारी राज्य सरकार उत्तर नहीं भेजती है, कैसा व्यवहार उनके साथ हुआ है वह इससे जाहिर है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि राजस्थान सरकार ने कर्जे से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किस तरह से बचाया है इसके बारे में क्या कदम उठाया है। जो एक बहुत ही अहम मसला है। हर शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति और शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति आज कर्जे से दबा हुआ है। साहूकार के यहां एक प्रकार से गिरवी रखा हुआ है। इसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है।

"जब तक साहूकारी पर ठीक प्रकार से रोक नहीं लगाई जाती तब तक समाज के गरीब और अनपढ़ लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का शोषण होता ही रहेगा और इसलिये यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक राज्य को गरीब और अनपढ़ लोगों की रक्षा के लिये इस पर नियन्त्रण के लिए कोई न कोई कानून बनाना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की ऋण से मुक्ति तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये किये गये उपायों से उनके कर्जे कम करने में सहायता मिलेगी, परन्तु जब तक कि साहूकारों पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई जाती और

(श्री श्योपतसिंह)

उनके व्यापार का निरीक्षण और नियन्त्रण नहीं किया जाता, इन लोगों को धूर्त और बेई-मान साहूकारों के पंजे से छुड़ाना कठिन है। राजस्थान राज्य में साहूकारों पर रोक लगाने के लिए कोई कानून पेश करने के प्रश्न पर राज्य सरकार कुछ समय से विचार कर रही है परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।"

शायद आज हमारे सामने समाज कल्याण के मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि हम अभी मनिलैंडिंग बिल ला रहे हैं। मैं यह पूछना चाहूँगा कि किस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को साहूकारों के पंजे से निकालने के कानून में प्रावधान रखते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह बिल तो विचारार्थ है, आप उसमें एमेन्डमेंट रख सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सारी रिपोर्ट पेश की गई उसमें शिकायत दर्ज है, गिला दर्ज है कि जो कुछ काम करना चाहिये, पिछड़ी हुई जाति के साथ, जो आर्थिक हालत में गिरे हुए हैं उनको कितनी जिम्मेदारी के साथ हमने उठाया है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान गंगानगर के जिले की ओर ले जाना चाहूंगा गंगानगर के प्रति कुछ लोगों की धारना है कि यह बहुत ही सम्पन्न लोगों का जिला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक दूसरी तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हो सकता है कि कुछ सम्पन्न लोग हों, लेकिन वहां की आधी आबादी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की है। आज वे ५ लाख लोग नये राजस्थान को बनाने में लगे हुए हैं। वे लोग नहरों के निर्माण में काम कर रहे हैं। उन्होंने भाखरा जैसी नहरों को बनाया है, राजस्थान नहर को बना रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी का रहा है तो मैं कहूँगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछड़ी हुई जातियों का रहा है। राजस्थान का जो नया नक्शा हम बनाने जा रहे हैं उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका है, तो आपको मालूम होगा कि यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का व पिछड़ी हुई जातियों का है। आज वहां पर ५० प्रतिशत आबादी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की है और सारे राजस्थान में देखे तो ३० परसेन्ट है। उनके लिये जो दूसरी पंच-वर्षीय योजना बनी उसमें हमारी सरकार ने २२८ लाख का प्रावधान रखा, मगर मुझे उसके साथ साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो रुपया उनके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा हमको दिया गया और राज्य सरकार ने उसमें से भी कम रुपया उनके लिये खर्च किया। उसमें से बहुत सारा रुपया लैप्स हो गया। १६७ लाख रुपया सारा खर्च हुआ, बाकी का सारा २२८ लाख में से बचा वह लेप्स हो गया। तीसरी पंचवर्षीय प्लान में ३२५ लाख रुपया इन अनुसूचित जन-जातियों के लिये रखा गया। मैं समझता हूँ कि दूसरे प्लान में जो रुपया रखा गया था वह भी थोड़ा है। तीसरे प्लान में जो रुपया रखा गया वह काफी नहीं है क्योंकि जिस राज्य की ५० प्रतिशत जनता की आर्थिक हालत ठीक न हो

(श्री श्योपतसिंह)

और आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से आज समाज के बराबर नहीं आ रहे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके लिये यह रुपया बहुत थोड़ा रखा गया है। आज हम देखते हैं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है। हमारे अलग अलग विभागों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके साथ में किस तरह ज्यादतियें हो रही हैं जिस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। अभी अभी बीकानेर डिविज़न में और बीकानेर जिले में कुछ हरिजन कार्यकर्ताओं पर डाकुओं के काफी हमले हुए। कई मारे भी गये। इसके लिये बार बार होममिनिस्टर साहब को कहा गया। मगर हमको इस प्रकार से महसूस हुआ कि जिस समय शुरू शुरू में हमारे गृह मन्त्रीजी विधान सभा में पधारे थे उस समय हमने उनके लिये बहुत अन्दाजे लगाये थे और हम सोच रहे थे कि वे कुछ करेंगे। लेकिन हमारे जो वे अंदाजे थे वे अन्दाजे ही रह गये। वे सिर्फ अपने अधिकारियों के टेप रेकॉर्ड ही रह गये। कोई जनता के प्रतिनिधि या हरिजनों के प्रतिनिधि उनसे मिलेंगे तो वे इनको बचाने की या सहत देने की कोशिश नहीं करेंगे।

इसके अलावा आप देखेंगे कि किसी भी जगह पुलिस थाने में पिटाई होती है तो हरिजनों की पिटाई सबसे ज्यादा होती है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि सारी कोशिश के बाद भी डाकुओं ने उन पर हमला किया और उसमें कई हरिजन मर भी गये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि बीकानेर में एक प्रकार का कहर छाया हुआ है। वहां का हरिजन सुरक्षित नहीं है, वहां के हरिजन वर्कर्स बाहर खुले आम फिर नहीं सकते और हमारी सरकार उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं कर सकती। हमारी सरकार ने हमारे लिये कुछ किया भी है और कुछ डाकुओं को मारा भी है, इस बात को मैं मानता हूं कि कुछ किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है कि हरिजनों के साथ में कोई अकेले डकैत ज्यादती कर रहे हों, पुलिस तो उनसे भी आगे है। राजस्थान में देखिए, पुलिस कस्टडी में जितने भी लोग मारे गए हैं, उनमें हरिजन ज्यादा हैं। पिछले साल मैंने एक केस रखा। मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आज तक उनका चालान हुआ है? क्या कार्यवाही की है उसके खिलाफ? जब मैडिकल बोर्ड ने भी इस बात को मान लिया कि वह पुलिस कस्टडी में पिट कर मरा है, चोट से मरा है तो फिर कहां हुआ चालान? मिनिस्टर साहब कहेंगे कि क्या इन्क्वायरी कर रहे हैं।

अभी पिछले महीने की १२ तारीख को पुलिस कस्टडी में एक हरिजन मारा गया। इसमें भी माननीय गृह मंत्री कहेंगे कि इन्क्वायरी हो रही है। मैं मानता हूं इस बात को कि इन्क्वायरी हो रही है। मुझे याद है, आपने एसेम्बली में भी कहा था कि अगर कोई भी आदमी पुलिस की कस्टडी में मारा जायगा तो मैं उस पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ को सस्पेंड करूंगा। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि १२ तारीख को जो हरिजन सूरतगढ़ में पुलिस कस्टडी में मारा गया, क्या आप उसको पुलिस कस्टडी में नहीं मानते? पुलिस कस्टडी में वह ३०२ का मुल्जिम था जब वह मरने की हालत में हुआ तो वहां के

(श्री श्योपतसिंह)

थानेदार द्वारा उसको मोटर में बिठाया गया। ६, साढ़े ६ बजे शाम को मोटर सूरतगढ़ जाती है। वह मुल्जिम रास्ते में एक घंटे के अन्दर मर जाता है। अब इसके लिए जवाब दिया जाय कि वह पुलिस कस्टडी में नहीं था क्या ? गृह मंत्री कहेंगे कि वह पुलिस स्टेशन के बाहर था, तो क्या पुलिस स्टेशन के बाहर किसी को पुलिस मार दे तो वे पुलिस कस्टडी में नहीं मानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इसका जवाब तो मैं बाद में दे दूंगा, पर इतना अभी कहता हूं कि माननीय सदस्य जो फैक्ट्स रख रहे हैं, वे गलत रख रहे हैं। यह मामला जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के पास में है, विचाराधीन है, आप वहां साबित करवाइये, हम पुलिस अधिकारियों को सजा देंगे।

श्री श्योपतसिंह : मैं इस बात को मानता हूं। आपने कोई नई बात नहीं कही। मैंने इसलिए कहा कि हमारे गृह मंत्रीजी पुलिस अधिकारियों की टैप रेकार्डिंग करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप अपनी पार्टी के टैप रेकॉर्डर द्वारा जांच करवा सकते हैं। जुडीशियल मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। आप वहां पर सुबूत दीजिए। मेरे हाथ में यह अधिकार नहीं है कि मैं किसी को सजा दूं। मैं जुडीशियल मजिस्ट्रेट से जांच करवा रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह : यह पहली दफा नहीं हो रहा है। हनुमानगढ़ में जब सोहनसिंह महावीर एस. एच. ओ. द्वारा मारा गया, उस पर भी ऐसी कार्यवाही हुई थी। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि चोट से मरा है।

श्री मथुरादास माथुर : तो आपको अधिकार था कि सदन के सामने रखते। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जुडीशियल मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी चल रही है। उससे आपको असंतोष हो तो आप हाई कोर्ट में रिवीज़न में जा सकते हैं, कानून खुला पड़ा है। माननीय सदस्य मुझसे मिल चुके हैं। आप हाउस को गलत खबर बता रहे हैं। वह पुलिस के थाने में नहीं था। बस में ५० आदमी बैठे थे, उस बस में मर गया। बस खाली नहीं थी। मैडीकल रिपोर्ट....

श्री श्योपतसिंह : अगर किसी मरने वाले आदमी को बस में बिठा दें और वह बस में मर जाय और फिर कहा जाय कि वह पुलिस कस्टडी में नहीं मरा है....

श्री मथुरादास माथुर : मैडिकल रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती है।

श्री श्योपतसिंह : उसके मरने की हालत हुई तब थाने से बाहर निकाला गया। माननीय मंत्री महोदय रौब से कहते हैं कि हाईकोर्ट में जाओ। क्या किसी गरीब हरिजन को आपने कानूनी सहायता दी, जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है ? कुरड़ाराम के केस में आपने क्या सहायता दी ? जब असैम्बली में भी यह साफ हो गया। वहां पर डी. वाई. एस. पी. मौजूद था, थानेदार मौजूद था। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े गुंडे उस तरफ थे और आप कहें कि वह बेचारा डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ बयान दे। वह गरीब १७ तारीख को पिछले महीने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में गया तो वहां से उसको उठाकर ले गए।

(श्री श्योपतसिंह)

उसने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दख्र्वास्त दी कि मुझे उठाकर ले गये है और मेरे गवाहों को गवाही देने नहीं देते। उस केस में अब यह सुना है कि पुलिस अधिकारियों ने, बड़े बड़े चौधरियों ने उस गरीब से यह दरख्वास्त और दिलवा दी कि मेरा भाई पीटने से नहीं मरा, अपने आप मरा है। कैसे मरा ? डॉक्टरी रिपोर्ट है कि सनस्ट्रोक हो गया। आज तक कहीं मुल्जिम सनस्ट्रोक से मरे हैं ? मुल्जिम को तो कहीं धूप में थोड़ा रखा जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलैंज करता हूं कि इस गर्मी के मौसम में सारे गंगानगर में कोई सनस्ट्रोक का केस नहीं हुआ, अगर हुआ तो भी पुरखाराम को। गंगानगर की १० लाख की आबादी वाले जिले में किसी को नहीं हुआ।

श्री श्योपति सिंह : पुलिस की होशियारी देखो कि जो सर्दी में मर जाय तो निमोनिया और अगर गर्मी में मर जाय तो सनस्ट्रोक। कुरड़ाराम के लिए निमोनिया का केस बनाया गया। मेरे कहने का मतलब था कि जहां राज्य सरकार को यह चाहिए था कि उसको कानूनी मदद देती, लेकिन आज एक-एक साल, दो दो साल हो गए उनके चालान तक नहीं हुए। यह तो हमारे इन हरिजनों का सुधार कर रहे हैं।

गंगानगर जिले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उस जिले में हमारी सरकार की तरफ से क्या हुआ ? वहां ५० हजार भूमिहीन किसान हैं जिनमें से ३० हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और २० हजार फैमिलीज़ नॉनक्लेमेंट शरणार्थियों की हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा कुर्बानी की है तो उन लोगों ने की है। आज सरकार किश्तें वसूल कर रही है। न उनको पर्मानेन्ट अलॉटमेंट किया न उनको खातेदारी राइट्स मिले।

मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि आपने गंगानगर जिले के अन्दर क्या किया ? आपने अपनी प्राइवेट संस्थाएं खड़ी कर दी हैं; उनके वर्करस को यूटीलाइज़ करते हैं। जब तक आप इन हरिजन लोगों की आर्थिक हालत नहीं सुधारेंगे, जब तक जमीन का इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप हमारे यहां गंग कैनाल, भाखरा क्षेत्र और राजस्थान कैनाल हैं। आप उनको मौका दीजिए, लेकिन हमारी सरकार तो उल्टा ही कर रही है। १५-१५ बीघा जमीन दी गई। बहुत ज्यादा कीमत वसूल की गई। आज हजारों काश्तकारों की जमीन निलाम हो रही है। जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आपने जमीन दी हैं, आज वह गंगानगर का किसान अपनी ५० प्रतिशत जमीन रहन कर चुका है।

आज वह जमीन उनके पास नहीं रहेगी, किसी हालत में भी नहीं रह सकती। आज वहां के रिफ्यूजीज़ जो बावरी हैं, सांसी हैं, ओड हैं, इस तरह की कौमों के लोग हैं, मेघवाल, चमार, इस जाति के लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी की। हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार ने उनको जमीनें दीं। उनको साढ़े छः हजार रुपये फी मुरब्बा के हिसाब से कीमत लगी, उस पर ६ हजार रुपये ब्याज के, हमारी राजस्थान सरकार ने ५,००० रुपया बैटरमेंट टैक्स के नाम से और वसूल कर

(श्री श्योपतसिंह)

लिया। जो शरणार्थी लोग हैं, अपना सब कुछ लुटा कर आये हैं उनसे १५ हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं। आज राजस्थान सरकार २८०) रुपया बीघा के हिसाब से, २००) रुपया बीघा के हिसाब से देती है पर राजस्थान सरकार का उन लोगों के साथ यह व्यवहार कर रही है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भलाई के लिये यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं, पर जो असली बीमारी है उस तक सरकार नहीं पहुंचती। जब तक आप उनको असली बीमारी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका सुधार नहीं हो सकेगा। जब तक उनकी आर्थिक हालत नहीं सुधारेंगे, इनकी हालत ठीक नहीं होगी, छुआछूत की बीमारी नहीं मिटेगी। इनको जो अलोटमेंट्स किये हैं इस निगाह से किये हैं कि गंगानगर के हरिजनों की जमीनें सारी बड़े बड़े चौधरियों, बड़े-बड़े सरदारों के पास जा रही हैं और आने वाले पांच वर्षों में वहां किसी भी हरिजन के पास जमीन नहीं मिलेगी यदि यही स्थिति चलती रही तो।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट और।

श्री श्योपतसिंह : अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि भाखरा क्षेत्र में और राजस्थान केनाल एरिया में मंडियां बनाने जा रहे हैं, वहां पर क्या आपने इन लोगों के लिये कोलोनीज़ रखी हैं ? कोलोनीज़ रखना तो दूर, उल्टे इन लोगों की बस्तियों को आप हटाना चाहते हैं। आप इनको कोई रोजगार नहीं दे सकते, इनकी कुछ इमदाद नहीं कर सकते, उस जमीन पर बैठें हैं तो उनके सारे के सारे मोहल्ले को हटाना चाहते हैं कि हमारी मंडियों की सिमेटरी खराब हो जायगी नई मंडी बेतरतीब रहेगी। इनको इन मंडियों में कोई जगह नहीं दी जा रही है। गंगानगर में भूतपूर्व मंत्री राजस्थान के सम्पतरामजी, उनके नाम से एक बस्ती बसाई गई, सम्पत बस्ती के नाम से, पन्नालालजी बारूपाल ने उद्घाटन किया। अब वहां एडमिनिस्ट्रेटर साहब गये हैं बड़े सूरमा हैं, सब रफू चक्कर कर दिया, केवल पत्थर रह गये हैं, वहां कोई हरिजन नहीं है। यह हालत है आपकी बस्तियों की।

मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान की इस ३० फी सदी जनता को ऊंचा उठाया जाय तो सबसे पहले इनकी आर्थिक हालत को ठीक करना होगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा जिधर कि अधिकतर आदिवासी व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी रहते हैं। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिये जितने भी बोर्ड और कमिशन्स हैं उनमें ऐसे लोगों को लगा रखा है जो या तो अधिकार-सम्पन्न हैं या जो फिरकावादी हैं। इनमें ऐसे लोगों को रखना चाहिये जो वास्तव में इनके प्रतिनिधि हों, जो उचित आदमी हों, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स

Page No 96

(श्री श्रवणलाल)

की मदद कर सकें। रेवेन्यू बोर्ड में, कमिशन में, बोर्डों में तथा अन्य सहकारी विभागों में, हायर सैकन्डरी, प्लानिंग में, पब्लिक सर्विस कमिशन में, जिला परिषद् में और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आदिवासी या शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक एक मेम्बर ज़रूरी हो तो वे जरूर आदिम जाति के लिये मददगार हो सकते हैं। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी जाति के लिये साढे बारह परसेंट रिज़र्वेशन रखते हैं, पर वह नहीं के बराबर है। आदिम जाति, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को ६ परसेंट भी नहीं मिल पाता है और जो आदमी पढ़े-लिखे होते हैं वे नौकरियों के लिये मारे मारे फिरते हैं। जो आदमी पढ़ लिख कर कुछ योग्य बन जाता है तो उसको प्रोमोशन नहीं मिलता है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान गांव पचावन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां एक एम. ए. है और उनको मेट्रिक्यूलेट की जगह दे रखी है। क्या एम. ए. इंग्लिश टीचर्स की जगह नहीं रखा जाकर मेट्रिक ग्रेड की जगह मुकर्रर करना अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे स्थान पर डाल रखा है जहां खुद को नहीं, पर दूसरों को शर्म आ जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राजस्थान में तो है।

श्री श्रवणलाल : पहले बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने बताया कि छात्रवृत्तियां काफी मिल रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि छात्रवृत्तियां जरूर मिलती हैं पर आपने कभी यह इन्क्वायरी नहीं की होगी कि छात्रवृत्तियों के मामले में कितने घोटाले होते हैं। मैं अपने क्षेत्र के गांव बरगमा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां एक हरिजन लड़के के लिये ४० रुपया आया, सरपंच के रूबरू दिया, इस शर्त पर दिया कि २०) रुपया वापिस करना पड़ेगा। और दो घन्टे बाद ही उस लड़के की माता को बुला कर अध्यापक ने २० रुपया वापिस ले लिया। करीब करीब सभी जगह इस तरह का अन्याय बढ़ रहा है, छात्रवृत्तियां दी जाती हैं पर रुपया वापिस ले लिया जाता है।

श्री भीखाभाई (समाज कल्याण मंत्री) : आप लिख कर दे दीजिये, ताकि जांच करायें।

श्री श्रवणलाल : मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड क्लास के लोगों की भावना को बनाये रखने के लिये बैलों की जोड़ियां खरीदने के लिये पैसा दिया जाता है पर वह पैसा उन आदमियों को नहीं दिया जाता जिनको कि दिया जाना चाहिये। हिन्डौन में बैलों के लिये १,१०० रुपया दिया गया। वे बैल ५००) के होंगे, पर उनकी कीमत १,१००) बताई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी देख रेख के लिये सरकार का ८००) रुपये का पैट्रोल खर्च किया गया। तो मैं श्रीमान् से प्रार्थना करूंगा कि ८०० रु० के तो बैल ही नहीं होंगे जब कि उनको देखने के लिये ८००) रु० का पैट्रोल खर्च कर दिया गया।

हमारे यहां सबसे बैकवर्ड अनुसूचित जाति के लिये छात्रावास खोले जाते हैं। हमारे यहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स का छात्रावास है। मेरे से पूर्व बोलने वाले भाई कह रहे थे कि अब जाति-पांति का भेदभाव नहीं रहा है। हमें मन्दिरों में अच्छे स्थान पर बैठने

(श्री श्रवणलाल)

की, अच्छी जगह बैठ कर खाना खाने की छूट मिल गई है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उन्होंने यह नहीं कहा. उन्होंने कहा कि मैंने मन्दिर में पूजा की है ।

श्री श्रवणलाल : मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के लड़कों को शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों में जगह नहीं दी जाती है । अगर यह गलत बात हो तो आप जांच करा लीजिये । सवाई माधोपुर में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास हैं, उनमें एक भी छात्र नहीं मिलेगा ।

अब मैं श्रीमान् मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंन्ट के अध्यापकजी रहते थे । डाइरेक्टर महोदयजी ने लिखित रूप में उनसे टेन्डर मंगवाये और हिन्डौन से टेन्डर लेकर उन्होंने यहां भिजवा दिये । वे पत्थरों के टेन्डर थे थोड़े दिनों के बाद डाइरेक्टरजी हिन्डौन पधारे और टेन्डरों के बारे में बातचीत कर गये । बातचीत कैसे हुई ? कुछ पत्थर और कुछ लकड़ी के सामान के लिए साठ–गांठ करके चले गये । जिस पत्थर के मालिक से पत्थर लिया गया, वह हिन्डौन से लिया गया था । वह भुसावर का रहने वाला था । स्टेशन के पास ही उन पत्थरों को डलवा दिया गया । जब अध्यापकजी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि इस तरह से क्या कर रहे हो । दूसरे आदमी से बातचीत की और उसको सस्पेन्ड कर दिया गया । सस्पेन्ड ही नहीं किया, उस पर इतने चार्जेज लगा दिये कि इतना भ्रष्टाचार किया है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

ज्यादा समय नहीं लूंगा । ऐसा करने पर दोनों को ही टर्मिनेट कर दिया । डाइरेक्टर महोदय को तो सर्विस में युटिलाइज़ कर लिया गया और उस गरीब अध्यापक को नहीं। उसने सरकार को ४४६ पत्र भेजे । लेकिन एक का भी उसको आज तक कोई जवाब नहीं मिला । नम्बरवाइज़ मैं बता सकता हूं । उसने ४४६ पत्र भेजे । यहां तक पं० जवाहर–लाल नेहरू तक को भेजे ।

श्री जयनारायण सालोदिया(निवाई): २० ही भेजता ।

श्री श्रवणलाल : ४४६ भेजे । उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है । हरिजन अध्यापकों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है । और फिर कहते हैं कि हम तो उत्थान करने जा रहे हैं, हरिजनों के लिए हर तरह की सुविधायें दे रहे हैं ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

थोड़ा सा श्रीमान् मंत्रीजी का ध्यान न्याय के बारे में भी आकर्षित करूंगा । कहा तो यह जाता है कि हरिजनों के लिए हर प्रकार की सुविधायें दे रहे हैं । लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि आज भी ६६ प्रतिशत हरिजनों को सच्चा न्याय नहीं मिलता । उनके ऊपर हर तरह के झूठे मुकदमे बना कर उनको बर्बाद किया जाता है, उनसे पैसे एंठे जाते हैं और जब उसके लिए शिकायतें करते हैं, रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती । ढिंढोरा के पास बाढ गांव है । मैं हरिजनों के मोहल्ले का जिक्र कर रहा हूं । वहां पर एक हरिजन पुराने जमाने से स्थित था । उसने ठाकुर की जमीन पांच हजार में कीमतन मोल ली थी । वहां पर

(श्री श्रवणलाल)

कुछ काश्त करायी। आबादी की जमीन थी। एक-एक घर था। खुद रहता था और जानवरों के लिए घास रखता था और बैलों को इधर उधर बांध देता था। क्या होता है कि वहां के एक नेता और वहां के अधिकारी उस जमीन को हरिजन से लेकर किसान को दे देते हैं। वह गरीब हरिजन, एस. डी.एम. के पास पहुंचा। उस जमीन में प्याज थे। एस. डी. एम. आॅर्डर कर देता है कि यह प्याज उजड़वा दो। प्याज उजाड़ दिये जाते हैं।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

पांच मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट नहीं, एक मिनिट।

श्री श्रवणलाल : जब जमीन सम्हलायी जाती है,जन संघियों पर डकैती का केस बनाया जाता है। उनके पक्ष में बोलने के कारण उन पर डकैती का केस बना। खुरपी और गेंती डकैती के केस में लिखने में आती हैं। इस तरह के डकैती के झूठे आरोप लगाये जाते हैं। यह एक महान् गलत परम्परा है। उसके बाद कुछ आदमी गहरी दृष्टि से देखते हैं कि किसी तरह से इनको खत्म कर दिया जाय। कोई सुनवाई नहीं हुई। होममिनिस्टर साहब को यह सब अर्ज किया कि हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ कार्यवाही करो। जो डकैती केस बनाया था उसके लिए उन्होंने एन्क्वायरी करायी। एन्टीकरप्शन के अधिकारी गये और उन्होने देखा, वह बिलकुल झूठा केस साबित हुआ। फिर कुछ आदमियों को पिटवाने की योजना बनाते हैं। यह केस खत्म हो गया तो कुछ गुंडों को ऐसे आदमी आगे करके उनको पिटवाने की कोशिश करते हैं, योजना बनाते हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जमीन देने के लिए वादा कर रहे हैं लेकिन हरिजनों को नहीं मिल रही है।

हमारे यहां तहसील महुआ के अन्दर चकबन्दी हो रही है। गरीब हरिजनों के लिए कोई साथी नहीं होता है। सबसे पहले तो उनके यहां जमीन की बड़ी कमी है। बहुत से भाइयों के तो जमीन कतई ही नहीं है। जो कुछ जमीन है, कब्जे काश्त बना रखी है, अच्छी बना रखी है। उसके लिए क्या होता है? दस-बीस अमीर आदमी, सी. ओ. साहब से मिल कर गरीबों को जमीन छीन रहे हैं। उसके एवज में ऊबड़-खाबड़ और पैदावार न हो, ऐसी जमीन उनको बता रहे हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हरिजनों के इस दुःख की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाचन्द।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात का [illegible] ढिंढोरा पीटती है कि हम हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को काफी सहूलियतें दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में सन् १९५७ में बाढ़ आयी थी और वहां पर बहुत से हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के मकान गिर गये थे, लेकिन सरकार ने या समाज कल्याण विभाग की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं मिली। उस क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग मकान बनाने के लिए अनुदान नहीं देता। छात्रों को वजीफे

(श्री दयाचन्द सोन)

मिलते हैं, आधे लोगों को वजीफा प्राप्त ही नहीं होता। बहुत से बच्चों के दस्तखत तो करा लेते हैं और उनको कह दिया जाता है कि वजीफा नहीं मिला है और उनको इस तरह से या तो टहला दिया जाता है कि वजीफा मिलेगा जब दे देंगे। उनको वजीफा अब तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। फॉर्म मांगने जाते हैं, पर समाज कल्याण बोर्ड के दफ्तर में उनको फॉर्म तक नहीं मिलता। होस्टल में जहां बच्चे रहते हैं, यह अद्भुत बात है कि धर्मशाला की इमारत है जिसको छात्रावास के लिए ले रखा है। उसमें छोटे २ कमरे हैं और एक कमरे में जिस प्रकार से भेड़-बकरी रहती हैं उस तरह से बच्चों को रख रखा है। खाने के लिए आप देखें कि ज्वार और बाजरे का आटा है उसमें भी कीड़े पड़े हुए होते हैं और दाल में कंकर दिये जाते हैं जिससे वे लोग पेट भर कर रोटी भी नहीं खा सकते। एक-दो बार मन्त्री महोदय उस क्षेत्र में गये। उनका प्रोग्राम ऐसा बनता है कि सदस्यों को भी सूचित नहीं करते। सूचित करें तो थोड़ी बहुत बात करने का मौका मिले और उनको अपनी समस्या बता सकते। मंत्री महोदय प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि चुपचाप आते हैं और चुपचाप ही चले जाते हैं। बस्ती में हरिजन बस्तियों की इतनी दुर्दशा है कि जिसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी बुरी हालत में वह बस्ती है। वहां उस बस्ती में जाना हरेक के लिये दूभर हो जाता है। यहां के हरिजनों को मकान वगैरह बनाने की जमीन बताते हैं, किन्तु ऐसी जगह बताते हैं जो गांव से बहुत दूर है जहां पर वे लोग जाना नहीं चाहते। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of orders, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को समय डिस्ट्रिब्यूट(एलोट) होना चाहिये, केवल आधा घन्टा ही मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इस पर बहस कल भी होगी। आपकी पार्टी का बराबर ध्यान रखा जायगा। आपके माननीय सदस्य थोड़े ही बोले, यह उनकी मर्जी की बात है।

(विराम)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के ९वें और १० वें प्रतिवेदनों पर जो विचार हो रहा है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

हम तो जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है उस दिन से इस पक्ष में बैठने वाले सुनते आ रहे हैं....

श्री विजयसिंह झाला : महार शिड्यूल्ड कास्ट्स में होते हैं या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ में।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ये तो आप में ही होते हैं।

श्री मानसिंह् महार : मैं तो सब में हूं, चिन्ता म त कीजिये।

इस पर हमने यह देखा है कि सरकार ढिंढोरे पीटती है कि हमने पिछड़े वर्ग का बहुत उत्थान किया है और कर रहे हैं। हम भी सुना करते थे, सुनते आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि पिछड़े वर्ग का उत्थान किया जाय। इस काम के लिये उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन अगर किसी पिछड़े वर्ग का उत्थान करना होता है तो उसके लिये पैसा खर्च करने से काम नहीं चलता, हमें मिशनरीज़ जील अपनानी पड़ेगी। समाज कल्याण विभाग के मन्त्री पहले भी दो साहब रहे हैं, आपसे पहले श्री पंड्याजी रहे हैं, अब हमारे सागवाड़ा से आये हुए माननीय मित्र हैं। मैं जानता हूं ऊपरी दिल से लोगों को दिखाने के लिये ये पिछड़ी जातियों के उत्थान के बारे में सोचते होंगे, लेकिन मैं इन्हें निवेदन करना चाहता हूं आपमें मिशनरी जील की कमी है।

मुझे याद है सन् १९५४ में उस पक्ष के बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने बांसवाड़ा में मिशनरी स्कूल न रखने के बारे में कहा था, लेकिन एक कांग्रेस के ही संगठन से सदस्य थे उस समय उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था उस समय कि आप हम लोगों के बच्चों से नफरत करते हैं, आप हमारे बच्चों का उत्थान नहीं देख सकते। वे मिशनरी औरतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में नर्सेज का काम करती हैं, हमारे गन्दे बच्चों को प्यार करती हैं, बड़ी सद्भावना से बच्चों का इलाज करती हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, यह भावना आज हमें उस पक्ष में बैठने वालों में दिखाई नहीं देती है। यह भावना मौजूद नहीं है। कहने को और चीज है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भावना हम में तो मौजूद है।

श्री मानसिंह् महार : अगर आप में यह भावना है तो आप कभी हरिरामजी से गले मिले हैं? इस प्रकार की भावना तो होनी दूर रही हरिराम जी घारू से वे नफरत करते हैं। यह कहने से कुछ नहीं होता है, हमें तो वास्तविकता को देखना है।

मैं निवेदन कर रहा था, सरकार कहती है कि हम सोश्यल वेलफेअर के स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छे स्कूल चलाते हैं! क्या कहने हैं आपके स्कूल के? इनकी स्कूलों को देखा जाय तो आप छोटे गांवों में चले जाइये, आर्डिनरी लड़कों के लिये अलग स्कूल हैं और सोशियल वेलफेअर बोर्ड द्वारा पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये अलग स्कूल होंगे। मैं कहता हूँ, आज हमारी सरकार की यह कितनी कलंकित और दूषित नीति है कि यह हमको इस ओर ले जा रही है; जिस प्रकार हमारे कांग्रेसी भाइयों की मुस्लिम लीग को एपीज़ करने की नीति थी जिससे पाकिस्तान बना! आज यह निश्चित बात है, मुझे खुशी हुई इस बात पर कि उधर बैठने वाली एक बहिन ने इस बात की ओर हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जिस प्रकार सवर्णों के लिये जो छात्रावास हैं उनमें उन लोगों के लिये सीटे रिज़र्व कीजिये। आप उनके लिये सीटें रिज़र्व करा दीजिए, जहां हम लोगों के तीस-चालीस प्रतिशत छात्र पढ़ते है वहां ६० प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लड़कों के लिये स्थान

(श्री मानसिंह महार)

सुरक्षित होने चाहिये ताकि हमारे लड़कों में और उनके लड़कों में भेद्भाव खत्म हों। इस भेदभाव को खत्म करने के बजाय सरकार इस खाई को और गहरा करती जा रही है। आप मानें या न मानें यह निश्चित बात है कि आज जो चीजें सरकार कर रही है उससे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों में खाइयां पैदा हो रही हैं, उनके बच्चे अलग पढ़ते हैं, उनके लिये अलग बोर्डिंग हाउस है। अगर आप अनुसूचित जन-जातियों के लड़कों के लिये अजमेर के मेओ कॉलेज में स्थान रिज़र्व करा दें तो मैं मान सकता हूँ कि आप उनका उत्थान चाहते हैं। आज उस पब्लिक स्कूल में अनुसूचित जाति के लड़कों के लिये कोई स्थान नहीं है। मंत्री महोदय भी उसी तबके से आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यह उनके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि अजमेर के मेओ कॉलेज में उनकी शिक्षा के लिये स्थान रिजर्व कराये जायें। आप छात्रवृत्तियां देते हैं, आप उन लोगों के लिये मेओ कॉलेज में स्थान रिज़र्व करा सकते हैं, ताकि वे योग्य बन कर वहां से निकले और आर० ए० एस०,आई० ए० एस० के कम्पीटिशन में आ सके। लोग यह शिकायत करते हैं कि उनको ऊंची पोस्ट्स दी जाती हैं, लेकिन वे इसके काबिल नहीं होते हैं। लेकिन इसका खास कारण यह होता है कि वे सिकराय की प्राइमरी स्कूल से निकले हुए होते हैं। सिकराय में आपने अवश्य प्राइमरी स्कूल खोली है, यह बहुत बड़ा काम किया लेकिन हम देखना चाहते हैं हमारे सेक्रेटेरियट में जो सेक्रेटरीज़ बैठते हैं उनकी जगह अनुसूचित जन-जाति एवं अनुसूचित जाति के लोग आवे। वे हमारे लोगों के साथ कम्पीट कर सकें, इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये। वे लोग जितने भी आते हैं भिक्षा मांग कर नहीं आते हैं। आपके मन में शायद यह धारणा बन गई है कि इनको टुकड़ा डाल दिया जाय, यह आपके लिये शर्म की बात है कि आप इस भावना से चलते हैं। कहने को तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग में उनके उत्थान की बात नहीं।

मैं इस बारे में दो-चार मिसालें देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह बताऊंगा कि उनके क्या हाल हैं....

एक माननीय सदस्य : कॉंग्रेस सरकार तो उनके साथ यह बर्ताव कर रही है, आप उनके साथ में क्या व्यवहार करते हैं यह तो बताइये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है या नहीं ?

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो कुछ इनके लिये कर रहे हैं उसका नमूना यह है कि हमारे बीच में प्रोपोर्शनटली आपके सदस्यों के मुकाबले हमारे बीच में ये कितने सदस्य हैं? हमारी उनके साथ कितनी सहानुभूति है यह इस बात का परिचायक है।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के जो अभी मंत्री हैं, जो यहां विराजमान हैं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई है हमारे नेता की वजह से, इसको वे कभी डिनाई नहीं कर सकते। अगर मंत्री महोदय कह देते हैं कि महारावल साहब ने कोई सहायता नहीं दी है, वे यदि इन्कार कर देते हैं तो मैं मान लूंगा

(श्री मानसिंह महार)

और सदन में माफी चाहूंगा। आप लोगों के झूठ बोलने पर वे मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन बैकवर्ड क्लासेज़ के बारे में जो बात कही जाती है। वे सच कह जाती हैं। आज जो इनके ठेकेदार बने हुए हैं आदिमजाति सेवक संघ ही ले लीजिये। इसके कौन सर्वे सर्वा हैं? श्री माणिक्यलाल वर्मा है। बैकवर्ड क्लासेज़ के संघ को ले लीजिये उसके भी १०८ श्री-कोई कांग्रेसी बैठे होंगे। दूसरी पार्टी के लोग जिनकी विचार-धारा उससे मिलती हुई नहीं है उनको आसन नहीं दिया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही कल दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ के २॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ८. बजे, दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ के म. प. २ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, ३ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

अग्नि पीड़ितों को सहायता- नागल भरड़ा, तहसील आमेर ।

उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरें ।

निरीक्षण एवं स्क्रूटिनी शाखा– जन सम्पर्क विभाग।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर व्यय।

पुलिस विभाग के निलंबित कर्म–चारी ।

बांध योजना-जिला बूंदी ।

निठार डकैती कांड में मारे गये परिवारों को सहायता ।

हिंचर बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा ।

सिरोही-कालन्दरी रूट पर बसेज ।

कुचामन–घटवा रुट पर बसें।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये कार्यवाही।

जंगलात की सीमा–तहसील गिरवा ।

विद्युत मंडल के गजटेड ऑफिसर्स पर वार्षिक व्यय ।

घुड़ सवारी की ट्रेनिंग ।

तालाब व नहर की मरम्मत।

रायसिंहनगर-अनूपगढ़ सड़क

खाटू-तरनाऊव (Tarnao) सड़क ।

जयपुर–ग्राम वाटि का सड़क की मरम्मत ।

बारी लालपुरा वन सहकारी समिति द्वारा जंगल की मांग।

गैरेज तथा ओटोमोबाइल्स विभाग की बकाया रकम।

गम्भीर नदी पर पुल।

फोरेस्ट एरिया एवं नर्सरी के मजदूरों की बकाया।

मैला ढोने के तरीकों में सुधार।

झाडोल के पास बांध योजना, जिला भीलवाड़ा ।

वाड़ा खेड़ा जोड़ की आमदनी- सिरोही ।

डूंगरपुर–मेवाड़ा सड़क योजना

बसों के राष्ट्रीयकरण में राज्य की पूंजी एवं उस पर व्याज ।

छुट्टी के दिनों की तनख्वाह– नेशनल बॉल बेयरिंग कम्पनी

समाज कल्याण विभाग द्वारा

स्कम्भ स्कम्भ

विद्युत् मंडल को बॉडी बनाने हेतु दिये गये चैमिस ।

सड़क बनाने पर मुआवजा ।

अनुसर्विसेबल सामान आयुर्वेद-विभाग ।

छोटे तालाबों से सिंचित भूमि पर जल कर ।

पिछड़ी जातियों द्वारा उप-नगर बसाने हेतु आवेदन-पत्र जिला भरतपुर ।

अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता ।

पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क निर्माण ।

श्रम विभाग के कर्मचारियों के वार्षिक बढ़ोतरी तथा वेतन के मामले ।

२. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, श्री कुमारानन्द, सदस्य, विधान सभा, ने लक्ष्मी मिल्स ब्यावर के एक कर्मचारी श्री भंवरलाल जोशी की प्रस्थापित भूख हड़ताल के मामले की ओर श्रम मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रम मन्त्री, श्री भीखाभाई ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

३. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन आफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ पर प्रस्तुत संशोधनों पर विचार ८४

श्री केसरीसिंह (८९), सदस्य, विधान सभा, द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव दिनांक ९ मई, १९६२ को प्रस्तुत किये गये थे तथा जिन पर राजस्थान विधान सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा सप्तम प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया था, उन पर विचार किया गया ।

गृह मन्त्री श्री मथुरादास माथुर, के उत्तर के पश्चात् श्री केसरीसिंह ने अपने संशोधन वापस ले लिये ।

४. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें तथा दसवें प्रतिवेदनों पर विचार १०५

श्री भीखाभाई, मन्त्री, समाज कल्याण विभाग, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

की नवें प्रतिवेदन, १९५९–६० तथा दसवें प्रतिवेदन १९६०–६१ को, जहां तक उनका राजस्थान राज्य सरकार से सम्बन्ध है, विचारार्थ लिया जाय।"

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री जयनारायण सालोदिया

(२) श्री हीरा भाई

(३) श्री हरिराम घारू

(४) श्रीमती नगेन्द्र बाला

(५) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(६) श्री नाथूलाल करोल

(७) श्री श्योपतसिंह

(८) श्री श्रवणलाल

(९) श्री दयाचन्द

(१०) श्री मानसिंह महार।

सदन की बैठक रात्रि के ८ बजे बुधवार, दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ को दिनके २.३० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ की कार्य–सूची

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के नवें तथा दसवें प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ का उत्तर देखिए)

—:कतरन शाखा:—

शाखा का मुख्य कार्य नियमित रूप से सरकार को समाचार पत्रों की कतरनों के माध्यम से हर प्रकार की मुख्य-मुख्य जानकारी कराना है। यह जानकारी राज्यपाल महोदय, अध्यक्ष विधान सभा, समस्त मंत्रीगण, उपमंत्रीगण, मुख्य सचिव, सचिवगण व उप सचिवगण, अकाल सहायता कमिश्नर व आवश्यकता पड़ने अथवा मांगे जाने पर अन्य सरकारी कार्यालयों व भारत सरकार के कार्यालयों को भेजी जाती है। यह कतरने विभागानुसार पुंजों में संगठित करके प्रस्तुत की जाती हैं।

महत्वपूर्ण कतरनें, यथा चित्र, लेख, विशेष लेख आदि जो अधिकांशतः राजस्थान से संबंध रखने वाली होती हैं उन्हें पहिले तुरन्त कटवा कर आगन्तुकों के लिए सूचना पट पर लगायी जाती हैं। दूसरे दिन वह समस्त सामग्री एक विशेष रूप से निर्मित समाचार पत्र साइज के रजिस्टर में चिपकायी जाती है, जिससे समयानुसार घटित गतिविधियों का सुन्दर ब्यौरा समुचित रूप से आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपलब्ध हो सके।

कतरन पुंज समाचार पत्रों को देखकर चिन्हित करने के अन्नतर कतरनों द्वारा समाचार की २ से ७ तक कतरनें चिपका कर दी जाती हैं जिन्हें विभागानुसार बांट कर ३५ से ४० तक पुंज प्रति दिन तैयार किये जाते हैं।

समय समय पर तुरन्त ध्यान आकर्षण हेतु सामग्री वाले समाचारों का कतरन संबंधित मंत्री महोदय या अधिकारी महोदय के पास प्रतिवाद, वस्तु-स्थिति ज्ञापन अथवा अन्य समुचित कार्यवाही हेतु विशेष पुंजों द्वारा जो कि नियमित पुंजों से अलग होते हैं दृष्टिगत होते ही तत्काल भेजे जाते हैं। इस प्रकार शाखा में होने वाले निम्न अंग हैं यथा:—

समाचार पत्रों का निरीक्षण, कतरनों का संकलन एवं पुंजों व विशेष पुंजों का निर्माण कर प्रस्तुत करना व कार्यालय में संदर्भ के लिए एक प्रतिलिपि विषयानुसार पंजिका में रिकॉर्ड के रूप में रखना।

सन् १६५७ से एक विशेष आदेशानुसार परिवर्तित कार्य प्रणाली के आधार पर निरीक्षण कार्य ३५ से ४० भागों से मंत्रीगणों के पद विभागानुसार व उनसे संबंधित सचिवगणों के विभाग एवं विषयों के अनुसार विभाजित किया गया है। इस परिवर्तित प्रणाली में प्रत्येक कतरन की आवश्यकतानुसार कम से कम २ से ७ तक प्रतियां काटी जाती हैं जिनमें से एक विभागीय संदर्भ के लिए रखकर शेष भिन्न भिन्न पुंजों में संलग्न करके यथा स्थान भेज दी जाती है।

शाखा में इस समय १६ हिन्दी अंग्रेजी दैनिक पत्रों का निरीक्षण होता है। जिनके कि पुंज बनाये जाते हैं। इन पत्रों के कतरनों पर समाचारों का महत्व रीति नीति स्वर और तिथि आदि के बारे में ध्यान रखकर ऐसे सुरूचि पूर्ण ढंग से प्रेषण का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक पुंज रूचिकर और संबंधित विभाग को अपने विषय का समाचार पत्र सा ही लगे ।

टेलीफोन, पत्र आदि से विशेषतया वांछित कतरनों को उपलब्ध कर प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया जाता है।

विशेष समाचारों का टंकण, अवलोकन, मिला ? आदि कर यथा-स्थान पुंजों के आदि के साथ भेजा जाता है।

विभागीय वार्षिक लेखा-- जोखा तैयार किया जाता है।

अवलोकनांतर प्राप्त हुए सभी पुंजों को देखकर कोई विशेष आदेश या अन्य सामग्री चाही जाए उसके अनुसार समुचित कार्यवाही की जाती है।

कतरन शाखा में जो ३५ से ४० पुंज प्रतिदिन तैयार होते हैं उनमें मासिक औसत के हिसाब से प्रतिदिन करीब ३०० कतरने भेजी जाती हैं। इससे कुछ ही कम कर्यालय प्रतियां रखी जाती है। ३५ के करीब विभिन्न फाइलें विशेष अभियान या संकलन के लिए तैयार की जाती है।

इसके अतिरिक्त, डिस्पैच, पत्र प्राप्ति, फाइलिंग।

समाचार पत्रों में लेखमालाओं के रूप में निकलने वाले सब ही शृखंलाओं को एकत्रित कर उचित उपभोग हेतु जिल्द बंधवा कर स्थाई रूम से रखी जाती है।

देश के विभिन्न भागों में राजस्थान संबंधी छपे हुये समाचारों की कतरने समाचार एजेन्सियों द्वारा या संबंधित पत्र के सम्पादक द्वारा प्राप्त होने पर प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

कतरन शाखा में प्राप्त होने वाले जो पत्र समय पर नहीं प्राप्त हों उनकी प्राप्ति की व्यवस्था की जाती है। पत्रों द्वारा प्रकाशित सामग्री का साधारणत: अवलोकन किया जाता है और आवश्यकता होने पर संबंधित लोगों का उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ का उत्तर देखिए)

लोड फैक्टर तालिका

मास		आय प्रति मील (नये पैसे में)	लोड के फेक्टर (प्रतिशत में)	
अप्रैल	१९६१	४७	२६	प्रतिशत
मई	,,	१०३	५७	,,
जून	,,	१०१	५६	,,
जुलाई	,,	६३	३५	,,
अगस्त	,,	११६	६४	,,
सितम्बर	,,	६३	३५	,,
अक्टूबर	,,	६५	३६	,,
नवम्बर	,,	८५	४७	,,

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE STRENGTH OF GAZETTED OFFICERS IN THE RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD AT THE TIME OF FORMATION AND AS ON 31ST MARCH. 1963.

DESIGNATION	1956-57	1963-64 (Budget)
1	2	3
1. Accounts and Finance Member		
2. Chairman		
BOARD ESTALISHMENT		
1. Secretary		1
2. Chief Accounts Officer		1
3. Chief Internal Auditor		1
4. Deputy Secretary		2
5. Assistant Secretary		4
6. Deputy Chief Accounts Officer		1
7. Accounts Officer		10
8. Audit Officer		5
9. Private Secretary to Chairman		1
10. Legal Adviser		1
		27
CHIEF ENGINEER'S ESTABLISHMENT		
1. Chief Engineer	1	2

1	2	3
2. Superintending Engineer	–	2
3. Excutive Engineer	3	5
4. P. A. to the Chief Engineer	1	1
5. Administrative Officer	1	1
6. Accounts Officer	2	3
7. Assistant Engineer	6	22
8. Chemist	1	1
9. Personnel Officer	–	1
10. Revenue Officer	–	4
11. Assistant Revenue Officer	–	4
12. Meter Engineer	–	1
13. Statistical Officer	–	1
		48
SUPERINTENDING ENGINEERS IN DIFFERENT ZONES		
1. Superintending Engineer	–	4
2. T. A. to SEs	–	4
3. Assistant Accounts Officer	–	4
4. Labour Welfare Officer	–	4
		16
EXECUTIVE ESTABLISHMENT		
1. Executive Engineer	6	16
2. Assistant Engineer	45	66
3. Chemist	–	1
Total	68	176
GAZETTED OFFICERS EMPLOYED ON CAPITAL WORKS		
1. Superintending Engineer		2
2. Executive Engineer		14

1	2	3
3. Assistant Engineer		43
4. Accounts Officer		2
5. Assistant Accounts Officer		1
		62
Total	68	176
Total expenditure	Rs. 3. 25 lakhs	Rs. 11. 64 lakhs

परिशिष्ट ४

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या २३३ का उत्तर देखिए)

(१) गोविन्दसिंह नलवा या एक्स. टेक्स, जयपुर	उदयपुर सोप इन्सपेक्टर, पार्ला तनख्वाह बकाया है। ५६-६०
(२) छुट्टनलाल गुप्ता ए० ई० टी जयपुर डिसमिस कर दिया २ साल हो गए।	२००) तनख्वाह है जनवरी, फरवरी, १९६१
	४५०) बकाया है माइन्स में काम करते थे अब सहाडा में काम करते हैं।
(३) एम० बी० वर्मा एक्स-गेम्स सुप्रिन्टेन्डेंट, अजमेर	सन् ६० की एक माह की तनख्वाह बाकी है।
(४) रघुनाथप्रसाद भार्गव लेबर इन्सपेक्टर, जोधपुर	एरियर बाकी है ४.००
(५) विरेन्द्रसिंह चौहान सोप इन्सपेक्टर, अजमेर	३ साल का इन्क्रीमेन्ट बाकी
(६) जोगेश्वरप्रसाद भार्गव भीलवाड़ा लेबर अभी एम० टी० एम० लि० भीलवाड़ा में है	टी० ए० के पैसे बाकी है ३ साल हो गये। ६०-६१ में ४-१२-६० से ६-३-६१ तक
(७) महेशकुमार भार्गव ए० सी० कर्ल्क, अजमेर	५६ से ५९ तक स्पेशल पे बकाया है ४००) रु०
(८) टी० आर० छिब्बर, यू० डी० सी० जयपुर	(१) ५९-जनवरी फरवरी की तनख्वाह है। (२)सालाना इन्क्रीमैन्ट ५९-६० बाकी। (३) ५८ का पूरा नहीं मिला

(९) बी० डी० जोशी एल० वेलफेयर इन्सपेक्टर	मैडिकल बिल ६० का बाकी है
(१०) श्रीमती ब्रह्मादेवी लैड़िज टेलर व्यवस्थापिका	६० से टी० ए० बाकी है। जयपुर ट्रेनिंग बुलाई गई बिजैनगर से।
(११) पन्नालाल जैन, केकड़ी	२५) एरियर बाकी है १० साल से बाकी हैं।

१२ शॉप इन्सपेक्टर्स डिसचार्ज हो गये। पैसे बाकी हैं चुकारा नहीं हुआ २०० कुल कर्मचारी हैं।

१७ में से ६ चपरासी हैं।

दो–पी० एस० सी० से कनफर्म नहीं हुए हैं। तीन महिलाएं हैं।

परिशिष्ट–५

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

पिछड़ी जातियों द्वारा उप-नगर बसाने हेतु आवेदन-पत्र, जिला भरतपुर

५३४. **श्री सांवलिया राम** (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला भरतपुर में किन-किन पिछड़ी जातियों के किन-किन पंचायत समितियों में उप-नगर बसाये जा चुके हैं ? किन किन पिछड़ी जातियों के आवेदन-पत्र कहां कहां सरकार द्वारा प्राप्त हुए तथा उन पर क्या क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(२) क्या सरकार अन्य पिछड़ी जातियों के भी जिनके आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, उप-नगर बसाने का विचार रखती है ?

(३) क्या काश्त की जमीन न होने की अवस्था में ग्रामों से अलग बसी हुई पिछड़ी जातिय को सहायता देकर उप-नगरों के रूप में बसाने की सरकार की नीति है ?

उत्तर

(१) भरतपुर में कंजरों के लिये हेलक रूंध पंचायत समिति सेवर व ब्लान्चटपुरा पंचायत समिति रुपवास में और आदिवासियों के लिये बख्तापुरा पंचायत समिति कुम्हेर में बस्तियां बसाई गई हैं।

समाज कल्याण अधिकारी भरतपुर को पिछड़ी जातियों के कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनकी सूची संलग्न है। वे आवेदन पत्र अभी मुख्य कार्यालय को नहीं पहुंचे है।

(२) अन्य पिछड़ी जातियों के लिये बस्तियां बसाने के निमित्त तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रावधान नहीं है।

(३) जी नहीं।

समाज कल्याण अधिकारी भरतपुर को पिछड़ी जातियों के जो आवेदन प्राप्त हुये हैं उनकी सूची

१.	ब्लान्वटपुरा पंचायत समिति रुसवास	६ : कंवर :
२.	मूनीया पंचायत समिति नगर	१५ : मील :
३.	भरतपुर नहर	३ : वाटर व मंत्री :
४.	ब्याना शहर	३५ : मंत्री :
५.	डीग शहर	१२६ : वाटर व मंग

अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता

४३५. श्री **रावतराम** (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को अदालतों में कानूनी मदद देने के लिये सरकार ने कोई धनराशि देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो चूरू जिले को पिछले दो साल में कितनी धनराशि दी गई है ?

(२) उक्त धनराशि को खर्च करने का क्या आधार रखा गया है और वह जिले में कितने ऐसे लोगों को दी गई है जिनके केसेज विभिन्न अदालतों में चलते हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(१) जी हां। चूरू जिले को पिछले दो वर्षों में कोई धनराशि नहीं दी गई।

(२) कानूनी सहायता जिलाधीश के सुझाव पर स्वीकृत की जाती है। चूरू जिले के लिये जिलाधीश द्वारा कानूनी सहायता के लिये प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हुए, अतः उक्त सहायता नहीं दी गई।

———

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	६	श्रम विभाग	श्रम-विभाग]
४	४	(२)	(१)
७-८	शीर्षक	१० सितम्बर	३ सितम्बर
८,६,१० व ११	क्रमशः २४,८, ६,२६ व १	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
१२	२३	छात्रावसों	छात्रावासों
१३	२६	(ससपेन्डेड)	(सस्पेन्डेड)
२२	२५	भ	भी
२४	१५	श्री रघुनाथ	श्री रघुनाथ
३१	शीर्षक	६ सिसम्बर	३ सितम्बर
३१	२१	बा	कोई लम्बा
३२	१५	प्रश्न (जिस	प्रश्न है जिस
३२	१६	के	क्योंकि
३२	१७	देख ए	देखते हुए
३४	१६	कन्फंम्ड	कन्फर्म्ड
३८	६	जानते ।	जानते हैं ।
४५	अन्तिम पंक्ति	ोत	तो
४७	२३	आमन्जित	आमन्त्रित
४८	२४	एस्टीमेंट	एस्टीमेट
५१	१५	एस्टीमेंट	एस्टीमेट
५४	१४	!व्हील	(व्हील-
५६	३१	जमी ीवल	जमीन पीवल
५८	२३	श्रा	श्री
६४	१६	मागरोल	मांगरोल
६७	२७	प्रतिलिप	प्रतिलिपि
७८	२८	अग्रेजी	अंग्रेजी
७८	३७	शोटेस्ट	शॉर्टेस्ट
८१	८	इसक	इसका
८१	२७	के जुअल	केजुअल
८१	२८	टेक्निकली	टेक्नीकली
८१	२९	इकॉमिकली	इकॉनोमिकली
८१	३०	अकर	अगर
८२	२	जाऊ	जाऊं
८२	८	३.५० म०प०)	(३.५७ म.प.)
८६	१३	वक्त	वकत
८६	२८	डिक्लेर	डिक्लेअर

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८७	शीर्षक	पंचायर	पंचायत
८७	१	नियम के	नियम में
८७	१३	मेन्बर	मेम्बर
८७	२७	एर्फ शियेन्ट	एफीशियेन्ट
८७	३०	एफीशिमेंट	एफीशियेन्ट
८८	४	इस	इन
८८	११	एग्रीक्लर	एग्रीकल्चर
८८	१३	प्रोग्रसिव	पोग्रेसिव
८८	१७	फामर्स	फार्मर्स
८८	२३	फार्म्स	फार्मर्स
९२	२८	एवर्ससाइज	एक्सर्साइज
,,	३२	की	को
९३	१७	लिखा	लिखा है:
९४	२	रखाता	रखता
९५	१०	के	का
९७	शीर्षक	नियम के	नियम में
,,	१६	कि	की
९८	१३	आप	आपने
,,	१८	Comlptition	Competition
,,	२१	पराग्राफ	पैराग्राफ
१०१	३१	सर्वोडिनेट	सबोर्डिनेट
१०२	३	तजु'बे	तजुर्बे
१०३	७	सर्बोडिनेट	सबोर्डिनेट
,,	२१	एक्सपर्टस्	एक्सपर्ट्स
१०४	२	जो बा	जो बाते बतायी है
१०५	१२	को	की
,,	२७-२८	अनुसूचित जातियों	अनुसूचित जन-जातियों
१०८	६	(भोपाल सामर)	(भोपालसागर)
१०८	१४	वह	यह
१०९	११	निस्साता	निस्सारता
१११	८	एडवरर्टाइजमेंट्स	एडवर्टाइज़मेंट्स
११२	३६-३७	रहते···लिए	रहते हैं इसलिए
११३	शीर्षक	९वें १७वें प्रतिवे	९वें १०वें प्रतिवेदन
,,	२	(श्रीजयनारायण सालोंदय)	(श्री जयनारायण सालोदिया)
११४	१७	ड़के	लड़के
११५	शीर्षक	अनृसूचित	अनुसूचित
,,	१५	नडीं	नहीं

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
११७	२७	त	तो एक
,,	३१	बस्तियां बसी' 'सब	बस्तियां बसी हैं वे सब
११८	शीर्षक	६वें १६वें	६वें १०वें
,,	१३	जा	जो
,,	१४	ह	है
,,	२२	बसाय	बसायें
११६	शीर्षक	अनुसूचित	अनुसूचित
११६	१	६वें १०भें	६वें १०वें
१२०	२८–२६	प्राब्लम ''।	प्रॉब्लम है ।
१२२	१४	रहूँ	हूँ
,,	२३	सभनेत्री	सभानेत्री
१२३	१४	छुआचुत	छूआछूत
१२५	८	फार्म डिप्टी	फार्म भेजना है,
,,	२८	ईट	ईंट
१२६	२५	हर में,	हर एक में
१२६–३०	शीर्षक	प्रतिनेदन	प्रतिवेदन
१३०	८	सकते	सकता
१३१	६	जो हमारे जो आय की राजनैतिक में	हम जो आज की राजनीति में
,,	३३	पजा	राजा
		महिलए'	महिलाएं
१३३	६	जातिबाद	जातिवाद
१३७	शीर्षक	३ सतिम्बर	३ सितम्बर
१४०	२	अनुरायी	अनुयायी
,,	३२	वारे	बारे
१४१	८	औ	और
१४६	१४	मह दया	महोदया
१५०	१७	माननीय सद	माननीय सदस्य
१५४	३१	पड्या	पंड्या
,,	३२	कार्य	कोई
,,	३५	साभने	सामने
१५६	२४	भिलता है	मिलता है
१५८	१	अफयर	अफसर
१५६	शीर्षक	२६ अगस्त	३ सितम्बर

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१५६	३	उनकी हालत काफी सुधार हुई है	उनकी हालत काफी सुधारी हुई है
१६५, १६६	शीर्षक	६वें १७वें प्रतिवे दन	६वें १०वें प्रतिवेदन
१६८	२७	माना	मना
१६६	३०	टिपोटर्स	रिपोर्ट्स
१७०	३	वेंल्स	वेल्स
,,	१०	हैं	ही
१७३	२	श्र (ी नाथू लाल करोल)	(श्री नाथूलाल करोल)
	१७	दौनों	दोनों
	२५	oontinue	continue
१७४	२०–२१	उपाख्याद्म	उपाध्यक्ष
१७८	१	पीर्ट	पार्टी
१८०	१२	कास्ट्रस	कास्ट्स
१८७	२०	श्री श्योपतिसिंह	श्री श्योपतसिंह
१८८	१०	वर्करस	वर्कर्स
१६६	१५	दॉ साहब	दा साहब
२०२	२१	प्रोपोर्शनटली	प्रोपोर्शनेटली
२०३	८	कह	कही
२०४	११	२	२.३०
२०६	८	वाटि का	वाटिका
,,	२२	मेवाड़ा	मेवाड़
२०८	१५–१६	अधीनस्य	अधीनस्थ
२११	१५	अन्नतर	अनन्तर
२१२	६	मिला ?	मिलान
,,	६	पुंजों के आदि के	पुंजों आदि के
२१२	२०	स्थायी रूम	स्थायी रूप
२१४	१०	BOARD ETALISHNENT	BOARD ESTABLISHMENT
२१७	३	नलवा या	नलवाया
,,	६	गेम्मस	गेम्स
२२०	३	रूसवास	रूपवास
,,	३	कंवर	कंजर
,,	४	मील	भील
,,	५	भरतपुर नहर	भरतपुर शहर
		वाटर व मंत्री	जाटव व भंगी
,,	६	मंत्री	भंगी
,,	७	वाटर व मंग	जाटव व भंगी